खण्ड-190, अंक-8
बुधवार, 16 माघ, शक संवत् 1879
(5 फरवरी, 1958 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**बुधवार, ५ फरवरी, १९५८ ई०**

---

**विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई**

---

## उपस्थित सदस्य (३२६)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदर्वसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बर राम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री

भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री ( मैनपुरी )
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री ( गाजीपुर )
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरत प्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

# प्रश्नोत्तर

## (बुधवार, ५ फरवरी, १९५८ ई०)

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### रुद्रपुर में ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का विचार

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की सलाह से प्रान्तीय सरकार ने तराई—स्टेट फार्म को आधार मान कर प्रदेश में कोई रूरल तथा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोलने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—जी हां, रुद्रपुर में ऐग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है। जब तक वह अन्तिम रूप में न आ जावें उसको सदन में प्रस्तुत करना उचित न होगा ।

## तारांकित प्रश्न

### जिला बोर्ड जालौन का माधवगढ़ व कुठौद मिडिल स्कूलों की इमारतों का अन्य संस्थाओं को देना

*१—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, जालौन ने माधवगढ़ व कुठौद के मिडिल स्कूलों की इमारतें अन्य संस्थाओं को दे दी हैं ? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को ?

गृह मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—जी हां, माधोगढ़ मिडिल स्कूल की इमारत बुन्देलखंड हायर सेकेन्ड्री स्कूल माधोगढ़ तथा कुठौद मिडिल स्कूल की इमारतें सनातन-धर्म जूनियर हाई स्कूल कुठौद को दे दी गयी है ।

*२—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुठौद तथा माधवगढ़ के मिडिल स्कूल की इमारत का अलग-अलग क्या अनुमानित मूल्य है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माधवगढ़ मिडिल स्कूल की इमारत का मूल्य २३,०३७ रु० और कुठौद मिडिल स्कूल तथा इससे लगी सम्पत्ति का मूल्य अनुमानित २५,००० रुपया होगा ।

*३—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त इमारतें जिन गैर सरकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं, उन संस्थाओं के प्रेसीडेंट स्वयं वर्तमान अध्यक्ष जिला बोर्ड ही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

श्री गोबिन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जिला बोर्ड ने इस स्कूल की इमारत को हस्तान्तरित किया, उसके पहले सरकार से उसने कोई मंजूरी ली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जो पहली इमारत माधवगढ़ मिडिल स्कूल की ट्रांसफर की गयी, उसके बारे में तो सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी और दूसरी इमारत जो कुठौद मिडिल स्कूल की है, इसकी स्वीकृति अभी शासन से प्राप्त नहीं की गयी है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुठौद का जो सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल है, उसके लिये आज तक सरकार से मान्यता नहीं प्राप्त की गयी है और न आज तक उसकी मैनेजिंग कमेटी ही रजिस्टर्ड है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वे मान्यता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । जूनियर हाई स्कूल तो था ही, हाई स्कूल के लिये मान्यता का प्रयत्न उन्होंने आरम्भ किया है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो कुठौद में सनातन धर्म स्कूल चल रहा है इसके साथ-साथ एक दूसरा स्कूल भी उसी के कम्पटीशन चल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह होगा, इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है लेकिन सनातन धर्म स्कूल को कुठौद मिडिल स्कूल की इमारत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से दे दी गयी है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके हस्तान्तरित करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड करना ताकि ऊंचे दर्जे की शिक्षा, हाई स्कूल की भी और इंटरमीडियेट की भी प्राप्त हो सके ।

श्री ब्रज नारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन विद्यालयों के भवन दूसरी संस्थाओं को दे दिये गये हैं, अब उन स्कूलों को किस इमारत में चलाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ये स्कूल तो चल ही रहे हैं, ये बन्द तो हैं नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जूनियर हाई स्कूल से ऊंचे क्लास के स्कूलों को खोल कर चला नहीं सकता है, इसलिये उन्होंने एक प्राइवेट संस्था को अपग्रेड करके स्कूल चलाने के लिये इमारत ट्रांसफर कर दी है ।

श्री उग्रसेन—बिना सरकार के आदेश के जिला बोर्ड ने कैसे कर दिया ? सरकार के आदेश की जरूरत है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह आप नियम के बारे में पूछ रहे हैं, वह तो आप को स्वयं ही जानना चाहिये ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मिडिल स्कूल, जो पहले चल रहे थे, वे अब चल रहे हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, चल रहे हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब वे किन इमारतों में चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहीं उसी इमारत में चल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मिडिल स्कूलों में जरूरत से कितना ज्यादा स्थान था जो हायर सेकेंडरी स्कूलों को दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्थान का सवाल नहीं है । वह कम होता है तो साथ में और इमारत बनती चलती है । स्कूलों को अपग्रेड किया गया तो बहुत सी इमारतें भी ट्रांसफर हैं । पहले माधवगढ़ में और तहसील जालौन के खड़ावन में छोटे स्कूल थे ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या सरकार के पास इसकी कोई लिखित सूचना है कि वह स्कूल आज भी चल रहे हैं या उनका चलना बन्द हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माधवगढ़ में तो स्कूल खुला हुआ है, जब स्कूल को ट्रांसफर किया गया था तो एक खड़ावन में खुला था जो चल रहा है और कुठौद की जो रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि वहां भी जूनियर हाई स्कूल चल रहा है ।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह माधवगढ़ व कुठौद के स्कूल प्राइवेट संस्थाओं को इसीलिये दिये गये हैं ताकि जिला बोर्ड अपना खर्च बचा सके और उसके द्वारा खड़ावन का स्कूल चलाया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जैसा मैंने निवेदन किया कि जूनियर हाई स्कूल के सिवाय बड़े क्लासेज के स्कूलों को चलाने की जिला बोर्डों को इजाजत नहीं है और इस काम को स्वयं, पिछड़े इलाके में नहीं चलाया जा सकता था इसलिये संस्था बनाकर उसको ट्रांसफर किया और यह चाहा कि वह अपग्रेड हो जाय ताकि वहां इन्टर और दसवें दर्जे तक की पढ़ाई हो सके ।

## गोआ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले राज्य के व्यक्तियों को सहायता देने की प्रार्थना

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के उन सैनिकों को भी सहायता देने का विचार रखती है जिन्होंने कि गोआ के स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लिया है ? यदि हां, तो क्या वह अन्य सैनिकों की भांति उनसे भी प्रार्थना-पत्र मांगने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को मालूम है कि गत ५ सितम्बर, १९५७ को भारतीय संसद् में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री, श्री दातार, ने कहा था कि सरकार उन लोगों को भी पोलिटिकल सफरर मानने पर विचार करेगी जिन्होंने गोआ सत्याग्रह में भाग लिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा की हो लेकिन हमारे यहां तो स्वतन्त्रता संग्राम का सैनिक केवल उन्हीं को माना गया है जिन्होंने सन् ४७ तक के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों में भाग लिया था ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तो निवेदन कर दिया कि जी नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा—गोआ वाले लोगों को पेंशन देने के प्रश्न पर विचार करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इसमें सवाल केवल सिद्धांत का नहीं होता है । राज्य सरकार के साधन सीमित हैं । गोआ का सवाल केवल उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध नहीं रखता । हमारे यहां पेंशन देने की जो व्यवस्था चली वह उनके लिये है जो अंग्रेज सरकार से लड़ाई करने के आन्दोलनों में शरीक हुए थे । उसके क्षेत्र की परिधि को बढ़ाना हमारे लिये सम्भव नहीं है, जैसा कि अभी माननीय गेंदासिंह जी ने स्वयं एक प्रश्न के रूप में कहा कि जितने लोग उस संग्राम में शरीक हुए थे उनमें से सब लोगों की सेवा करने में हम अपने को असमर्थ पा रहे हैं । हमारे लिये उस परिधि को बढ़ाना सम्भव नहीं है । भारत सरकार चाहे तो कर सकती है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस प्रदेश के जो व्यक्ति गोआ में मारे गये उनके परिवार वालों को कुछ सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दे दिया । मैं समझता हूं कि उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी है ।

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## भारत स्काउट्स व गाइड की लेखा-परीक्षा

*६—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भारत स्काउट्स व गाइड के हिसाब को आडिट करने का अधिकार है ? यदि हां, तो सन् १९५० ई० से १९५७ ई० तक इसका कितने बार आडिट किया गया तथा आडिट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पांच बार । आडिट द्वारा उठायी गयीं आपत्तियों को दूर कराया गया ।

*७—श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अप्रैल, सन् १९५१ में डाक्टर अमरनाथ झा के नेतृत्व में उक्त संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति के कुछ नियम बने थे ? यदि हां, तो क्या उन नियमों का पालन हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । उनका पालन हो रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि पहली बार के आडिट में जो दोष पाये गये थे वही दोष पांचवीं बार के आडिट तक पाये जाते रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पहली बार के आडिट में कुछ फाइनेंशल इरेंगुलेरिटीज थीं, उनको बराबर दुरुस्त कराया जाता रहा और उसकी रिपोर्ट जाती रही है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या इसमें जो इरेंगुलेरिटीज थीं इसके लिये किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दंड भी दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दंड देने की बात नहीं है । यह तो एक संस्था है जिसको हम ग्रांट देते हैं और कानून के अनुसार उसका आडिट हम कराते हैं । जिन-जिन को ग्रांट दी जाती है, आडिटर आडिट करता है उसकी रिपोर्ट आती है और उनसे जवाब तलब किया जाता है और अगर संतोषजनक उत्तर आता है तो संतोष किया जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय—डाक्टर अमरनाथ झा के नेतृत्व में जो कर्मचारियों की नौकरी के नियम १९५१ में बने थे उनको १९५८ तक यानी आठ साल, तक न पालन करने क क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो मैंने उत्तर में निवेदन किया कि हां वह लागू किये गये और उनका पालन हो रहा है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अभी आपने बताया कि आडिट रिपोर्ट में जो गलतियां मिलती हैं उनको दुरुस्त कराया जाता है । तो क्या पांचवीं बार के आडिट में, वह गलतियां दुरुस्त कराने के बाद भी उसी प्रकार की गलतियां फिर पायीं गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि यह कायदा है कि जिस संस्था को आप ग्रांट देते हैं उसके हिसाब-किताब की जांच लोकल फंड एकाउन्ट्स का आडिटर करता है और वह रिपोर्ट देता है । उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि दिखती है तो उस संस्था से जवाब तलब किया जाता है और आडिटर की संस्तुति के अनुसार उस पर काम किया जाता है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया लेकिन उसका उत्तर नहीं हुआ। मैंने पूछा कि जो गलतियां पहली, दूसरी या तीसरी बार आडिट में पायी गयीं और जिनको दुरुस्त करवाया गया, वही गलतियां आगे के आडिट में भी फिर पायी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिटेल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह जानता हूं, जैसी कि रिपोर्ट मेरे सामने है कि जिन गलतियों की ओर, और फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटीज की ओर संकेत किया गया उनको दूर किया गया और जब संस्तुति प्राप्त हुई कि वह दूर हो गईं, तब उस पर आगे कार्यवाही हुई।

श्री गौरीशंकर राय—१९५१ में जो नियुक्तियों के लिये नियम बने थे क्या उसके विपरीत अभी कुछ कर्मचारी उस विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो कायदे बने थे उनको प्रादेशिक कार्य-कारिणी समिति ने १९५४ में स्वीकार किया और तब से उन्हीं के मुताबिक इन नियमों का पालन हो रहा है।

*८-९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—श्री लक्ष्मण राव कदम—[१९ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## आजमगढ़ जिले के समस्त पुलिस स्टेशनों को पक्की सड़कों से मिलाने की प्रार्थना

*११—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे पुलिस-स्टेशन हैं जहां पर पक्की सड़कें नहीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित पांच पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पक्की सड़कें अभी तक नहीं पहुंच पायी हैं—तरवा, पवई, रौनापार, महाराजगंज, तथा अतरौलिया।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इन पुलिस स्टेशनों तक पक्की सड़कें बना दी जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सड़कों का तो, पंचवर्षीय योजना के अनुसार, प्रोग्राम बना हुआ है, बनती जा रही हैं। उनका सम्बन्ध भी योजना से है।

## गोंडा जिले के कत्लों का ब्यौरा

*१२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ३० अगस्त, १९५७ से लेकर १२ सितम्बर, १९५७ तक कितने कत्ल हुए हैं और किन-किन थानों में ? कत्लशुदा व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं और इन कत्लों के सम्बन्ध में कितनी और किन-किन की गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५३-६५४ पर)

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी जमानत हो गयी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जमानत की तो सूचना मेरे पास नहीं है।

## गोंडा जिले में नये हिस्ट्रीशीटर्स

*१३--श्री गंगाप्रसाद--क्या यह सच है कि गोंडा जिले में १९५६ तथा २१ अगस्त, १९५७ तक थानेदार पुलिस ने कुछ व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली है ? यदि हां, तो कितनों की और उसका आधार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इस अवधि में कुल ८६ व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोली गयीं इनके खोलने का आधार अभियोगों में दण्डित होना अथवा सन्देह होना था ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि किस किस्म की शिकायतें ऐसी होती हैं जिनके अनुसार हिस्ट्री शीट खोली जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न नियम से सम्बन्धित है । आपको स्वयं नियम जानना चाहिये ।

*१४-१५--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[छठवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एण्टी-करप्शन जिला खीरी द्वारा शिकायतों की जांच

*१६--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक कितने मामलों की जांच डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऐन्टी करप्शन, जिला खीरी ने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में इस अधिकारी ने ४३ शिकायतों में जांच की है ।

*१७--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितनी शिकायतें सही तथा कितनी शिकायतें गलत सिद्ध हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९ शिकायतें गलत सिद्ध हुईं ।

*१८--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त आफिसरों को ऊंचे अधिकारियों जैसे जिलाधीश इत्यादि के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । उक्त अधिकारी को पुलिस तथा अन्य विभागों के केवल नान-गजेटेड पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें जांच के लिये दी जाती हैं ।

*१९-२०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

## बरेली जिले में हिस्ट्री शीटर्स

*२१--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में तहसीलवार कितने हिस्ट्री शीटर्स हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५५ पर)

*२२--श्री शिवराज बहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में उपर्युक्त जिले में कितने लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७ में बरेली जिले में १४४ व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोली गई ।

श्री शिवराज बहादुर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की जहमत गवारा करेंगे कि इन लोगों में से कितने ऐसे हिस्ट्रीशीटर्स हैं जिनको मुख्तलिफ जरायम में सजा हो चुकी है और कितने ऐसे हैं जिनका ऐक्विटल हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय इसकी तफसील मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य चाहें तो मैं मंगा सकता हूं ।

श्री गेंदा सिंह---इस जिले में हिस्ट्रीशीटर्स की संख्या बढ़ रही है या घट रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय जितने हिस्ट्रीशीटर्स हैं उनकी संख्या तो मेरे पास है । घटने बढ़ने का कोई तुलनात्मक अध्ययन मैंने अभी नहीं किया है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १४४ व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध पोलिटिकल पार्टीज से है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हिस्ट्रीशीट किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि उन आदमियों से ताल्लुक रखता है जो उस तरह के काम करते हों, फिर वह चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध भी क्यों न रखते हों ।

## गोंडा जिले के कत्लों का ब्यौरा

*२३---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सितम्बर, सन् १९५७ में कितने कत्ल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुल ८ कत्ल हुए ।

*२४---श्री बलदेवसिंह---उनमें से कितने दिन में तथा कितने रात में हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---६ रात्रि में तथा २ दिन में हुए ।

*२५---श्री बलदेवसिंह---कितने में पुलिस ने चालान किया और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३ मुकदमे चालान हो चुके हैं । अभी तक फाइनल रिपोर्ट किसी मुकदमें में नहीं लगायी गयी ।

श्री बलदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २ कत्ल दिन में हुए उनके नाम क्या हैं और उनकी हत्या के अभियोग में किन-किन व्यक्तियों का चालान हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तफसील तो मेरे पास नहीं है कि जो २ कत्ल दिन में हुए वह कौन से हैं । लेकिन वह आठों कत्ल मैं सुना सकता हूं ।

श्री बलदेवसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये आठ कत्ल किन-किन व्यक्तियों के हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक थाना मनकापुर में श्रीमती धनदेई, विधवा रामदास कुर्मी, निवासी ग्राम बल्दनपुरवा मजरे कुड़ासन, थाना मनकापुर, जिला गोंडा । दूसरा थाना कोतवाली में श्री गोवरे, उपनाम रामफेर पुत्र श्री किशनदास बरवार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा । तीसरा थाना कोतवाली में श्री रामहेत पुत्र महावीर बाबू, निवासी ग्राम गुरदासपुरवा मजरे मांझ तरहर, थाना कोतवाली, गोंडा । चौथा थाना बलरामपुर में श्री बाबा राममिलनदास चेला बाबा जैकरनदास, निवासी ग्राम मसजिदिया, थाना बलरामपुर, जिला गोंडा तथा श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामशरण दुबे, निवासी मुहल्ला पक्का बाजार,

[श्री कमलापति त्रिपाठी—]

थाना कोतवाली बस्ती, जिला बस्ती यह दोनों साथ मार डाले गये थे। पांचवां थाना इटियाथोक में श्री मुकुटनारायण, पुत्र श्री मान प्रसाद, निवासी ग्राम फत्तेनगर, थाना, तुलशीपुर, जिला गोंडा। छठवां थाना करनैलगंज में श्रीगंगानन्दन, नाती चेला बाबा सोमबारपुरी निवासी ग्राम गुडसरी, थाना करनैलगंज, जिला गोंडा। सातवां थाना वजीरगंज में श्री महादेवसिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह, निवासी ग्राम भानपुर, थाना सोनहा, जिला गोंडा। आठवां थाना पचपेड़वा में श्री लोटन, पुत्र श्री झोथू अहीर, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना पचपेड़वा, जिला गोंडा।

*२६-२७—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-३०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

## हाथरस के कुश्ती दंगल में दंगा

*३१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में कुश्ती दंगल के समय एक दंगा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस दंगे में ३५ व्यक्ति घायल हुए और तीन व्यक्तियों की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी।

*३२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि जब पंडाल में हजारों दर्शकों के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों की कुश्ती हो रही थी उस समय अन्दर कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित नहीं थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। कुश्ती के समय पंडाल में एक सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल तथा १२ पुलिस के सिपाही तथा प्रांतीय रक्षक दल के २० रक्षक थे।

## गोंडा जिले के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कम्पलेंट्स द्वारा मामलों की जांच

*३३—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (कम्पलेन्ट्स) द्वारा सन् १९५६ तथा १९५७ में अब तक कुल कितने मामले जांचे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोंडा के डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) द्वारा सन् १९५६ (१-२-५६ से ३१-१२-५६ तक) में २७ मामले और सन् १९५७ (१-१-५७ से १५-१२-५७ तक) में ११७ मामले जांचे गये।

*३४—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—उपर्युक्त मामलों में से कितने मामले पुलिस विभाग के थे और शेष दूसरे किन-किन विभागों के कितने-कितने मामले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५६ में जांचें गये मामलों में से ९८ पुलिस विभाग, २२ माल विभाग, २ जुडीशियरी विभाग, २ आबकारी विभाग, २ पंचायत राज और १ कृषि विभाग, से सम्बन्धित थे। सन् १९५७ में जाचे गये मामलों में से १०९ पुलिस विभाग, ५ माल विभाग, २ मेडिकल और १ सार्वजनिक निर्माण विभाग, से सम्बन्धित थे।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि डी० एस० पी०, ऐन्टी करप्शन, जांच स्वत : करते हैं या किसी के आदेश पर करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस के महकमे से सम्बन्धित जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच तो वे स्वयं भी कर सकते हैं और जो एस० पी० के द्वारा आती हैं, उनकी भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे महकमे की जो शिकायतें आती हैं उन महकमों के जिले के जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा शिकायत भेजे जाने पर ही, जांच की जाती है ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला ऐन्टी करप्शन कमेटी के आदेश पर कोई जांच वे कर सकते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐन्टी करप्शन कमेटी के आदेश का सवाल पैदा होता नहीं। मामले उसमें आते हैं। एस० पी० और कलेक्टर के सामने वह उनकी सिफारिश भेज देती है और उनके निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्री गेंदा सिंह---पिछले दो तीन वर्षों से यह योजना चल रही है, इसकी कार्यवाही को देखते हुए, जिस उद्देश्य से सरकार ने इस योजना को चलाया था उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुत दूर तक सफलता मिली है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माल विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जो डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) ने मुकदमे चलाये उनमें कितनों को दंडित किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ज्यादा तफसील तो नहीं है लेकिन माल विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध २२ शिकायती पत्र आये जिनमें सब की जांच हो चुकी है। उनमें १६ शिकायती पत्रों के आरोप सही पाये गये। ११ लेखपाल, ३ कलेक्शन अमीन, और २ अहलमद दंडित किये गये ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---इन दंडित कर्मचारियों के दंड का तरीका क्या रहा ? उनको बरखास्त किया गया, तबादला किया गया या यों ही जांच करके केवल हिदायत करके ही छोड़ दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुनासिब दंड जितने होते हैं, जितने प्रकार के, वह अपराध के अनुसार, जो उचित होता है, वह दिया जाता है ।

## गणेशशंकर विद्यार्थी पार्क, कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति स्थापित करने का सुझाव

*३५---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी पार्क, कानपुर में हाल में ही हटायी गयी विक्टोरिया की मूर्ति के स्थान पर अमर शहीद, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की पूर्ण आकार मूर्ति स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शासन की ओर से ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह स्थान, जहां विक्टोरिया की मूर्ति पहले थी, वह खाली पड़ा रखने का सरकार का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---खाली तो पड़ा रहेगा ही । जब तक उसका कोई उपयोग नहीं होगा तब तक वह जगह खाली पड़ी रहेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार प्रश्नकर्ता के इस सुझाव को प्रस्तावना समझ कर इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी जी की मूर्ति की स्थापना का प्रबन्ध वहां एक विद्यार्थी स्मारक समिति कर रही है। इस पेडस्टल पर उनकी मूर्ति स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस उद्यान में गणेशशंकर विद्यार्थी के नाम से साइनबोर्ड होते हुए भी जयपुरिया के साइनबोर्ड भी प्रशासक की आज्ञा से, "जयपुरिया साइनबोर्ड" लगा दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तो कोई सूचना मुझे है नहीं।

## प्रतापगढ़ जिले में पुलिस विभाग के दंडित कर्मचारी

*३६—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पुलिस विभाग के कितने कर्मचारियों को अप्रैल, १९५७ के पश्चात् मुअत्तल या बरख्वास्त किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अप्रैल, १९५७ के पश्चात् १ सब-इंसपेक्टर बर्खास्त किया गया और ६ कांस्टेबुल मुअत्तल किये गये।

## ज़िला जे० टी० सी० शिक्षक संघ, उन्नाव के मंत्री का-वेतन क्रम के सम्बन्ध में पत्र

*३७—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास मन्त्री जिला जे० टी० सी० शिक्षक संघ, उन्नाव का कोई प्रार्थना-पत्र जिले के जूनियर हाई स्कूलों के समस्त जे० टी० सी० शिक्षकों को राजकीय संशोधित वेतन-क्रम प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मई, १९५७ में आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। शिक्षा संचालक को मिला है।

*३८—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के केवल ४३ जे० टी० सी० शिक्षकों को ही संशोधित वेतन-क्रम प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां अवशेष अध्यापकों को बोर्ड धनाभाव के कारण संशोधित वेतन-क्रम देने में असमर्थ है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि राजकीय आदेश द्वारा समस्त प्रादेशिक जे० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों को जुलाई, १९५५ से नया ग्रेड प्राप्त होना चाहिये और इस अतिरिक्त होने वाले धन को सरकार को देना चाहिये था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार को जो धन अतिरिक्त देना चाहिये वह देती है, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कोई जूनियर हाई स्कूल सरकार की आज्ञा के बगैर खोल ले तो फिर उसका भार उसे वहन करना चाहिये। जितने स्कूलों को हम खोलते हैं उनका भार हम वहन करते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—जिन ४३ अध्यापकों को नया ग्रेड प्राप्त हो रहा है उनके अतिरिक्त दूसरे विद्यालयों में भी जे० टी० सी० अध्यापक कार्य कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि उनको नया वेतन-क्रम नहीं दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो स्कूल खोले और जिन अध्यापकों को एक जुलाई, १९५५ को रखा उन सब का बोझा सरकार ने लिया और जो नया ग्रेड दिया गया उसके लिए अतिरिक्त धन बोर्ड्स को देते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा बोर्ड जे० टी० सी० के अध्यापकों को बिना सरकार की स्वीकृति के रखते हैं तो फिर उनका वेतन उनको देना चाहिये और हम सरकार की ओर से यह आग्रह करेंगे कि उन्हें वे यह वेतन दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह संशोधित वेतन-क्रम और पूर्व के वेतन-क्रम में क्या अन्तर ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि जे० टी० सी० अध्यापकों का संशोधित वेतन-क्रम अब ६६—११६ हो गया, पहले शायद ४५–८० तक था।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह सही है कि राजकीय आदेश यह है कि जे० टी० सी० ट्रेंड अध्यापक ही जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक रह सकेंगे ? अगर इस प्रकार का आदेश है तो फिर उस आदेश की पूर्ति के लिए सरकार अतिरिक्त धन क्यों नहीं प्रदान कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंनें निवेदन किया कि सरकार जितने स्कूल खुलवाती है, उनमें जितने अध्यापक रखे जाते हैं उनको वेतन दिया जाता है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और नये स्कूल खोल देते हैं उनका वेतन उनको देना चाहिये।

## रामचरित मानस बटवाने के संबंध में कथित अनुदान

*३९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा १९५२–५३ ई० में रामचरित मानस रामायण को छपवा कर बटवाने के लिये कोई ग्रान्ट मंजूर हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४०—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १२ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## ग्राम औसरे, जिला फर्रुखाबाद में नान–गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना

*४२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Under Scheme no. 9 of Second Five-Year Plan of Educational Development के अनुसार ग्राम सभा औसरे, तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में non-Government Junior High School खोलने की योजना थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, योजना है और जिला परिषद् उसको कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन सी कठिनाइयां हैं जिला परिषद् के सामने जिन के रहते हुए वह विचार नहीं कर सकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो सूचना है उस के अनुसार विद्यार्थी काफी संख्या में नहीं मिले, बाकी तफसील को एन्क्वायरी में कर रहा हूं।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रादेशिक सरकार ने कोई धनराशि स्वीकार की है? यदि हां, तो वह कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कितना अनुदान है यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अनुदान स्वीकार किया गया है।

## पीलीभीत नगर में श्री राधेश्याम की सदर अस्पताल में मृत्यु

*४३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ व ३० जून, १९५७ की रात को कोई व्यक्ति पीलीभीत शहर में सड़क पर मरा पाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई व्यक्ति सड़क पर मरा हुआ तो नहीं मिला, परन्तु मुहल्ला बाग गुलशेर खां में मन्दिर के पास बेहोशी की हालत में करीब एक बजे रात एक व्यक्ति अवश्य मिला। पुलिस द्वारा उसे सदर अस्पताल में पहुंचाया गया मगर वहां पहुंचकर वह किसी इलाज किये जाने के पूर्व ही मर गया।

*४४—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार उक्त व्यक्ति का नाम तथा Post-mortem examination की रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त व्यक्ति का नाम श्री राधेश्याम था। पोस्ट मार्टम निरीक्षण की रिपोर्ट बड़ी लम्बी है, माननीय सदस्य उसे कार्यालय में देख सकते हैं। मृतक के शरीर पर कुछ चोटें थीं। अनुमान है कि मृत्यु का कारण दम घुटना (Asphyxia) था। यह पता लगाने की गरज से कि दम घुटने का कारण क्या था मृतक की आंतें केमिकल एक्जामिनर (Chemical Examiner) को निरीक्षण के लिए भेजी गयी हैं।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिली हुई राधेश्याम की लाश के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच तो उनकी पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट है। उनकी आंतें भी केमिकल एक्जामिनर के पास भेजी गयीं।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—पुलिस द्वारा कोई जांच की गयी या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस द्वारा जांच करायी गयी जिसमें उनके दामाद और कुछ रिश्तेदारों ने बयान दिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके मरने का कारण भुखमरी थी या बीमारी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

## पीलीभीत जिले में तहसीलवार निजी आग्नेय अस्त्रों की संख्या

*४५—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले में म्युनिसिपैलिटीज के अलावा हर तहसील में कितने कितने Private Fire-arms हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ब्यौरा निम्न प्रकार है :---

| नाम तहसील | | | प्राइवेट शस्त्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| तहसील पीलीभीत | .. | .. | ४३८ |
| तहसील बीसलपुर | .. | .. | ३५४ |
| तहसील पुरनपुर | .. | .. | ३९७ |

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बीसलपुर का रकबा और आबादी अधिक होते हुए भी लाइसेन्स कम क्यों हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो मैं नहीं कह सकता, माननीय सदस्य अधिक जानते होंगे। शायद बीसलपुर में ज्यादा लोगों को लायसेंस की ख्वाहिश न होगी या वे इस लायक न हों कि उनको लाइसेंस दिया जा सके।

## कानपुर जिलान्तर्गत सन्दन के पुरवा की कथित डकैती की जांच

*४६---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या, सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २९-३० जुलाई की रात में सन्दन का पुरवा मगरा औन्डेरी, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर, में कोई डकैती हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह अभी विवादास्पद है कि घटना डकैती की थी अथवा नहीं। मामले में जांच जारी है।

*४७---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस सम्बन्ध में जो शिकायत गृह मन्त्री को प्राप्त हुई है उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जैसा कि प्रश्न ४६ के उत्तर में बताया गया है, मामले की जांच की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत उनके पास आयी थी वह डकैती के सम्बन्ध में ही थी या किसी अधिकारी की भी शिकायत आयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो पहले रिपोर्ट आयी थी वह चौकीदार के द्वारा आयी थी और चौकीदार ने यह कहा था कि अमुक व्यक्ति ने मुझ से यह कहा है कि थाने पर यह रिपोर्ट करो कि हमारे घर डकैती हुई है, जेवर और रुपया चोरी गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मन्त्री जी के पास एक शिकायत आयी थी। तो मैं यह पूछना चाहता था कि जो शिकायत आयी थी उसमें सिर्फ यही निवेदन किया गया था कि डकैती की जांच कर ली जाय कि डकैती है या किसी अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत थी कि उसकी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास जो शिकायत आयी थी वह जांच के लिए भेज दी गयी है। मैं समझता हूं कि जिस स्टेज पर इस पर कार्यवाही हो रही है उसमें कुछ अधिक बताना मुनासिब नहीं होगा।

*४८-४९---श्री उग्रसेन---[१९ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

## देवरिया जिले की डकैतियों का ब्यौरा

*५०—श्री उग्रसेन—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में १–४–५७ से अब तक—

(क) कितनी डकैतियां हुई हैं ?

(ख) किन-किन स्थानों में हुई हैं ?

(ग) कितने में बन्दूक का प्रयोग किया गया है ?

(घ) कितने मूल्य का सामान लूटा गया है ?

(ङ) कितनी मृत्युएं हुई हैं ?

(च) इनके सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) देवरिया जिले में तारीख १–४–५७ से अब तक ९ डकैतियां हुई हैं।

(ख) यह डकैतियां निम्नलिखित स्थानों में हुई हैं—

(१) ग्राम पकड़ी
(२) ग्राम गढ़वा मिश्र
} अन्तर्गत थाना लार।

(३) दनउर
(४) जगरनाथ छपरा
(५) चकौर फकीर
(६) पिपरा दक्षिण
} अन्तर्गत थाना खामपार।

(७) ग्राम रामपुर लाला, थाना कोतवाली।

(८) ग्राम रुस्तमपुर, थाना तरकुलवा।

(९) ग्राम पिपरहिया, थाना गौरी बाजार।

(ग) सात में बन्दूक का प्रयोग किया गया।

(घ) सब डकैतियों में कुल ८,६४५ रुपया ९ आना का सामान लुटा है।

(ङ) ५ मृत्युएं हुई हैं।

(च) उनके सम्बन्ध में १०३ गिरफ्तारियां हुई हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले भर की ९ डकैतियों में से ४ जो अकले खामपार थाने में हुई हैं इसके विशेष कारणों की कोई जांच उन्होंने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारणों की जांच तो डकैतियां हुई हैं यही कारण है।

श्री उग्रसेन—९ डकैतियों में से ४ उस थाने में हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तो मैंने इस समय कोई जांच की नहीं।

श्री उग्रसेन—९ डकैतियों में से ७ में बन्दूकों का प्रयोग किया गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी सूचना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाके में कोई विशेष डाकुओं का दल सक्रिय है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी शिकायत है और उस के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी इस के सम्बन्ध में निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की कोई कान्फ्रेंस बुलाने की बात सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश की सरकार अपने को इस खतरे का मुकाबला करने के लिए काफी योग्य समझती है और कोई कान्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं समझती।

श्री गेंदासिंह—क्या गृह मन्त्री जी को इस की जानकारी है कि इन डकैतियों में बिहार के लोग ज्यादा शामिल होते हैं और इसलिए वह बिहार सरकार से सहयोग करने की अपील करेंगे ताकि इन डकैतों को पकड़ा जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस पर जो भी मुनासिब कार्यवाही हो सकती है, की जा रही है ?

*५१-५२—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

## आजमगढ़ जिले में राजकीय प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों का बकाया वेतन

*५३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के कुछ राजकीय प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों का वेतन सन् १९४९ से बकाया पड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*५४—श्री विश्रामराय—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई, १९५७ में कितना वेतन चुकता किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१,३१६ रु० १० आने।

*५५—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शेष बकाया वेतन अब तक क्यों नहीं चुकता किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब किसी का वेतन बकाया नहीं है किन्तु कुछ शिक्षकों की यह शिकायत है कि मनीआर्डर द्वारा भेजा हुआ रुपया उन को नहीं मिला। इस की जांच हो रही है।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९४९ में कितना वेतन बकाया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९४९ में ३,२७१ रु० १० आना बकाया था जिसमें १,३१६ रु० १० आना २९ अध्यापकों का बकाया था और ४० अध्यापकों को १,९५५ में मनी आर्डर से रुपया भेजा जा चुका है।

*५६-५७—श्री प्रतापसिंह—[चौथे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५८—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१९ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

## लखनऊ में पुलिस वालों की गिरफ्तारी के कारण

*५९—श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इधर लखनऊ में जो पुलिस की गिरफ्तारी हुई है उसका कारण क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उच्च अधिकारियों द्वारा दिये आदेशों को न मानना तथा पुलिस में घृणात्मक भावना फैलाना।

*६०—श्री देवी प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—पुलिस वालों की मांगे क्या थीं और उनको सरकार कहां तक मानने को तैयार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :—

(१) बाहरी व्यक्तियों को उन के नान गजेटेड पुलिस एसोसिएशन का पदाधिकारी बनाने की अनुमति दी जाय तथा उन के द्वारा बनाये गये एसोसिएशन को मान्यता दी जाय।

(२) कुछ सब-इन्स्पेक्टरों और जी० ओ० लाइन्स का तबादला कर दिया जाय।

(३) एसोसिएशन के पदाधिकारियों का तबादला पांच वर्ष तक स्थगित कर दिया जाय।

सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है।

*६१—श्री देवी प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—इस समय क्या परिस्थिति है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्थिति पूर्णतया काबू में है। गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।

*६२—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

## सरकारी व असरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों का समान स्तर रखने की प्रार्थना

*६३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को सरकारी संस्थाओं के समान स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या निश्चय किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी कोई निश्चय नहीं किया।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि है, तो वह कब तक उसका निश्चय करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार बराबर ही इस प्रश्न पर विचार करती रही है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार ने इस बात के जानने का प्रयत्न किया है कि यदि गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों का वेतन-क्रम सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम के बराबर किया जाय तो सरकारी कोष से कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कुछ हिसाब लगाया गया है। बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। अगर उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में यह वैषम्य मिटाया जाय तो ८२ लाख ११ हजार रुपया रेकरिंग खर्च होगा और यदि सरकारी हिसाब से जो मंहगाई भत्ता दिया जाता है वह भी दिया जाय तो २० लाख २५ हजार रुपया और खर्च होगा। यानी सिर्फ माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वैषम्य को मिटाने के लिए १ करोड़ कुछ लाख रुपया रेकरिंग खर्च पड़ता है, और ऐसा ही हिसाब और लगाया गया है। खासी रकम उससे बढ़ती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का वेतन-क्रम समान नहीं हो जाता, उस समय तक के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों का वेतन-कम है, सरकार उस को बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न तो सरकार के सामने रहता है और सरकार इस पर विचार करती रही है चूंकि यह मैनडेटरी क्लाज बनाया गया है। पिछले ८–१० वर्ष में बराबर स्कूल खुलते रहे हैं और यथासम्भव और यथाशक्ति अध्यापकों की सुविधा की वृद्धि का प्रयत्न किया जाता रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह कब तक आशा की जाय कि इस सम्बन्ध में सरकार अन्तिम निर्णय पर पहुंच जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब तक आर्थिक स्थिति अपनी इतनी सुदृढ़ न हो जाय कि इस वैषम्य को मिटाया जा सके।

## आगरे में महिला डिग्री कालेज की आवश्यकता

*६४—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या शिक्षा मंत्री के समक्ष आगरा में महिलाओं के लिये एक डिग्री कालेज की बड़ी मांग विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*६५—श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—[१९ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## बुलन्दशहर जिले में बन्दूक के लाइसेंसों का रिन्युअल

*६६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में बन्दूक के लाइसेंस, जो दिसम्बर सन् १९५६ में रिन्युअल के लिये जमा कराये गये वह कितने दिनों बाद लोगों को वापस किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिस दिन रिन्युअल के लिये लाइसेंस प्रस्तुत किये गये, उसी दिन वापस कर दिये गये थे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि बुलन्दशहर जिले में जो लाइसेंस सन् १९५६ में जमा किये गये सन् १९५७ में बराबर पूरे महीने तक वापस नहीं हुये, और कुछ ऐसे लाइसेंस भी हैं जो जनवरी सन् १९५८ में वापस किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो रिपोर्ट है वह, मैंने उत्तर में निवेदन किया, कि जिस दिन रिन्युअल के लिये प्रस्तुत किये गये उसी दिन वापस कर दिये गये। अगर माननीय सदस्य किन्हीं उदाहरणों को देंगे तो इसकी एन्क्वायरी कर ली जायगी।

## लखनऊ में पुलिस हड़तालियों की गिरफ्तारी

*६७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५७ में लखनऊ पुलिस की हड़ताल के सम्बन्ध में कितने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने अनुशासन की कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही नहीं की गई। किन्तु ६५ कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में धारा २९ पुलिस ऐक्ट, धारा ३ पुलिस ( इंसाइटमेंट टु डिसएफेक्शन ) ऐक्ट, धारा ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट तथा धारा १४७ भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुलिस हड़ताल के बाद लखनऊ से पुलिस का बहुत बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण बाहर किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ६५ पुलिस कर्मचारियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को न्यायालय से वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुकदमा चल रहा है। वापस लेने का क्या सवाल है।

श्री गेंदा सिंह—जिन लोगों के ऊपर यह मुकदमा चल रहा है क्या ये लोग अभी हवालात में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इनमें से एक जमानत पर छूटा है ।

## बस्ती जिले में डिग्री कालेज खोलने की मांग

*६८—श्री सीताराम शुक्ल ( जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले में एक भी डिग्री कालेज नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*६९—श्री सीताराम शुक्ल—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में शीघ्रातिशीघ्र डिग्री कालेज खोलने पर बिचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार बस्ती जिले में किसी कालेज को उचित सहायता देने पर बिचार कर रही है ताकि उसके प्रबन्धक उसे डिग्री कालेज बना सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिग्री कालेज बनाने पर सरकार कोई आर्थिक सहायता नहीं देती । अगर डिग्री कालेज बन जाय और २, ३ साल तक वह अच्छी तरह चल जाय तो फिर सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार करती है ।

## बन्दी सम्मेलन पर व्यय तथा शाहजहांपुर के निकट बस दुर्घटना में बंदियों की मृत्यु

*७०—श्री रामसिंह चौहान वैद्य ( जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दी सम्मेलन बुलाने का क्या उद्देश्य था और उसमें कितना व्यय हुआ ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य यह था कि बन्दी तथा मुक्त बन्दी स्वयं बतायें कि जेल में रहकर उनको सुधार के क्या अवसर मिले और उनकी राय में ऐसे कौन उपाय किये जा सकते हैं जिन से बन्दियों का सुधार हो । इसमें लगभग ५,५०० रुपये का व्यय हुआ है ।

*७१—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या इसके लिये विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? उन और उस पर कितना व्यय हुआ और देशी पत्रकारों पर कितना व्यय हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । संसार में अपने प्रकार के इस अद्वितीय सम्मेलन के प्रचार हेतु विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था । इन पर ६१२ रुपये का व्यय हुआ । देशी पत्रकारों को बुलाने में कुछ भी व्यय नहीं हुआ ।

*७२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या यह सच है कि सम्मेलन से लौटने पर शाहजहांपुर के पास बस दुर्घटना में बहुत से बन्दी घायल हुये और मर गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके नाम, अवस्था व पते सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—बस दुर्घटना में कोई बन्दी नहीं मरा । केवल तीन बन्दियों को हल्की चोटआयीथी जिनका ब्यौरा निम्नांकित है:—

| नाम | अवस्था | पता |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | वर्ष | |
| १—गनेशी .. | ३७ | गांव व थाना मुरादनगर, जिला मेरठ । |
| २—लल्लू .. | २६ | गांव निबादा बिल्सारी, थाना फरीदपुर, बरेली । |
| ३—मकबूल .. | ३७ | गांव व थाना मऊआइमा, जिला इलाहाबाद । |

श्री झारखंडेराय ( जिला आजमगढ़)—इस सम्मेलन में बन्दी किस नियम के आधार पर लाये गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसमें किसी नियम का सवाल नहीं था । मुख्तलिफ जेलों को लिखा गया कि इस तरह के कैदी जो भाग ले सकते हों, उनको भेज दिया जाय ।

श्री वीरेंद्र वर्मा ( जिला मुजफ्फर नगर)—इस प्रकार के कितने बन्दियों ने इसमें भाग लिया ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई ५० के करीब बन्दी और बाकी मुक्त बन्दी उसमें थे ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या इन बन्दियों से उनके कत्ल की आदत वगैरह के पराक्रमण के बारे में रेडियो पर लेक्चर भी कराया गया था ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे इसकी कोई खबर नहीं है ।

*७३-७४—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—[१६ फरवरी, १६५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

## सरकारी गर्ल्स इंटर कालेज, बिजनौर में बिजली की व्यवस्था न होना

*७५—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बिजनौर में सरकारी गर्ल्स इन्टर कालेज में अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*७६—श्रीमती चन्द्रावती—यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था में शीघ्र ही बिजली की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिजली लगाये जाने की योजना आर्थिक कठिनाइयों के कारण समाप्त कर दी गई है ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि बिजनौर की उक्त संस्था के प्रिन्सिपल के द्वारा किस वर्ष में बिजली के लिये लिखा-पढ़ी की गई थी और उसका तखमीना क्या आया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

## अतारांकित प्रश्न

### कानपुर जिले में नरवल ट्रेनिंग स्कूल में परिगणित मास्टरों के साथ कथित अस्पृश्यता का व्यवहार

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि नरवल ट्रेनिंग स्कूल ( जिला कानपुर ) के परिगणित मास्टरों को जो ट्रेनिंग पा रहे हैं अन्य हिन्दुओं की भाँति सरकारी बाल्टी नहीं छूने दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

### इटावा जिले में गवर्नमेंट कालेज के अध्यापक

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के गवर्नमेंट कालेज में कुल कितने मास्टर हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड व परिगणित जातियों के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, इटावा में प्रधानाचार्य सहित ३२ अध्यापक हैं, जिनमें एक परिगणित जाति के हैं ।

---

## अधिक प्रश्नों के स्थगित होने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आज के ७५,७६ सवालों में करीब १५, १६ सवाल स्थगित किये गये हैं, यानी सब पूछे जाने वाले प्रश्नों का १/५ हिस्सा स्थगित है । रोज ज्यादा प्रश्न स्थगित किये जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह यहां पर विवाद की बात नहीं है । आप मेरे पास कार्यालय में आ कर पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा । मैं जब तक फाइल न देख लूं, यहां उत्तर नहीं दे सकता ।

## अन्तरिम उत्तर दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेंद्र वर्मा ( जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों के उत्तर में कुछ माननीय मंत्रियों ने कहा था कि सूचना एकत्रित की जा रही है । क्या दोबारा प्रश्न मुझे करना होगा या सूचना आने पर दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह देंगे ही । अगर किसी के लिये बहुत देर हो जाय तो आश्वासन कमेटी उसे देखती है कि सूचना क्यों नहीं दी । दूसरे, अगर सूचना आ गई तो मन्त्री जी स्वयं भेज देते हैं । फिर भी, माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और प्रश्न को फिर से भेज दें या जो उत्तर दिया गया था उसकी सूचना दे दें तो मैं मन्त्री जी से पूछ लूंगा ।

## देवरिया जिले में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है ।

"गत तीन माह से देवरिया जिले में चेचक का भीषण प्रकोप जारी है । केवल रुद्रपुर में ७०० से अधिक मृत्युयें हुई हैं । गत पखवारे में बरहज नगरपालिका के अन्दर ९ व्यक्ति इस प्रकोप से मरे हैं । सलेमपुर, देवरिया तथा हाटा तहसीलों में यह प्रकोप प्रचण्ड रूप से फैलता जा रहा है । सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिये कोई तत्काल व्यवस्था नहीं है ।

इस कारण जनपद के १० लाख निवासियों का जीवन संकटापन्न स्थिति में है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

वह स्वयं कहते हैं कि ३ महीने से प्रकोप है, इस लिये अभी की बात नहीं है। लेकिन महत्व की बात अवश्य है। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ जानकारी है तो आदरणीय सदन को दे दें।

†कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी, तीनों महीनों में १३६ सीजर्स हुये और ६१ आदमियों की मृत्यु हुई। रुद्रपुर नगर में इसका ज्यादा प्रकोप था। वहां ८,३९७ की आबादी में से ६,०११ लोगों को टीके लगाये गये और ४०८ घरों में डिसइनफ़ैक्शन किया गया। जरूरी बातें रोकथाम के लिये की जा रही हैं। असिस्टेंट डाइरेक्टर भी वहां गये और देखभाल कर मुनासिब इन्तजाम करने की कोशिश की। यह कहना कि रुद्रपुर में ७०० मर गये, मेरी फीगर्स से बिलकुल गलत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अभी मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सुनायी है, वह ठीक नहीं है। वहां व्यापक रूप से बीमारी हुई और कोई देखभाल नहीं की गयी और न कोई नोटिस लिया गया। अभी बरहज में यह प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मन्त्री जी इसकी जांच करा लें। मन्त्री जी ने जो मृत्युओं की संख्या दी है, उसमें बहुत कमी है।

श्री अध्यक्ष---आप मन्त्री जी से परामर्श कर लीजिये। उनको लिखकर या उनसे बात करके जो कुछ करना चाहें करा लें, वह ही समझना है। लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का बिषय नहीं हो सकता। अभी की कोई बात नहीं है, ३ महीने से मामला चल रहा है।

## अविधिपूर्वक लगान वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी का है, जो इस प्रकार है :---

"लोक महत्व के आवश्यक एवं अविलम्ब प्रश्न पर विचार करने के लिये अनुज्ञा।

अविधिपूर्वक लगान वसूली एवं जब कि रबी सन् १३६५ फसली की फसल अभी कटी नहीं है, खेत में है, उसकी भी लगान वसूली से प्रदेश के किसानों में घोर असन्तोष है। अतः इस पर विचार करने के लिये आज्ञा दी जाय।"

ऐसे तो यह बहुत गोलमोल है लेकिन मैं सिर्फ माननीय माल मंत्री जी से इतनी बात जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें जो यह कहा गया है कि "रबी की फसल अभी नहीं कटी है और उसका भी लगान वसूल किया जा रहा है" यह एक आक्षेप किया गया है, तो यह बात कहां तक सच है?

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)---इसकी सच्चाई वैसे ही है, जैसे अंग्रेजी में काक एंड बुल स्टोरीज" (cock and bull stories) कही जाती हैं। ऐसा एक भी इंस्टेंस सूबे भर में वह नहीं बतला सकते।

श्री अध्यक्ष---तो अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला बेवरिया)—इसके सम्बन्ध में कई दरख्वास्तें भी दी गयी हैं, कई मुकदमे भी चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पहले पूछ कर जांच करा लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय माल मंत्री जी स्वयं चले चलें, हम उनको उसका सबूत दे देंगे।

## बाराबंकी जिले में कत्ल, चोरियों और डकैतियों से व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा जी का है जो इस प्रकार है :—

"गत तीन हफ्तों के दरमियान जिला बाराबंकी के ग्राम धमसड़, खपुरवा, आलापुर, कुरौली, शरीफाबाद, रायपुर तथा फतेहपुर में चौकीदार व अन्य लोगों के अनेक कत्ल हो चुके हैं, व डकैतियां पड़ चुकी हैं, चोरी और मामूली मारपीट की गणना असाध्य है। गत ३० जनवरी को ग्राम दरियाबाद जिला बाराबंकी में सड़क पर बन्दूक से एक लेखपाल पर हमला किया गया और सारा सामान लूट लिया गया।

किन्तु इन अशान्ति पूर्ण कार्यवाहियों व आतंकित वातावरण के बावजूद सरकारी प्रबन्ध ढीला व निकम्मा सा हो रहा है। जिले की १० लाख जनता भय से पीड़ित है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है, जिस से उपरोक्त अशान्ति एवं आतंकित अवस्था पर विवाद हो सके।"

इसमें बहुत सी चीजें कई जगह की दी गयी हैं, कोई निश्चित विषय नहीं है जिस पर कोई बहस हो सके, इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं देता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—कई बार मैंने प्रश्न के रूप में भी इसको रखा और जून के महीने में मैंने डी० आई० जी० को भी लिखित रूप में इसकी शिकायत की . .

श्री अध्यक्ष—तो आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

श्री जंगबहादुर वर्मा—श्रीमन्, वहीं पर श्री सियाराम और श्री भगवती प्रसाद का कत्ल हुआ और इस तरह से कत्ल व चोरी डकैती की वारदातें बाराबंकी जिले में और सूबे में बहुत बढ़ गयी हैं।

## कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों पर विवादार्थ समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी आज दिनांक ५ फरवरी, १९५८ की बैठक में यह निश्चय किया है कि अधोलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में निम्नांकित समय निर्धारित किया जाय :—

(१) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (सामान्य विवाद के लिय)—आज दिनांक ५ फरवरी १९५८ का शेष समय, ६ फरवरी, १९५८ तथा ७ फरवरी, १९५८ को सदन के उठने तक।

(२) उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ (तीनों पठनों के लिये)—सोमवार, १० फरवरी, १९५८ ।

(३) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (तीनों पठनों के लिये)—मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ को १ घंटा ।

(४) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ (तीनों पठनों के लिये)—मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ का शेष समय तथा बुधवार, १२ फरवरी, १९५८ को सदन के उठने तक ।

यानी बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक के लिये तारीख ११ का जो बाकी समय है, १ घंटा छोड़कर वह पूरा समय और तारीख १२ का पूरा समय है, जब तक कि सदन न उठे, यह निश्चय हुआ है ।

## कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए निर्धारित समय के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(२) उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ ।

(३) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(४) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्श-दात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(२) उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८।

(३) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(४) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल-संस्थाओं के प्रशासकीय बोर्ड के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—एक दूसरी सूचना मुझे यह देनी है कि उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्थाओं के प्रशासकीय बोर्ड के लिये विधान सभा के ३ सदस्यों के, जिन में एक महिला भी होंगी, निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम होगा :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—१० फरवरी, १९५८ को सायंकाल ५ बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—११ फरवरी, १९५८ को दिन के १० बजे, सचिव विधान सभा के कमरे में । नाम वापस लेने की अन्तिम

[श्री अध्यक्ष]

तिथि तथा समय—१३ फरवरी को २ बजे दिन तक । निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो १४ फरवरी, १९५८ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ३ बजे तक होगा ।

## श्री उग्रसेन द्वारा अपने प्रस्ताव के विषय में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था जिसको आप ने कहा था कि लिख कर दें । उस का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—उस पर कार्यवाही तो प्रस्ताव के नियमानुसार ही होगी । आप नियम देख लें उसके हिसाब से ही वह लिया जायगा ।

श्री उग्रसेन—श्रीमान् जी ने आदेश दिया था लिखकर देने का, वह मैंने दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह मेरे पास आयेगा ही ।

## *दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, सन् १९५६ में एक कानून बना था जिसके द्वारा हमने यह इंतजाम किया था कि बाज-बाज ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें, बजाय इसके कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसे अदालत में बुलाया जाय, इस चीज का इंतजाम हो कि जब मामला तय हो जाय तो मुलजिम जुर्माना अदालत में भेज दे और इस तरह से मामला खत्म हो जाय और वह अदालत जाने की तकलीफ से बच जाय । इस में ३ कानून थे, एक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट भी था, उसके मुताल्लिक भी यह कानून बनाया गया, लेकिन जब हमने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी इसके लिए चाही तो वहां की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने एतराज किया कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की यह तरमीम ठीक नहीं है । उसके बाद हमने जोर दिया कि हमें इसकी जरूरत है तो उन्होंने इस सूरत से इजाजत दी कि अगर वह कानून बना देंगे तो वह सारे देश पर लागू हो जायगा, इस कानून की जरूरत न होगी और इस कानून को हमें तब्दील करना होगा । हमने उनकी यह बात उस वक्त मंजूर कर ली और क्रिमिनल ला (कम्पोजीशन आफ आफेंसेज) (यू० पी० अमेंडमेंट ऐक्ट), १९५६ बनकर लागू हो गया ।

अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसको बदल दिया है अपने मोटर वेहिकिल ऐक्ट को । उसमें उन्होंने तरमीम करके इसी के मुताल्लिक कुछ थोड़े से फर्क के साथ एक अपना कानून बना दिया है और वह कानून अब पूरे हिन्दुस्तान में लागू हो गया है । उसके बाद इसकी जरूरत हुई कि यह जो दफा हमने बनायी थी, उसको तरमीम कर दिया जाय । चुनांचे उन्हीं के कहने से हमने यह सही समझा कि जब उसके लिए दूसरा कानून बन चुका है तो इसकी जरूरत बाकी नहीं रहती । हमने यह तरमीम पेश की है कि यह दफा जो बनी थी उस वक्त, इसकी जरूरत अब नहीं रह गयी और इसको अब निकाल दिया जाय । चुनांचे इसी के लिए सदन में यह कानून पेश किया गया है । मेरे खयाल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर खोज की जरूरत हो या सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत हो । मैं यह समझता हूं कि उसके बन जाने के बाद अब इसकी बिलकुल जरूरत नहीं रह जाती है और जो मैंने कानून पेश किया है मुझे उम्मीद है कि इसको मंजूर किया जायगा ।

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २४ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपनी तरमीम पेश करूं, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं। वह यह कि अव्वल तो यह कानून दो बातों पर आधारित है । एक तो यह कि हमारे यहां का जो क्रिमिनल ला (कंपोजीशन आफ आफेंसेज) (यू० पी० अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५७ है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जो अब सेंट्रल बिल की वजह से रिडंडेंट हो गया है, तो क्या वह उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

नम्बर दो यह कि वह कौन सी ऐसी धाराएं हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के १९५६ के मोटर वेहिकिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट की, जिनके द्वारा हमारा पुराना, १९५७ का क्रिमिनल ला (कंपोजीशन आफ आफेंसेज) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, रिडंडेंट हो गया है ? यह कम्पोजीशन की ताकत गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की किस धारा में दी गयी है ? अगर उसमें कम्पोजीशन की ताकत दी गयी हो तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष---"The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1956, has now made it obligatory upon a court to allow persons accused of offences *inter allia* under sections 112, 113 and 114 of the said Act." यह शब्दावली है ।

श्री सैयद अली जहीर---जी हां । धारा ११२, ११३ और ११४ को अब कंपाउंडेबिल कर दिया गया है । उसकी वजह से भी इसकी जरूरत बाकी नहीं रह गयी है । गवर्नमेंट आफ इंडिया का मोटर वेहिकिल्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५६ बन गया है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---कौन सा सेक्शन है वह ?

श्री सैयद अली जहीर---सेक्शन उसका इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---११४ (ए) ।

श्री सैयद अली जहीर---११४ (ए) ।

श्री अध्यक्ष---जरा इसको साफ कीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर---दफा १३० है अमेंडमेंट की, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९५६ की जिसके जरिये से यह कर दिया गया है कि....

श्री अध्यक्ष---दफा १३० ?

श्री सैयद अली जहीर---

"....making it obligatory for the Court to call upon persons found guilty of offences under the Motor Vechicles Act (except those specified under the Part "A" of Fifth Schedule to the Motor Vehicles Act) to appear by a pleader and not in person, or plead guilty by a fixed date by a registered letter and remit to the court the amount specified by it."

इसके माने यह हैं कि अब यह कर दिया गया है कि कोई शख्स जुर्म करे जिसकी तफसील शिड्यूल में दी हुई है.....

श्री अध्यक्ष---यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं दफा १३० पढ़ रहा हूं, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९५६ को, जो अमेंडमेंट ऐक्ट है ।

श्री अध्यक्ष---दफा ९७ तक मेरे पास है । १३० दफा मेरे पास नहीं है ।

श्री सैयद अली जहीर---मैं कानून मंगा रहा हूं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, ओरिजिनल ऐक्ट में है । मैं उसको पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो ?

श्री अध्यक्ष--हां, ओरिजिनल ऐक्ट में है । धारा १३० का कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं । अमेंडिंग ऐक्ट का बताया जा रहा है कि उसकी दफा १३० है ।

श्री अध्यक्ष--अमेंडिंग ऐक्ट में १३० दफा नहीं है ।

श्री सैयद अली जहीर--मैंने अभी कानून मंगाया है ।

श्री अध्यक्ष--९६ क्लाज में निम्न वाक्य है--

"In the opening paragraph....the word 'shall' be substituted."

श्री सैयद अली जहीर--सिर्फ इतना अमेंडमेंट है । बाकी तो ओरिजिनल सेक्शन है।

"shall appear by a pleader and not in person."

श्री अध्यक्ष--ठीक है ।

(श्री गोविन्दसिंह बिष्ट से) आपका स्पष्टीकरण हो गया अब आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री गोविंद सिंह बिष्ट--मैं जरा देख लेता ।

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन तो उससे सम्बन्धित नहीं है । आप तो प्रवर समिति में विधेयक भेजना चाहते हैं । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, जो आज अमेंडमेंट ऐक्ट आया है यह अपने को आधारित कर रहा है हमारी सरकार के दो ऐक्टों पर । एक भारत सरकार का, दूसरा १९५६-५७ में हम जो एक ऐक्ट लाये थे उस पर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसके उद्देश्य को पढ़ दूं--

"Whereas it is expedient to provide for the composition of certain offences under the Police Act, 1861, the Cattle Trespass Act, 1871, the Hackney Carriages Act, 1879 and the Motor Vehicles Act, 1939...."

श्री अध्यक्ष--आप अपना संशोधन उपस्थित कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--जी, इतना पढ़ने के बाद मैं अपना संशोधन उपस्थित करूंगा ।

"....and to amend the said Acts in their application to Uttar Pradesh;"

श्री अध्यक्ष--आप पहले अपना संशोधन उपस्थित कर दें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है : दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो अपनी रिपोर्ट तीन मास के अन्दर सदन को दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

श्रीमन्, माननीय न्याय मन्त्री जी जो एक नया बिल आज लाये हैं उसके उद्देश्य और कारण में यह दिया है--

"The Motor Vehicles Amendment Act, 1956, has now made it obligatoy upon a court to allow persons accused of offences *tnrer alia* under section 112,

113 and 114 of the said Act to appear by a pleader and not in person or plead guilty by a fixed date by a registered letter and remit to the court the amount specified by it. In view of the provision it is no longer necessary to retain section 5 of the Criminal Law (Composition of Offences) (U.P. Amendment) Act, 1956, which provided for composition of offences under sections 112 to 114 of the Motor Vehicles Act, 1939. It is, therefore, proposed to delete section 5 of the Criminal Law (Composition of Offences) (U.P. Amendment) Act, 1956 and to make consequential amendment in section 6 thereof."

श्रीमन्, हेस्टी लेजिस्लेशन का यह फल हम आज नहीं बल्कि रोज देख रहे हैं । एक चीज मैं आपसे गुजारिश कर दूं । श्रीमन्, देखेंगे, इसमें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९५६ को रेफर किया गया है और उसकी दफा ११२, ११३ और ११४ का जिक्र किया गया है.....

श्री अध्यक्ष—उसमें उनको धारा १३० कहना चाहिये था क्योंकि जो ओरिजिनल ऐक्ट है जिसका कि अमेंडमेंट होता है उसका सेक्शन होना चाहिये । अधिनियम तो वही रहेगा जो पहले था और उस प्रिंसिपल ऐक्ट में १३० सेक्शन है । तो १३० का जिक्र उनको करना चाहिये था, यह आप कह सकते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मेरी बाअदब गुजारिश इससे मुख्तलिफ है और वह यह है कि जो परिभाषा इसमें लिखी है, हो सकता है कि मैं गलती पर होऊं, इसमें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट १९५६ को रेफर करके उसे 'सेड ऐक्ट' कहा गया है और धारा ११२, ११३ और ११४ का जिक्र किया गया है, परन्तु सन् १९५६ के ऐक्ट में ये धारायें ही नहीं हैं । तो मैं गुजारिश यह कर रहा था कि यह बिस्मिल्ला ही गलत है । वह जिस चीज पर इसको आधारित करते हैं वह चीज विद्यमान ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस वगैरह में कोई नुक्स हो सकता है लेकिन वह विधेयक का भाग नहीं है । इसलिए उसके ऊपर बहस तो ज्यादा नहीं हो सकती । आप केवल इशारा कर दें, माननीय मंत्री जी उसको दुरुस्त कर लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं तो महज इसलिए अर्ज कर रहा था कि जिस आधार पर यह बिल लाया गया है वह आधार ही गलत है, वह बुनियाद ही गलत है, फिर वह इमारत कैसे खड़ी रहेगी ?

अब श्रीमन्, दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि पहले, सन् १९५६ में, जैसा हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने यह फरमाया कि ऐसे छोटे-मोटे आफेंसेज होते हैं, जैसे किसी ड्राइवर का फुटबोर्ड ठीक नहीं है या हार्न नहीं बजा, ऐसे छोटे-छोटे आफेंसेज जो होते हैं, इनमें ड्राइवरों को कोर्ट में हाजिर करने में बड़ी दिक्कत होती है । इसलिए आर० डी० ओ० के द्वारा राजीनामा हो जाय, मुकदमा अदालत में न चले इस मंशा से यू० पी० एक्ट नम्बर XII आफ १९५७ लाया गया था । सन् १९५७ में उस ऐक्ट की अहमियत समझी गयी थी और कहा गया कि साहब, हम अपराधों के कम्पोजीशन के अख्तियार दे रहे हैं । एक चीज पिछले साल ठीक समझी गयी इस साल नहीं मालूम बात क्या हुई वह राय उलट गई । जो कल सही समझा गया था, आज उसे गलत बताया जाता है । बहाना यह लिया गया कि चूंकि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट में आलरेडी यह प्राविजन हो चुका है, इसलिये ऐसा किया जा रहा है । सरकार यह कम्पोजीशन की ताकत, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९५६, में होने की बात कहती है । मौजूदा बिल के उद्देश्य और कारण को पढ़ने से यह गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से बाअदब यह पूछना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके मुझे वह धारा बतला दें जिसके अनुसार यह कम्पोजीशन की ताकत दी गयी है । लेकिन, श्रीमन्, अभी तक मंत्री जी इसे बता नहीं सके हैं । उनके पास पूरी मशीनरी है । लीगल रिमेम्बरेंसर हैं, लायब्रेरीज हैं, इतना बड़ा स्टाफ है जब कि हमारे पास कुछ नहीं है । बाजार में कोशिश की कि १९५६ का केन्द्रीय ऐक्ट कहीं से उपलब्ध हो सके मगर नहीं मिला । लायब्रेरी में एक भी कापी नहीं है । मैंने बहरहाल देखा कि वह

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

दफा एग्जिस्ट नहीं करती जिसका कि इसमें जिक्र किया गया है। ऐसा क्यों होता है ? हमसे कहा जाता है कि लेजिस्लेचर में यहां ठंडे दिमाग से बातचीत करो। यह रोड़ा अटकाने वाली पालिसी है अपोजीशन की। अपोजीशन की तो यह आदत ही है। लेकिन असल चीज क्या है ? इसकी तह में मंशा कुछ और है। सन् १९५६ में ओरिजिनल ऐक्ट की दफा ११२ में मेक्जिमम पेनाल्टी १०० रुपये है। इसी तरह से दफा ११३ में २०० रुपये तक मेक्जिमम पेनाल्टी थी। अब भारत सरकार ने उसे बढ़ाया और बढ़ा कर ५०० रु० कर दिया तो हमारी प्रान्तीय सरकार भी लोभ संवरण नहीं कर सकी। यानी मीठा-मीठा हप्प और कड़ुवा कड़ुवा थू। यह भी पब्लिक एक्सचेकर में रुपया लाने के लिये एक तरीका सोचा गया है कि पेनाल्टी लोगों से ज्यादा ली जाय, जुर्माने ज्यादा हों।

एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम जेलों का सुधार कर रहे हैं, कैदियों को रियायतें दे रहे हैं, उनकी सजायें कम कर रहे हैं, बड़े-बड़े स्वांग रचती है। दूसरी तरफ, श्रीमन्, सजाओं में इजाफा हो रहा है, दंड बढ़ रहे हैं, यह तरीका सरकार ने अपनाया है। मैं बाअदब गुजारिश करूंगा कि अगर कत्ल करना हो तो शमशीर से करो ताकि खून दिखाई दे, यह क्या जहर की चीनी लगी गोलियां देकर तड़पा-तड़पा कर मारो। कल ही कहा गया था कि रिफार्मेटरी जेलें होंगी, लेकिन दूसरी धारा जोड़ दी गयी जिसका नतीजा यह होगा कि सुपरिंटेंडेंट की पावर्स बढ़ गयीं कि वह चाहे जितनी सजा दे दे। लेबिल कुछ लगाया जाता है और बोतल के अन्दर जहर भर दिया जाता है। कहा गया कि "कम्पोजीशन की ताकत गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दे रक्खी है। इसलिये हमारा यह ऐक्ट रिडंडेंट हो गया है। इसलिये हमने अपना संशोधन किया और इसको वापस लेते हैं।" आपकी आज्ञा से वह सेक्शन पढ़ दूं जो सरकार डिलीट करना चाहती है। सेक्शन ५ आफ यू० पी० ऐक्ट, नम्बर, १२, आफ १९५७।

"After section 114 of the Motor Vehicles Act, 1939, the following new section shall be inserted :—

114-A. (1) The offences punishable under sections 112 and 113 may be compounded by the Regional Transport Officer, or where he is so authorized by the Regional Transport Officer, by the Assistant Regional Transport Officer" वगैरह वगैरह। मैं उसे ज्यादा पढ़कर सदन का टाइम बरबाद नहीं करूंगा। गरज यह कि आर० टी० ओ० या असिस्टेंट आर० टी० ओ० को जो ताकत दी गयी थी, सरकार जिसको पार साल ठीक समझती थी उसको आज गलत समझती है। तो हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ठंडे दिल से इस पर विचार करे और एक बार जो सहूलियतें सरकार ने ठीक समझीं और उन अपराधियों को दीं, आज क्यों उन्हें वापस लेना चाहती है ? आज यह सरकार सेल्फ कंडेम्ड है अपने पुराने कानून से, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमें तो मूल ऐक्ट ही नहीं मिला, इसलिये माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही कहूंगा कि इस बिल में और भी गलतियां हो सकती हैं, इसके लिये आवश्यक है कि इन गलतियों और खामियों पर अच्छे तरीके से, ठंडे दिमाग से विचार हो और वह तभी हो सकता है जब यह सेलेक्ट कमेटी में जाय और इस तरह के विधेयक जल्दी जल्दी न आयें, यही मेरी गुजारिश है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, .....

श्री अध्यक्ष—आप सिर्फ एक हफ्ते के लिये चाहते हैं, यानी तीसरी लाइन में "३ मास" की जगह "एक हफ्ता" चाहते हैं। क्योंकि एक प्रकार का केवल एक ही प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—जो हां, मैं गोविन्दसिंह जी के संशोधन में, जो ३ मास का है, उसके स्थान पर "एक हफ्ता" रखने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्रीमन्, मंत्री जी का इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण है मैंने वह सुना और उनके ये शब्द भी सुने कि इस कानून में कोई विवादग्रस्त बात नहीं है और उसे जैसा कि विधान परिषद् ने पास किया है, एक घंटे में पास कर लेना चाहिये। यद्यपि मैं विश्वास करता हूं कि इस में बहुत सी बातें और ऐसे कागजात, जिनकी आवश्यकता थी, हमारे पास उपस्थित नहीं थे और इस को जिस रूप में रखा गया उसका पहले से हमको ज्ञान नहीं था।

दूसरे दफा ११४ जिस का संशोधन अब रखने की जरूरत है, वह मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"Whoever being disqualified under this Act for holding or obtaining license, drives a motor vehicle in a public place or applies for or obtains a license or, not being entitled to have a license issued to him free of endorsement, applies for or obtains a license, without disclosing the endorsement made on a license previously held by him or, being disqualified under this Act for holding or obtaining a license, uses in the provinces a license such as is referred to in sub-section 2 of section 9, shall be punishable with imprisonment for a trm which may extend to three months or with fine whieh may extend to hundred and fifty rupees, or with both, and any license so obtained by him shall be of no effect."

तो यह ११४ दफा जिसमें संशोधन पिछले कानून में ए, बी, सी १, २, ३ के रूप में रखे गये थे और जिनकी आवश्यकता साल भर बाद नहीं महसूस की जा रही है, मुझे तो जरा आश्चर्य होता है। केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ अपनी राय दी हो, मुझे तो कोई औचित्य उसमें दिखाई नहीं पड़ता। इन मामलों में यद्यपि कम्पाउंड करने का अधिकार पहले नहीं था और अब दिया जा रहा है। मूल बात तो यों है कि आज हमें इन मोटर सम्बन्धी लाइसेंसों में यह देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स कानपुर जैसे शहरों में उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं और मोटरों के सम्बन्ध में जो उपनियम बने हैं, उनके बावजूद अनेक गरीबों की जानें जाती हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि रात में सोते हुये गरीब भिखारी कुचल दिये जाते हैं और उनका पोस्ट-मार्टम भी नहीं होता है और दफना दिये जाते हैं। मुझे ऐसे केसेज मालूम हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मोटर ओनर्स और ड्राइवरों के बारे में जो सरकार की नीति है वह कहां तक इन निरीह गरीब लोगों के लिये ठीक पड़ती है। वास्तव में होना तो यह चाहिये कि आप के जो यह कानून बनें वह ऐसे हों, जिससे निरीह जनता के साथ न्याय हो सके। इस बात को मद्दे नजर रखते हुये आप कोई सुधार करें।

अभी भी जो कानून सरकार द्वारा इस आदरणीय सदन में पेश किये जाते हैं उनमें एक ही औचित्य दिखा दिया जाता है। आप छोटा सा विधेयक पेश करना चाहते हैं, करें, लेकिन वह ऐसा होना चाहिये कि उसके अंतर्गत जो वृहत् नीति है उसको भी दिखा दिया जाय। इसमें जो संशोधन रखा गया है वह दण्ड विधि अपराध प्रशमन विधेयक, १९५६ में संशोधन है। इसमें हम देखें तो तीन कानून संशोधित किये गये थे, जिनमें पुलिस ऐक्ट और कैटिल ट्रेस पास ऐक्ट वगैरह हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि यदि पिछले कानून को सुधार करने की बात सोची जाय तो सदन को यह अधिकार होना चाहिये कि सदन उसके साथ-साथ उससे संबंधित अन्य कानूनों पर भी अपनी निगाह दौड़ा सके। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जिसमें इसकी परिधि बढ़ाने की भी बात हो और उसके अन्दर निहित कानूनों को भी वह देख सके। इसलिये मैंने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा और यह भी कर दिया कि वह एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार जब कोई लेजिस्लेशन लाये तो यह सोच कर न लाये कि जो मांग है उसी पर विचार किया जाय, बल्कि सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अवसर मिले कि वह उससे संबंधित अन्य बातों को भी देख सके। सरकार को इसके लिये सदन को अधिक अवसर देना चाहिये और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब इस प्रकार के बिल सेलेक्ट कमेटी में जायं जहां पर उनके ऊपर अच्छी तरह से विचार हो सके। अतः यह न हो कि आप कानून के एक टुकड़े को लायें और जल्दी से पास करा लें, बल्कि हाउस को इस सम्बन्ध में पूरा-पूरा मौका दें कि वह उससे संबंधित वृहत् विषय पर खुल कर अपनी राय दे सके।

आज जो अधिनियम पेश है, वह मोटर वेहिकिल्स के बारे में है, इन लायसेंसीज की थोड़ी लापरवाही के कारण गरीब और निरीह जनता को परेशानी होती है और उनकी जान जाती है और यह केसेज आगे जा कर कोर्ट में कम्पाउंडेबिल हो जाते हैं। गरीबों की जान जाती है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की सोचने की है कि मोटरों के द्वारा जो ऐक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें गरीबों की हानि होती है, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है, उसका सुधार कैसे किया जाय। ट्रैफ़िक रूल्स, मैं मानता हूं कि उत्तरोत्तर सुन्दर होते जाते हैं। यह भी मैं मानता हूं कि बड़े बड़े शहरों विदेशों से अनुभव प्राप्त आफ़िशल्स रखे गये हैं और वे नयी-नयी योजनायें सोचते हैं। फिर भी यह देखने में आता है कि बड़े-बड़े शहरों में, दिल्ली तो इस प्रान्त में नहीं माना जायगा, लेकिन कानपुर इसी प्रान्त में एक ऐसा शहर है जहां प्रति दिन ऐसी कई घटनाएं हो जाया करती हैं और साल में ऐसी घटनाओं की संख्या सैकड़ों की तादाद में हो जाती है, इनके लिये क्या होना चाहिये? मैं जानता हूं कि बड़े-बड़े धनी मोटरों के मालिक और उनके ड्राइवर्स मामले के पकड़े जाने के बाद कुछ लीगल क्विबलिंग की वजह से रिहाई पा लेते हैं या बहुत कम सजा उनको होती है जिसके कारण वे अपनी गलती का पश्चात्ताप भी नहीं करना चाहते। इन चीजों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी सुधार करें और उन गरीबों की बात भी सोचे, जिनमें विशेष आवाज उठाने की शक्ति नहीं है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजें जहां इसमें निहित वृहत् नीति का भी विवेचन हो और वह सेलेक्ट कमेटी केवल एक हफ्ते में अपना विचार प्रस्तुत कर सके।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल समझने से माजूर हूं कि जो बहस हुई है उसका क्या ताल्लुक इस कानून से है। जहां तक इन कानूनों के न मिलने का सवाल है, कि माननीय सदस्यों को बावजूद उनकी कोशिश के नहीं मिले, मैं यही कह सकता हूं कि शायद वे यह जानते नहीं थे कि वे कहां मिलेंगे वर्ना अगर वे तलाश करते तो जितने इस किस्म के कानून बनते हैं वे कम से कम गजट में तो जरूर छप जाते हैं और वह गजट हर मेम्बर के पास भेजे जाते हैं। तो अगर जहमत गवारा करते उनको तलाश करने की तो चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कानून हो या इस गवर्नमेंट का हो, गजट में तो यकीनन मिल जाता। बहरहाल, ये चीजें ऐसी हैं जो शाया होती हैं और इसके अलावा कानूनी थ्योरी यह है कि "इग्नोरेन्स आफ ला इज नो एक्सक्यूज"। यानी कानून को हर शख्स को जानना चाहिये चाहे वह वाकई जाने या न जाने।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं सिर्फ़ यह अर्ज करना चाहता हूं कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ असल में केन्द्रीय सरकार का कानून है और उन्हीं का बनाया हुआ है और वे ही इसको लागू करते हैं। हमने यह जरूर समझा कि बाज सजायें जो इसकी दफ़ात ११२, ११३ और ११४ में लिखी हैं ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं, कई दफ़ा कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी तारीख बढ़ा दी जाती है। तो उसकी तरमीम के लिये जब हमने पहले कहा तभी उन्होंने एतराज किया कि वे नहीं चाहते कि कोई ऐसी तरमीम हो जो महज एक सूबे पर लागू हो क्योंकि मोटर तो मुख्तलिफ़ सूबों में जाते हैं। लेकिन हमारे इसरार पर उन्होंने इजाजत दे दी और यह कहा कि अगर हम कोई ऐसी तब्दीली करेंगे तो तुम्हें भी वह करना पड़ेगा। यह हमने मंजूर कर लिया। चुनांचे उन्होंने उसमें तरमीम कर दी। उसके बाद जैसा हमने

उनसे कहा था हमने भी उसमें तरमीम की। उन्होंने जो दफ़ा ९६ बनायी है उसके जरिये से उन्होंने यह कहा कि दफ़ा १३० में बजाय "May" के "Shall" का लफ्ज हो जायगा। इसमें सिर्फ इतनी तब्दीली हुई है कि पहले यह था कि जिसके ऊपर यह जुर्म लगे अदालत अगर चाहे तो उसको मुस्तसना कर दे और वह वकील के जरिये से एपियर हो सके लेकिन यह जरूरी नहीं था। अब हर मामले में जरूर इजाजत देंगे कि बजाय खुद हाजिर होने के वकील के जरिये ऐपियर हो। तो यह मैंने पहले ही कहा कि जितनी सहूलियत हमने मुहैय्या की थी उतने पर वह राजी नहीं हुये। उन्होंने अब जो अपना कानून बदला है, उसमें वह नहीं है जो—कि हम रखना चाहते हैं, लेकिन कानून सरकार का है और उसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। किसी हद तक उन्होंने हमारी बात मंजूर कर ली है और उसमें तब्दीली कर ली है। उनकी जो दफ़ा १३० का दूसरा जुज है वह इस प्रकार है :

"may by a specified date prior to the hearing of the charge plead guilty to the charge by registered letter and remit to the Court such sum not exceeding twenty-five rupees as the Court may specify."

यह उन्होंने अपने यहां रखी है। लेकिन उन्होंने किसी कदर अपने यहां तरमीम कर दी और वह यह समझते हैं कि इतनी ही तरमीम होनी चाहिये। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल से मोटर ऐक्सीडेन्ट्स का क्या ताल्लुक है, जो गरीब आदमी मोटर से पिस जाते हैं और पहचान में नहीं आते, उनका इससे क्या ताल्लुक है। बहरहाल, वह जितनी चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है। जो ऐसा करते हैं वह मुजरिम करार दिये जाते हैं और उन पर कार्यवाही होती है और कोशिश होती है कि यह बातें न होने पायें। लेकिन उनका ताल्लुक इस कानून से नहीं है। यह तो इसलिये है कि जो मामूली किस्म के जुर्म हों उनमें लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो और मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाय और आइन्दा के लिये उन्हें तम्बीह हो जाय। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो तरमीम रखी है, वह तो और ज्यादा सख्त है। हम ने तो ज्यादा सहूलियत कर दी थी कि अगर इस तरह का कोई जुर्म हो तो वह कम्पाउन्ड हो जाय। उन्होंने कहा कि मुकदमा अदालत में हो और अदालत को यह अख्तियार हो, रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और ट्रांस्पोर्ट आफिसर को इस किस्म की कोई पावर न हो। यह उन्होंने अदालत पर छोड़ा है। तो इसके माने यह हैं कि वह सख्ती कायम रखना चाहते हैं मोटर ड्राइवरों के ऊपर ताकि उन दफात में हुये जुर्मों का फैसला ज्यादा सख्ती से हो। तो इस एक दफा के बदलने के सिलसिले में हमको सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती। मैं नहीं समझता कि उसकी क्या जरूरत है। हम ठंडे दिलोदिमाग से यहां भी विचार कर सकते हैं। गरमी की उसमें जरूरत नहीं है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बहुत ही सीधा सा कानून है जो हम इस वजह से लाये हैं कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे डाइरेक्शन हैं और इसमें ज्यादा गौर-खोज की जरूरत नहीं है। एक प्रोसीजर है जो पहले से चल रहा था। इसलिये मैं यह उम्मीद करूंगा कि हाउस इसको मंजूर करेगा और जो संशोधन पेश हैं मैं उनकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट तीन मास के अन्दर सदन को दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो विधेयक की परिधि विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन एक हफ्ते के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि दण्ड-विधि (अपराधों का प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [The Criminal Law (Composition of Offences) (U. P. Amendment) Bill, 1957]. जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थे---श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। चूंकि यह बिल अब पारित होने के लिये इन्ट्रोड्यूस हो चुका है। इसलिये रूल्स के मुताबिक जो इससे सम्बन्धित पेपर्स हैं, वह मेज पर रख जायं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि पेपर्स मिलने की उचित व्यवस्था की जायं।

श्री अध्यक्ष---आप कौन से पेपर्स चाहते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थे---अभी माननीय मन्त्री जी ने केन्द्रीय सरकार का हवाला दिया। केन्द्रीय सरकार ने जो पेपर्स प्रदेशीय सरकार को भेजे हैं और जिनके आधार पर यह बिल यहां पर पेश किया गया है वही पेपर्स हमको दिये जांय।

श्री सैयद अली जहीर---ऐसे कोई कागजात नहीं हैं। जो ऐक्ट के मुताल्लिक खतोकिताबत होती रहती है उसी का मैंने जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष---(श्री मोती लाल अवस्थी से) आपका यह प्रश्न बेबुनियाद नहीं है।

## शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १, २ व ३

### दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७।

यह इष्टकर है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७ की धारा ५ का निकाला जाना।

२---दण्ड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ की, जिसे आगे संशोधन अधिनियम, १९५६ कहा गया है, धारा ५ निकाल दी जाय।

३--संशोधन अधिनियम १९५६ की धारा ६ की उपधारा (१) में--
(क) संख्या "२४-ए" के पश्चात् तथा संख्या "७-ए" के पूर्व शब्द "और" बढ़ा दिया जाय,
(ख) शब्द और संख्या "तथा ११४-ए" निकाल दिये जायं, और
(ग) शब्द "से" और शब्द "तक" के बीच में आने वाली संख्या "५" के स्थान पर संख्या "४" रख दी जाय ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७ की धारा ६ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि ( अपराधों का प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [ The Criminal Law (Composition of Offences ) (U. P. Amendment) Bill, 1957 ], जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि दण्ड विधि (अपराधों का प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [The Criminal Law (Composition of Offences) (U. P. Amendment) Bill, 1957] । जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## *उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वशासन मंत्री (श्री विश्वनारायण शर्मा)--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ [ U. P. District Board (Amendment) Bill, 1958 ]. पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, हमारा विचार तो यह था कि यह विधेयक यहां न लाना पड़ता और जैसा कि आमतौर पर महसूस किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रूपरेखा बिलकुल बदल दी जाती और उनको ज्यादा उपयोगी और ज्यादा कारगर बनाया जा सकता, उसी दृष्टि से हमारा यह ख्याल भी था--एकाध बार इस माननीय सदन के सामने यह बात कही भी गई--कि हम ऐसी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने की बात सोच रहे हैं और शीघ्र ही सदन के सामने एक बिल पेश करेंगे । किन्तु बदकिस्मती से उसमें कुछ देरी हो रही थी और जितनी जल्दी लोग चाहते थे कि कुछ न कुछ निर्णय हो जाय उतनी जल्दी वह नहीं हो सकता था । हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एलेक्शन दुर्भाग्य से बहुत दिनों तक नहीं हो सका । उसके पीछे भी खयाल यही रहा कि जो संशोधन हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में करना चाहते हैं, वे हो जांय, लेकिन कभी किसी एक कारण से और कभी किसी दूसरे कारण से वह समय पर नहीं हो सका और यह बदकिस्मती सामने आयी कि हमें उन पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, जिनके एलेक्शंस सन् १९४८ में हुए थे, अब तक कायम रखना पड़ा । उसके बारे में यह गलतफहमी कहिये या यह धारणा लोगों में फैली हुई थी कि चूंकि वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में कांग्रेस की मेजारिटी है, इसलिये यह गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से उनको कायम रखना चाहती है । यह ठीक नहीं है । इसमें देरी हुई है । यह ठीक है । डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने के लिये भी यह जरूरी होता कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कुछ दिनों चलें । यह भी प्रस्ताव आया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म कर दिये जायं और ऐडहाक

*३-२-५८ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

कमेटीज बनायी जायं, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का खयाल यही रहा कि इस तरह से सरकार कांग्रेस की ताकत को बनाये रखना चाहती है और अपने हाथ में ताकत रखना चाहती है। लिहाजा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के माननीय नेताओं से परामर्श किया और उसके बाद यह निश्चय हुआ कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिये, यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शंस जल्द से जल्द करा दिये जायं और उन्हीं से उस समय यह भी तय हुआ कि चूंकि वर्तमान ऐक्ट के मुताबिक एलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कई चीजें कांस्टीट्यूशन में ऐसी हैं, जैसे रिजर्वेशन आफ सीट्स वगैरह, उनको हम नहीं रख सकते हैं, इसलिये इस ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय और उसी के मुताबिक एलेक्शन करा लिया जाय। उसी विचार के मुताबिक यह वर्तमान बिल आज मैंने इस सदन के सामने पेश किया है। उसकी मोटी-मोटी बातें, बहुत थोड़ी-सी, संक्षेप में मैं कह देना चाहता हूं, वैसे तो मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को कम से कम एक बार पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी सम्भव है किसी महाशय ने न देखा हो।

इसमें एक तो यह सोचा गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के अलावा जो टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज हैं, उनको रूरल एरिया में न करार देकर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एरियाज से पृथक कर दिया जाय। इसमें एक चीज तो यह रखी गयी है। दूसरी चीज यह रखी गयी है कि जो रिजर्वेशन आफ सीट्स खासतौर से मुसलमानों के लिये था, वह भी हम कांस्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं रख सकते हैं, इसलिये उसको भी रिमूव (दूर) कर दिया जाय।

इसके अलावा प्रेसीडेंट का एलेक्शन जो अब तक डाइरेक्ट होता था, अब उसकी जगह इनडाइरेक्ट एलेक्शन होगा। जो चुने हुए सदस्य होंगे वे ही उसका चुनाव कर सकेंगे। यह इसलिये जरूरी हुआ कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में हमने देखा कि चुनाव होने से पहले कांग्रेस का इतना ज्यादा मत था कि उसी तरफ के आदमी चुन कर आते थे, तब तो यह था कि कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी। इस तरह के कई उदाहरण म्युनिसिपल बोर्ड्स के सम्बन्ध में सामने आये हैं, उस दर्जे तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कोई उदाहरण तो सामने नहीं आये, सिर्फ एक जगह को छोड़ कर होता यह है कि डाइरेक्ट एलेक्शन में किसी एक पार्टी का प्रेसिडेंट चुन कर आ जाता है और मेजारिटी जो होती है मेम्बरों की, वह दूसरे पक्ष की हो जाती है। ऐसी हालत में रोज का काम चलना भी नामुमकिन हो जाता है। ख्वाहिश यह होती है कि जो अल्पमत का प्रेसिडेंट है उसके काम को चलने न दिया जाय। यहां तक हुआ कि म्युनिसिपल बोर्ड के बजट तक पास नहीं हो सके और दो-दो, तीन-तीन साल तक इस तरह से काम चलता रहा। यदि ऐसे लोग चुन कर आयेंगे तो वे काम नहीं चला सकेंगे, इसी वास्ते अब डाइरेक्ट एलेक्शन को हटा कर इन-डाइरेक्ट एलेक्शन रखा जा रहा है और एडल्ट फैंचाइज बेसिस पर कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हमने इसको मान लिया है क्वालीफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की बातें भी जो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक असेम्बली के आम चुनाव वगैरह के लिये होती हैं, उन्हीं को हमने इसके लिये भी मान लिया है।

इसके बाद कुछ बहुत मामूली से संशोधन बाई-एलेक्शन वगैरह के सम्बन्ध में किये गये हैं और इन चुनावों का कंट्रोल स्थानीय जिलाधीशों पर न छोड़कर, उस के लिये अलग से एलेक्शन आफिसर्स मुकर्रर किये जायंगे और उन्हीं के मातहत सब जगह के चुनाव होंगे। एलेक्शन पेटीशन्स वगैरह भी कायदे से हो सकें, इसकी गुंजायश भी इसमें रखी गयी है और अन्त में नो-कान्फिडेंस मोशन किस तरह से आयेंगे, इसका भी प्राविजन किया गया है। किस तरह से बोर्ड का डिजोलूशन होगा, अगर करना पड़े, इसका भी प्राविजन किया गया है। इस तरह से बहुत मामूली से संशोधन किये गये हैं और कोई कंट्रोवर्शियल चीज इसमें नहीं लायी गयी है और जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि ५ मिनट के अन्दर विरोधी दल के माननीय सदस्य इसे पास कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र से शीघ्र पास हो जायगा, ताकि हम जल्द एलेक्शन करा सकें। एलेक्शन तो मैं मार्च में ही करा

देता, लेकिन उसके लिये एक आर्डिनेन्स हमें लाना पड़ता और उससे मुमकिन था कि कुछ बद-मजगी हो जाती, इसलिये इसे अब एक बिल का रूप देकर लाया जा रहा है। मैं, अन्त में, सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र इसे स्वीकार करे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक मास के भीतर अपनी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, कुछ बातों के लिये तो मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, जैसे कि उन्होंने अभी जिक्र किया कि जिस तरह से पहले एक ही व्यक्ति नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और जिला बोर्ड के चुनाव में वोट दे सकता था उसे उन्होंने खत्म किया। दूसरे रिजर्व कम्यूनल आधारवाली सीट्स का जो कलंक का टीका था, उसे खत्म किया। परन्तु कुछ चीजें शायद उन के खयाल में नहीं आयीं। तीसरी चीज जो उन्होंने खत्म की है उसका मैं आगे जिक्र करूंगा अभी मुझे याद नहीं आ रही है।

दुख की बात यह है कि १९४८ से अब तक चुनाव नहीं हुये, सन् १९५२ में चुनाव हो जाने चाहिये थे, इसके कारण चाहे उन्होंने कुछ भी बताये हों लेकिन उनके ही कहने से यह बात जाहिर हो गई—वाहे वह इन्कार उससे करें—और वह यह है कि आज वहां कांग्रेस की मेजारिटी है लोग यही दोषारोपण करते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस द्वारा अपने लाभ के लिये पोस्टपोन किये जाते हैं।

आज अधिकांश जिला बोर्डों में बहुमत कांग्रेस का है, कांग्रेसी बोर्ड हैं, कांग्रेस के ही लोग प्रेसीडेंट हैं, उनको वह नाराज नहीं करना चाहते। इन जिला बोर्डों का बड़ा दुरुपयोग हमेशा चुनावों में होता रहा है, मैं खुद इसका शिकार रह चुका हूं। हमारे यहां अभी संसद का चुनाव हुआ, जिलाबोर्ड के प्रेसीडेंट जो विधानसभा के सदस्य भी थे उनके अलावा कोई आदमी कांग्रेस को नजर नहीं आया और एम० पी० का टिकट उन्हीं को दिया गया, उन के चुनाव में खुलेखजाने जिला बोर्ड की जीप का प्रयोग किया गया, यहां तक कि उन की जीप लखनऊ आती थी और कमरा नं० १२ ए के सामने खड़ी रहती थी।

श्री अध्यक्ष—आप नाम न लें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम अभी नहीं आया है, आप देख लें। बहरहाल वहां के जिला बोर्ड की जीप का तथा वहां के टीचर्स का चुनाव में दुरुपयोग किया गया। एलेक्शन में उनको लगाया जाता है। उनसे वोट मंगवाये जाते हैं। जिन टीचर्स ने उनका हुक्म नहीं माना उनको तो निर्वासित जैसा कर दिया गया है। वे अपने घर से बड़ी दूर-दूर भेज दिये गये हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में तरमीमात नहीं लायी गयी। यही वजह थी सरकार अपनी सत्ता को बनाये रखना चाहती है और अन्य चुनावों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तमाम स्टाफ से जायज और नाजायज फायदा उठाना चाहती है। इसलिए तरमीमात न की गयीं और न एलेक्शन अब तक किया गया। नहीं तो कोई वजह नहीं थी। सरकार एक कानून आज लाती है, दूसरे दिन उसमें संशोधन कर देती है। अभी श्रीमन्, एक कानून आया था। १९५६ में एक संशोधन हुआ, १९५७ में दूसरा और अब तीसरा। वही सरकार क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसे मामले में कानून नहीं बना सकती थी? लेकिन चीज यह नहीं है। वहां तो मंशा कुछ और थी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब तो देर मत कराइये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बहरहाल, आप से इसकी खामियों को अर्ज कर दूं । ठीक समझें तो उन्हें ठीक करें मेहरबानी होगी, । वरना हम तो करा नहीं सकते, अगर आपकी मंशा नहीं होगी । जब इस तरह से चुनाव में गड़बड़ होती है । हमेशा एक ही सत्ताधारी पार्टी तो रहती नहीं, आज एक है, कल दूसरी, परसों तीसरी हो सकती है । लेकिन हम जो यह "प्रिसीडेंट" कायम कर रहे हैं कि नियमों को भंग करना ही हमने नियम बना रखा है वह गलत है । १९५२ में जो चुनाव होना चाहिये था, वह १९५२ में नहीं हुआ, १९५३ में नहीं हुआ, १९५४ में नहीं हुआ, १९५५ में नहीं हुआ, १९५६ में नहीं हुआ, १९५७ में नहीं हुआ, और १९५८ आ गया । पता नहीं, १९५८ में होगा या नहीं । पहले मार्च में होने वाला था । अब सुन रहे हैं मई में होगा । खुदा जाने मई का क्या हश्र होगा । प्रजातंत्र में हम अभी एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं । अभी प्रजातन्त्र . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप जनरल व्याख्यान न दें । इस विधेयक पर आ जायं, इसके सिद्धांतों पर आ जायं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं इतना ही अर्ज कर रहा था कि कहीं सत्ताधारी पार्टी के सत्ता के घमंड से किये गये कार्यों द्वारा यह प्रजातंत्र का प्रयोग असफल न हो जाय । मगर उन्हें याद रखना चाहिये जो अंग्रेज

"Rule Britannia; rule the waves,
Britons never shall be slaves."

कहते थे वे भी यहां से रफूचक्कर हो गये ।

श्री अध्यक्ष—आप से मैं कह चुका हूं । अगर आप असंगत भाषण जारी रखेंगे तो मैं आप का भाषण रोक दूंगा । आप विधेयक पर आ जाइये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बोर्ड का क्या स्वरूप हो । इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि बोर्ड के शासन में परिवर्तन करना चाहते हैं । ठीक है होना चाहिये, लेकिन श्रीमन्, क्या जरूरत है इस बोर्ड की ? यह अंग्रेजों के जमाने का बोर्ड बना हुआ है जब अंग्रेज हमको स्वायत्त शासन के ए, बी, सी, डी, सिखाते थे कि कल को लायक हो जाओ तो खुद अपना राज्य कर सकोगे । मैं पूछता हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखने की क्या जरूरत है ? क्यों यह क्लांइब जैसी "डुएल गवर्नमेंट" चल रही है ? एक तरफ कहते हो कि फ्री हो दूसरी तरफ कहते हो कि स्वायत्त शासन तुम्हें चाहिये, यह डुएल चीज खत्म हो । यह तो गुलामी का प्रतीक है । इससे कोई फायदा नहीं है ।

शिक्षा है इसमें । हमारा संविधान भी कहता है कि हरएक को समान अवसर मिलेगा और शिक्षा । मिलेगी । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो मास्टर हैं कम वेतन के कारण वे भूखे रहते हैं । पूरी तनख्वाह नहीं मिलती । तिस पर स्कूलों में अध्यापक बहुत कम हैं । एक स्कूल में अध्यापक एक है और विद्यार्थी ९४ के करीब ।

श्री अध्यक्ष—आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में नहीं हैं । इस सदन की मीटिंग में हैं । विधेयक के सिद्धांतों पर बहस हो रही है । उसी पर भाषण सीमित रखिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा प्रवर समिति का सुझाव है, हम ठंडे दिल से सब बातों पर गौर करें, मैं दायरा बढ़ाने की बात कह रहा हूं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त कर दिया जाय और यह ऐसा हो सकता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा को स्वयं ले ले ।

श्री अध्यक्ष—आप उल्टी बात कह रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आप क्या अधिकार देना चाहते हैं, बताइये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उसी पर अब आऊंगा ।

श्रीमन्, पहला सुझाव तो मेरा यही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अगर खत्म ही कर दें तो ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—फिर तो आपको विधेयक का विरोध करना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अब दूसरी बात रह गयी, अगर ऐक्ट ही लाना चाहते हैं तो मैं धाराओं पर आ रहा हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो बिल है इसमें मैंने कई बातों के लिये जहां मंत्री जी को धन्यवाद दिया, एक बात छूट गयी थी। वह यह थी कि कोआप्टेड मेम्बर्स को भी, जो आपने खत्म कर दिया, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। यह चीज भी बहुत अच्छी आप लाये हैं, लेकिन जो दोहरा शासन इस बिल के द्वारा आयेगा यानी जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका कि एक तरफ तो हमारी पूरी गवर्नमेंट चल रही है, कहते हैं कि पूरे स्वतंत्र हैं, दूसरी तरफ एक पैरेलल गवर्नमेंट स्वायत्त शासन के नाम से चले, यह तो कोई मानी नहीं रखता, खासकर जब तक कि हम ऐसे बोर्ड कायम रखते हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं हैं। अगर सही माने में आप जैसा कहते हैं कि हमारे यहां सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी होनी चाहिये,—जो आपका उद्देश्य है, मैं आपके उद्देश्य की आपको याद दिला रहा हूं—उसका उसूल भी इसमें नहीं आया है। खुद मंत्री जी यह स्वीकार कर गये, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिये, कि एक पूरा मुकम्मिल बिल वह लाना चाहते थे और वह यह जानते हैं कि यह एक आउट आफ डेट हो गया है, यह पुरानी चीज अंग्रेजों की बनायी रह गई है, इसमें तरमीमात की शुरू से आखिर तक सख्त जरूरत है। हम तो बहुत दिनों से यह उम्मीद करते थे क्योंकि बहुत पहले से शोर सुनते थे कि यह बिल बनेगा और इसमें सब बातें आ जायेंगी, लेकिन दुख है, इस बिल को जब हम देखते हैं, शुरू से आखिर तक, तो हमें एक निराशा पैदा होती है। होना यह चाहिये था कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आपको रखने ही हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर होना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में ज्यादा ताकत होनी चाहिये, उनका अपने फंड्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिये। यह नहीं कि जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से खुश हुये आप, बहुमत वाली पार्टी जिससे खुश हुई, उसको तो जितना चाहा, जितनी उसने मांग की, उतना रुपया दे दिया और जिस पर गुस्सा हुये, जैसा कि पिछला अनुभव बताता है, जहां आपकी पार्टी का बहुमत न आया, मुखालिफ पार्टी का आ गया, उसका क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या, म्युनिसिपल बोर्ड, जहां जहां कांग्रेस के विरोधी आ गये, उन सबका गला घोंट दिया गया। वृन्दाबन, अल्मोड़ा या मिर्जापुर ले लीजिये कहां तक गिनाया जाय, अनूपशहर को मेरे भाई और बता रहे हैं। और जगह तो चुनाव भी हो गये, लेकिन अल्मोड़े के म्युनिसिपल बोर्ड में अब तक चुनाव भी नहीं हुआ, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कब वह मौका आये जब कि कांग्रेस की मेजारिटी आये, तो तब तक के लिए इन्तजार कराया जा रहा है कि चुनाव जब तक नहीं होंगे और एक न एक बहाने से टालते जा रहे हैं। वे वहां टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। यह हम एक बड़ा खराब प्रिसिडेंस कायम कर रहे हैं। तो जो मैं कह रहा था वह यह कि बोर्ड के हाथ में ज्यादा ताकत होनी चाहिये। आप डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर सही माने में करें। यह नहीं कि एक सरकार यहां आपकी चलती है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहा है और एक पंचायतें अलग चला रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में मुझे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पंचायतों का जिक्र आयेगा। पंचायतें इसके अधीन कर दी जायेंगी और पंचायतों का इससे संबंध स्थापित किया जायगा, क्योंकि स्वायत्त शासन की बात जहां आप करते हैं, और लोगों को अपने हाथ में ताकत देने की बात करते हैं वहां पंचायतों को उनसे अलग रखते हैं, तो यह चीज कोई मानी नहीं रखती। तो इस तरह के ढुलमुल कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। कल को मैं सोचता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे यह गलती इसमें रह गई है, पंचायतों को इसमें आना चाहिये था। तो श्रीमन्, ऐसा बोर्ड बनाने से तो कोई फायदा है नहीं जिसको आप कोई ताकत न दें। अक्सर यह

[गोविन्द सिंह विष्ट]

देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जो सड़कें हैं वे टूटी-फूटी हैं और पुल उन पर नहीं बने होते। भगवान् की कृपा से पी० डब्ल्यू० डी० अधिक से अधिक संख्या में उनको ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जो दवाखाने हैं वे नाम मात्र के दवाखाने हैं। साइन बोर्ड लगा होता है, वैद्य भी होता है, लेकिन दवा वहां नहीं होती। तो इस तरह के भुखमरे बोर्ड को रखने से क्या फायदा?

इस बिल में कई खामियां हैं। मैं खास खास पर ही अपने खयालात का इजहार करूंगा। सुपरसेशन का क्लाज १६९ चला आता है। नई धारा ३८-बी में भी उसका जिक्र है। आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ दूं:--

"If at any time upon representation made, or otherwise, it appears to the State Government that a Board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this or any other enactment, or in exceeding or abusing its powers, the State Government may after calling for an explanation from the Board and considering any objection made by it to action being taken under this section, by an order published with the reasons for making it in the official *Gazette*, either dissolve the Board or supersede it for a period to be specified in the order."

इसी प्रकार खंड २४ में ३८ वें सेक्शन को रेफर करते हुये कहा है:--

"If a motion of non-confidence in the President has been passed by the Board and communicated to the President in accordance with the provisions of section 48-A, the President shall resign or represent to the State Government to dissolve the Board."

यह आप्शन नहीं, मेंडेटरी सा हो गया है।

श्री भजन लाल (जिला इटावा)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह यह है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम १६८ के अन्तर्गत यह है कि सभी कार्यवाही सदन की देवनागरी लिपि व हिन्दी भाषा में होगी। इसके बावजूद यह जो बिल पेश हो रहा है वह अंग्रेजी भाषा में आया है, जब कि पुराने कानून जो अंग्रेजी में हैं उनको हिन्दी में नत्थी कर दिया जाता है। तो हम सरीखे बहुत से माननीय सदस्य होंगे, जिनको हिन्दी भाषा का ही बोध हो, मैं, आपके द्वारा, चाहूंगा कि इस प्रकार जो अंग्रेजी में बिल आते हैं उनको हिन्दी में करने की कृपा की जाय, क्योंकि इससे हम सरीखों को समझने में सहूलियत होगी और इससे मैं भी अपने विचार सदन के सम्मुख पेश कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपका तात्पर्य समझ गया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को इसके संबंध में क्या कहना है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बिल तो हिन्दी में ही है, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, चूंकि आरिजिनल बिल अंग्रेजी में है, उनको अंग्रेजी में ही करना पड़ा। ओरिजिनल बिल की हिन्दी नहीं हुई, इसलिये अमेंडमेंट्स को भी अंग्रेजी में ही करना पड़ा। ऐसे कितने ही उदाहरण सदन के सामने आ चुके हैं और उसकी स्वीकृति सदन को प्राप्त है। इसमें आपको ही व्यवस्था देनी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष--अब ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है।

सदन में कई बार यह प्रश्न उठ चुका है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल हिन्दी और अंग्रेजी में आपके सामने प्रस्तुत है, लेकिन चूंकि मूल अधिनियम अंग्रेजी में है इसलिये उसका संशोधन अंग्रेजी में होगा। माननीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया

है कि अगर कोई माननीय सदस्य, जो अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी में संशोधन देना चाहते हों तो जो संशोधन वह देंगे उसका तर्जुमा हम अपने कार्यालय से करा देंगे। तो यह प्रश्न कोई नया नहीं उठा है, पहले से ही इस पर निर्णय हो चुका है और सर्वथा नियमानुकूल है इसलिये अब इस पर कार्यवाही जारी रहेगी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जम्हूरियत के उसूलों से यह प्राविजन मिलीटेंट करता है यानी एक आदमी जिसे जनमत से बहुमत ने निर्वाचित किया है बिला वजूहात के—वजूहात पेपर पर कुछ भी दिखा दिये जायं— उसे शासक दल मक्खी की तरह उठा कर फेंक दे और यह प्राविजन अब भी रहे, मौजूदा जमाने में रहने दिया जाय तो यह तो सरासर प्रजातंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसपर पुनः विचार होना चाहिये। उनको कम से कम इतना तो हक हो कि अगर किसी अल्टीरियर मोटिव से कोई सत्तारूढ़ी दल किसी प्रेसीडेंट को गैर-कानूनी तरीके से अलग करता है तो वह कम से कम ला-कोर्ट में उसे क्वेश्चन कर सके। लेकिन ३९ के प्रावाइजों में दिया हुआ है कि

"and the decision of the State Government thereon shall not be questioned in the court."

यानी पाबन्दी लगा दी गयी है। बहुमत वाला दल अगर किसी को प्रेसीडेंट नहीं रखना चाहता और अलग कर देता है तो चाहे वह ठीक काम कर रहा था या नहीं और यह ऐक्शन जायज था या नाजायज इसका डेसीशन एक योग्य जज द्वारा होना जरूरी है, लेकिन अपने इन हथकंडों को छिपाने के लिये प्रजातंत्र के सिद्धांतों से मिलीटेंट करने वाला यह प्राविजन रख दिया गया है।

डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में व्यवस्था नये ऐक्ट के खंड १३ में दी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट दो किस्म की डिस्क्वालिफिकेशंस को वेव ( Waive ) कर सकती है, यानी जब किसी ने नौकरी कर ली हो, १३ के ए और बी में दिया हुआ है—

"13. (*a*) A person notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as and for being a member of a board if he is a dismissed servant of a local authority, the State or Central Government and is debarred from re-employment therein ; or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority".

तो जब आज हम यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस बार को रिमूव कर सकती है वहां होगा क्या ? जो सत्ताधारी दल होगा, अगर उसका कोई कैंडीडेट हो जो इन प्राविजंस के मुताबिक डिबार होता है तो इनको वह दल हटा देगा और जिसकी पहुंच नहीं है वह रह जायगा। ईक्वलिटी बिफोर ला नहीं है।

इसके बाद इसी खंड के (जी) में लेप्रोसी के बाद "ल्यूनैसी" भी होना चाहिये था। यह गैप रह गया है लेकिन मंत्री जी इसको ओमिशन मानेंगे।

इसके अलावा पुराने कानून की धारा ९ में यह है—

"It has been sentenced under the Indian Penal Code to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation (for an offence) or convicted by a Criminal Court to imply such moral tarpitude."

श्रीमन्, आज बिल से उसको उड़ा दिया गया है। यह रखा गया है कि २ वर्ष की सजा हो तब डिसक्वालीफाई हो जायगा, लेकिन कम सजा वाला नहीं होगा। मारल टरपीट्यूड सब जगह बराबर माना गया है दुनिया के कानूनों में ख्वाह अमेरिका को लें, ख्वाह इंगलैन्ड को लें, लेकिन सब जगह इसी तरह से है। फिर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह प्राविजन क्यों नहीं रहने दिया गया है, क्यों उड़ा दिया गया है ? वह प्राविजन इसमें आना चाहिये था।

[ श्री गोविन्द सिंह विष्ट ]

चुनाव के लिये इसमें व्यवस्था की गयी है डायरेक्टर की नियुक्ति की और जहां तक मुझे मालूम है अब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में होती थी। लेकिन डाइरेक्टर को कौन ऐप्वाइंट करेगा? डायरेक्टर की परिभाषा नहीं है। मैं इसकी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि डायरेक्टर को बहुत ज्यादा ताकत दी गई है कि वह जिस समय चाहे कांस्टीटुऐंसी बदल सकता है। यह बहुत खतरनाक ताकत दी गई है। जब इलेक्शन होगा और शासक लोग देखेंगे कि हमारी कांस्टीटुऐंसी ठीक नहीं पड़ती है तो डायरेक्टर साहब से वह उल्टा सीधा करा लेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे। यह मिस्चिफ की वजह से रखा गया है। पहले भी ऐसी बातें की गयी हैं। यह एक प्राविजन है कि

"The Director of Election may at any time in the same manner amend the Delimitation Order or make a new Delimitation Order."

इसमें कोई लिमिट होनी चाहिये। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। १४ (बी) उपचुनाव के बारे में है। इसमें यह होना चाहिये कि जब कोई सीट खाली होगी तो उसके लिये चुनाव छः महीने में या साल भर में हो जायगा। नहीं तो श्रीमन्, जैसा आपको मालूम है यह होगा कि किसी सीट के खाली होने पर उसका चुनाव ही नहीं करायेंगे। बोर्ड्स की वर्तमान दशा श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि १९५२ में चुनाव हो जाना चाहिये था जो १९५८ तक नहीं हुआ। फिर उपचुनाव की कौन कहे? जब किसी का टर्म छः महीने का रह जाता तो चुनाव की जरूरत नहीं होनी चाहिये, यह तो ठीक है। लेकिन जब कोई आदमी चुनाव होने के बाद भी मर जाता है तो उसमें चुनाव होना जरूरी है, लेकिन वह सीट खाली रह सकती है चूंकि जिनके हाथ में ताकत है, वह देखेंगे कि यह सीट हमारे हाथ में नहीं आयगी इसलिये उसको खाली ही रखेंगे। इसलिये उपचुनाव व चुनाव का जल्द होना बहुत जरूरी है। और भी चीजें हैं, उनमें मैं जाऊंगा नहीं। इसमें कुछ खामियां हैं और माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार की है, मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वह नया विधेयक लाना चाहते हैं। हर तरह से इसकी खामियां दूर करनी है। ऐसा न हो कि आज यह बिल आया और कल दूसरा लाना पड़ जाय। इस तरह से रोज-रोज कब तक बिल आते रहेंगे। एक-एक चीज पर नया बिल लाना ठीक नहीं जंचता। यह सेलेक्ट कमेटी में चला जाय, हम भी राय पेश करें और आप भी करें, आपस में विचारों का आदान-प्रदान हो और फिर एक बिल जल्दी तैयार हो जाय और सदन के सामने आये यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर दे दे।

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में मेरा विचार यह है कि चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के, सभी एक मत के होंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का संगठन जिन परिस्थितियों में किया गया था वे परिस्थितियां अब नहीं हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कार्य की प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके साथ अनेक प्रशासनिक प्रश्न गुथे हुये हैं और इस प्रश्न पर विचार करते हुये मेरा ख्याल है कि सदन के सदस्यों को पार्टी लेबिल से थोड़ा ऊंचा उठना चाहिये। इस देश में टू मच आफ पालिटिक्स, बहुत ज्यादा राजनीति है। जहां इज्म की कोई गुंजाइश नहीं होती वहां भी हम इज्म को और एक जम्हूरियत के नारे को उठाने की कोशिश करते हैं। शताब्दियों पहले से भारतवर्ष की यह कमजोरी रही है कि हम लोग ऐब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, लम्बी-लम्बी ऊंची बातें करने के तो आदी रहे हैं, लेकिन जो हमारी रोज की समस्यायें हैं, जिनको हमें सुलझाने की आवश्यकता है उनका एक व्यावहारिक रूप सोचने में हमेशा पीछे रहते हैं। इस कमजोरी को हमें दूर करना चाहिये। इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं, जिसमें न तो कोई

पार्टीबन्दी का प्रश्न आता है और न कोई इज्म का प्रश्न आता है। यह मानी हुई बात है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कांस्टीट्यूशन का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय यहां पर दूसरी गवर्नमेंट थी, हमारा शासन और सारे अधिकार विदेशी लोगों के हाथ में थे। आज देश में अधिकारों को प्राप्त करने की चेतना पैदा हो रही है। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के लिये कुछ खिलौने बनाये थे और उसमें यहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यह विधान भी था। आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वर्किंग का अनुभव है उन्हें मालूम है कि आज वहां कितनी इनएफीशियेंसी, डुप्लीसिटी और अवांछनीय बातें हैं। आप किसी जिले में चले जाइये, जो सड़क खराब है वह आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ही मिलेगी। शिक्षा के संबंध में अध्यापकों के वेतन का जो स्तर होना चाहिये वह वहां नहीं है। यही हाल वहां के अस्पतालों आदि का भी है। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिला बोर्डों को जितनी आय है उन पर बहुत ज्यादा भार शिक्षा का हो गया है। आज हमारे देश और प्रदेश में शिक्षा की बड़ी मांग है और हम को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की आवश्यकता है। उनकी संख्या बढ़ी इसलिये कि उनकी आवश्यकता थी। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा पहला कार्य है, जो होनी चाहिये। तो आज प्रत्येक जिला बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा रुपया शिक्षा की मद पर व्यय होता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको रुपया दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनका अधिक से अधिक पैसा इस मद पर खर्च हो जाता है। दूसरे कार्यों के लिये उनके पास पैसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हर जिले में है, तो उनका और जिला बोर्डों का क्या-क्या काम होगा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और इसके अलावा और जो विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य का विभाग है, एजूकेशन का विभाग है, इन सब का भी एक क्लियरकट प्रोग्राम हमारे सामने होना चाहिये।

जहां तक हमारे माननीय मंत्री जी का संबंध है, मैं कारपोरेशन बिल की सेलेक्ट कमेटी में था और मुझे मालूम है कि उनकी कितनी भावना है कि जल्दी से जल्दी चीजें समाप्त करके उन्हें कार्य में लाया जाय। मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही कारपोरेशन का बिल एक मास में सेलेक्ट कमेटी से निकल सका। जब हम देखते और सुनते हैं कि हमारे मंत्री जी चुनावों के संबंध में सूचना देते हैं और वह विभाग में नहीं आ पाती हैं तो उसका एक यही कारण है कि वह कितनी जल्दी चीजों को पूरा करना चाहते हैं। अगर यह लांछन लगाया जाय कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है तो यह ठीक नहीं है।

सरकार की इच्छा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जहां तक हो सके जल्दी चुनाव हो जाय और जल्दी विधान बन जाय। लेकिन मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं सदन के दोनों तरफ के सदस्यों से कि आपने कभी इस बात का अनुमान लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में कितना धन व्यय होगा। मेरा ख्याल यह है जैसा एक मित्र ने बतलाया, कि सरकार का ३२ लाख रुपया उसमें व्यय होगा और जनता के जो उम्मीदवार उसमें खड़े होंगे उनका भी उसमें लगभग २ करोड़ रुपया व्यय हो सकता है। तो ढाई करोड़ रुपये की धनराशि के व्यय करने का प्रश्न है। मेरे एक मित्र कहते हैं कि पेटीशन भी हो सकते हैं। उसमें भी धन और शक्ति का व्यय हो सकता है।

हमारे विरोधी भाई सरकार पर यह लाञ्छन लगाना चाहते हैं कि सरकार इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है कि वह कुछ पदों पर चिपके रहना चाहती है। इस तरह के लाञ्छन यहां लगाये जाते हैं और दूसरे मुल्कों में भी लगाये जाते होंगे। इस तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं। यह बात कहीं-कहीं सच भी होती होगी, लेकिन मैं एक बात बड़ी नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जब हम आज इस सदन में बैठे हैं तब हमको यह सोचना होगा कि यह ढाई करोड़ रुपया, एवं समय और शक्ति का जो व्यय है उसका प्रदेश के लिये क्या उपयोग होगा। मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस के सदस्य और कांग्रेस के मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो विधान है उसका समय

[श्री देवकीनन्दन विभव]

बीत चुका है । उसमें आमूलचूल सैद्धान्तिक और मौलिक परिवर्तन होना चाहिए । तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ढाई करोड़ रुपया शक्ति तथा साधन के व्यय की जिम्मेदारी किस पर होगी ? इसका उपयोग प्रदेश के लिये नहीं होगा । यदि हमारा कांग्रेस दल या हमारे मंत्री जी यह सोचते हैं कि विरोधी दल उनसे यह कहता है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो इस लिये हमको चुनाव कराना चाहिए तब मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह जो राष्ट्र की सम्पत्ति, शक्ति और सत्ता का ह्रास है उस पर भी हमें विचार करना चाहियें । इस संबंध में मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे मंत्री जी तथा हमारे विरोधी पक्ष के नेतागण इस मत के हों कि इस वर्तमान ढांचे पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जनहित के लिये होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये । मैं तो उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का वर्तमान ढांचा उपयुक्त नहीं है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ।

एक सदस्य—कितने दिन इन्तजार किया जाय ?

श्री देवकीनन्दन विभव—मेरे एक मित्र कहते हैं कि कितने दिन इन्तजार किया जाय। मैं भी कभी-कभी इम्पेशेन्ट हो जाता हूं । मैं जानता हूं कि कभी-कभी बड़ी देर हो जाती है । मैं तो इसके लिये यहीं कहूंगा कि हमारे मंत्री जी का इस ओर ध्यान जाना चाहिये । इसमें मेरे ख्याल से इरादतन देर नहीं लगायी जाती होगी, लेकिन जबकि हम देश के निर्माण के लिये इतने महान कार्य करते जा रहे हैं तो इस पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए । यह बात मैं विरोधी पक्ष के लिए भी कहने के लिये तैयार हूं ।

एक भाई ने कहा कि यह इन्टेरिम ऐरेन्जमेंट है । यदि इसके लिये मेरे मित्र इतने धन और समय का व्यय उपयुक्त समझते हैं तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द चुनाव हों । यदि सभी लोग यह निर्णय करें कि प्रदेश के जनहित के लिये डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल की रुपरेखा को जल्दी पूर्ण किया जाय और उसके आधार पर चुनाव कराये जावें, इसमें अगर कुछ थोड़ा सा विलम्ब हो जाय तो उसका ख्याल नहीं करना चाहिए । मैं इसे पार्टी लेबिल के ऊपर की बात समझता हूं और मेरा विश्वास है कि हमारे सभी माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चूंकि माननीय विभव जी की सीट बिलकुल केन्द्र में है, इसलिये वह न्यूट्रल जोन से बोल रहे थे ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव ( जिला आजमगढ़ )—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो विधेयक की परिधि विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि ये संशोधन एक के बाद एक आ रहे हैं और उनमें केवल शाब्दिक अन्तर है, केवल इतना ही हेर फेर है, और ये कम से कम १० हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपका मतलब समझ गया, आप कृपा कर बैठे जावें । संशोधन तो काफी हैं मगर तीन टिपिकल हैं जिनकी मैं इजाजत दूंगा । बाकी संशोधनों को सदस्य इन्हीं संशोधनों में पेश कर सकते हैं और भाषण कर सकते हैं । पहले तीन संशोधन ही मुख्य रूप में लिये जावेंगे और बाकी की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, इतने दिनों के बाद हमें यह मौका मिला है कि इस पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पर और सरकार की ओर से इस संशोधन पर विचार करें । मंत्री जी का भाषण सुनकर और इस विधेयक को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई है । मंत्री जी ने इस बात की सफाई देने की अपने भाषण में चेष्टा की है कि अभी तक इस तरह का विधेयक सदन के सम्मुख क्यों नहीं आया, चुनाव क्यों टाले गये और क्या परिस्थितियां रही हैं, इन

बातों का उत्तर देने की मंत्री जी ने कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी फरमाया कि एक गलतफहमी फैल गई थी सारे प्रान्त में कि चूंकि सत्ताधारी दल के लोग जिला बोर्डों में पदासीन हैं इसलिए सरकार चुनाव नहीं करा रही है। इससे हमें सन्तोष तो नहीं होता है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, देर से ही सही। परन्तु हमें अब भी संदेह है कि मई में भी चुनाव हो पावेगा या नहीं। २ महीने पूर्व बड़े जोरों की चर्चा थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव निकट भविष्य में, और तारीख भी निश्चित थी कि १२ मार्च से होने वाले हैं। लेकिन बाद में यह सुनने में आया कि यह चुनाव अब मई में होगा। अगर सरकार चाहती कि ये चुनाव जल्दी हो जायं तो वह आर्डिनेंस के जरिये यह काम करा सकती थी और इस संशोधन पर बाद में विचार हो सकता था ? कोई अमूल परिवर्तन भी पुराने ऐक्ट में नहीं किया गया है। तो मई के लिये चुनाव टालने का सरकार का क्या मकसद था। सरकार को मालूम है कि आमतौर से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में सत्ताधारी दल के लोग पदासीन हैं और इधर कौंसिल के इलेक्शन अप्रैल में होने वाले हैं। इसलिए ही मई का महीना रखा गया है कि एक और मौका उनके दल वालों को मिल जाय।

यह मानी हुई बात है, सभी लोग इस पर एकमत हैं कि आजादी प्राप्त होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ढ़ाचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह आज से बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती से वह नहीं हो पाया है। मुझे और भी दुख होता है कि इस विधेयक में अब भी आमूल परिवर्तन नहीं हो रहा है। १० साल के अनुभव के आधार पर हम उम्मीद करते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कार्य-प्रणाली की सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये, उसका स्वरूप बदलने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए, जिसे सत्ताधारी पार्टी भी मानती है और सभी लोग मानते हैं। यहां तक बात कही जाती है कि जिले के स्तर पर कलेक्टर का पद समाप्त हो जाना चाहिए। इसके पीछे मकसद यही है श्रीमन्, कि जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दी जाय और ज्यादा से ज्यादा सत्ता दी जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भी ऐसी सत्ता और ऐसी शक्ति दी जानी चाहिये, जिससे कि जिले का क्लेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत रहे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की माली हालत को दुरुस्त करने के लिये उसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जिले की पुलिस भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मातहत होनी चाहिये, ऐसा इन्तजाम और ऐसा प्रबन्ध मूल अधिनियम में संशोधन करके होना चाहिये था, लेकिन मौजूदा जो बिल हमारे सामने है, इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय जो नये सिरे से पुराने कानून के और पहलुओं पर भी गौर करे तथा बाद में जो कठिनाइयां, हमें आज तक अनुभव से प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर गौर करके इसके अन्दर एक आमूल परिवर्तन लाने की कोशिश की जाय।

शिक्षा का जहां तक सवाल है, प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा डिसिट्रक्ट बोर्ड्स के हाथ में है। गांवों की सड़कों का इन्तजाम भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ में है, अस्पतालों का इन्तजाम भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ में है और इसमें कोई दो रायें नही हो सकतीं कि आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मौजूदा हालत को देखकर बहुत अफसोस होता है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये तथा सड़कों व अस्पतालों की हालत को दुरुस्त करने के लिये तथा इन्तजाम को और सुदृढ़ बनाने के लिये, जो पुराना ऐक्ट है, उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यही नहीं कि उसमें परिवर्तन किया जाय, बल्कि मैं तो यहां तक चाहुंगा कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मानते हुए इस तरह का भी आयोजन किया जाय कि सरकारी मालगुजारी अर्थात जिले के रेवेन्यू का एक चौथाई हिस्सा कम से कम जिला बोर्ड को उनकी माली हालत को दुरुस्त करने के लिये और अपने कार्यों को चलाने के लिये दिया जाय। ऐसा देखा गया है कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की माली हालत बहुत खराब है जिससे हमेशा सरकार के पास उनकी तरफ से कर्ज और ग्रांट्स के लिये दरख्वास्तें आती रहती हैं और सरकार उनकी हालत को दुरुस्त करने के लिये कर्ज और ग्रांट्स देती है और इस तरह से उनकी नकेल अपने हाथ में रखती है।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकारी कोष का एक निश्चित हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के खजाने में जाय जिससे उनकी माली हालत दुरुस्त हो जाय और वे प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अपने यहां की सड़कों व अस्पतालों की समुचित व्यवस्था कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह तमाम बातें हैं जिनके लिये, मैं चाहता हूं, कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और खुले दिमाग से, ठंडे दिल से इस पर विचार करके जो कठिनाइयां अनुभव के बाद मालूम हुई हैं, उन पर विचार कर सकें। मैं यह भी चाहता हूं कि ३ दिन के अन्दर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दे, ताकि चुनाव मई के अन्दर हो जायं और वह मई से आगे न टलने पावें। मौजूदा जो बिल है उसमें बहुत सी खामियां हैं। प्रवर समिति में जाने से उनपर भी गौर होगा और वे खामियां दूर हो जायंगी। इसमें डाइरेक्टर आफ एलेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन डाइरेक्टर आफ एलेक्शन कौन होगा, उसको कौन बनायेगा, उसकी क्या परिभाषा है, कहीं भी इस बिल के अन्दर नहीं है और न जो पुराना ऐक्ट है उसके अन्दर भी इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

इसके अलावा सदस्यों की डिसक्वालिफिकेशन के बारे में जो धारा बिल के अन्दर है, उसकी तरफ भी, मैं सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रजातन्त्र में सब को वोट देने का अधिकार है पर सभी लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। इस आधार को सरकार भी मानती है। और सभी लोग मानते हैं। विधेयक के पृष्ठ १० पर खंड ८ की धारा १३ की उपधारा (जे) जो है, उसमें लिखा है—

(j) "has been convicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years unless a period of five years or such less period as the State Government may allow in any particular case has elapsed since his release:"

यह बिलकुल वेग और अस्पष्ट है। रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट से लेकर जितने भी चुनाव के कानून हैं, सब जगह डिसक्वालिफिकेशन का जहां भी जिक्र है वहां 'आफेन्स इन्वालविन्ग मारल टरपीट्यूड' शब्द रखे गये हैं, लेकिन यहां पर शब्द 'ऐनी आफेन्स' रखे गये हैं यानी मामूली गुत्थमगुत्था में किसी को चोट पहुंचाने के कारण ३२३ में किसी को सजा हो गयी तो वह भी इसी में आ जाता है। मैं यह मानता हूं कि आफेंस इन्वालविन्ग मारल टरपीट्यूड में जिसको सजा हुई हो उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिये, लेकिन यहां पर केवल उन्हीं को चुनाव में खड़े होने से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे लोगों को भी वंचित किया जा रहा है और मैं तो यह भी शुबहा करता हूं कि सत्तारूढ़ दल की ओर से कम से कम अवधि जो २ साल की रखी गई है यानी जिस को २ साल तक की सजा हुई हो, वह चुनाव लड़ सकता है, वह चाहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर बने और जनता का प्रतिनिधित्व करे। चाहे किसी को एक दिन की सजा हुई हो या ६ मास की हुई हो ऐसे लोगों को एकदम चुनाव से वंचित कर देना चाहिये। इस तरह से किसी को चाहे चोरी में सजा हो चुकी हो, चाहे जिना में हुई हो सब को इसमें अवसर प्रदान किया गया है। आप २ साल के नीचे की सजा वालों को चुनाव लड़ने के लिये मौका दे रहे हैं।

इसके अलावा एक और अधिकार मौजूदा ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार के हाथ में रहता है। वह है कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार, इसका बहुत ही अधिक दुरुपयोग हुआ है और कोई सफाई इस बात की नहीं है। चुनावों को टाला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी इस पक्ष का हूं कि चुनाव आवश्यकता हो तो टालें जाय, लेकिन वह किन परिस्थितियों में? पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में है कि जब 'ग्रेव नेशनल एमरजेंसी' हो, महान् राष्ट्रीय संकट आजाय, तब चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन जो अधिकार हुकूमत के पास ऐसा रहा है उस का यहां दुरुपयोग हुआ है और लगातार ६ साल से जिला बोर्डों के चुनाव टाले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह अधिकार सरकार के हाथ में न रहे, बल्कि यह अधिकार विधान सभा के हाथ में रहे, यू० पी० के लेजिस्लेचर के हाथ में रहे और एक एनेक्टमेंट के द्वारा

यह अवधि बढ़ाई जाया करे । मुझे तो सन्देह है कि अगर यह शक्ति राज्य सरकार के हाथ में रही तो भविष्य में भी इसका दुरुपयोग होगा और यह सब तभी संभव होगा जब कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वह मौजूदा परिस्थितयों को देखते हुए बदली हुई स्थिति को देखते हुए और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये , बोर्ड की माली हालत को सुधारने के लिए, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का स्तर उठाने के लिये देहातों में सड़कों का समुचित प्रबन्ध करने के लिए आमूल परिवर्तन करे ।

साथ ही साथ पुराने कानून में टैक्सेशन का जो चैप्टर है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो पुराना कानून है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये टैक्स लगाने की जो व्यवस्था रखी गई है, वह बहुत दोषपूर्ण है । अब तक का अनुभव यह रहा है कि इस टैक्स के चैप्टर का बराहरास्त तालुक साधारण जनता से है । इससे जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकम्सटैंसेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स का प्राविजन पुराने ऐक्ट के अन्दर रखा गया है । उसका फायदा उठाकर अब तक यह देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जनता को अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें सफल भी रहे हैं । उसमें से खास-खास चीजों को सदन के सामने रख देना चाहता हूं, जैसे दो सौ की सालाना आमदनी के ऊपर बोर्ड को सरकम्सटैंसेज ऐन्ड प्रापर्टी टैक्स के अन्दर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया है । यह सीमा बहुत ही कम है । कम से कम एक हजार सालाना आमदनी वाले लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए । इसके ऊपर जिस की आमदनी हो उसके ऊपर लगना चाहिए । अजीब तरीका है । एक बार जिसका टैक्स तशखीस हो गया उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्ति पाने के लिये पुराने कानून में इस तरह की व्यवस्था है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स की तशखीस के एक महीने के अन्दर जिलाधीश के यहां, उस तशखीस के खिलाफ, लोग अपील कर सकते हैं । लेकिन जिस आर्डर के खिलाफ अपील की जाय, वह टैक्स पहले जमा कर दीजिये उसके बाद जाकर अपील कीजिये, इस तरह की बात पुराने कानून में है । मैं यह समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है । जब तक अपील का फैसला न हो जाय तब तक वह टैक्स जमा न करे । इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जिसके लिए गौर करना बहुत जरूरी है और टैक्स वाली पद्धति में आमूल परिवर्तन करना भी जरूरी है । यह सब उसी समय संभव है जब कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और इसकी परिधि को बढ़ाया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सूरतचन्द रमोला, आपका यह संशोधन जो है, इसको आप पेश करेंगे या भाषण देंगे ? या तो आप यह रख दें कि 'तीन दिन' के बजाय 'पंद्रह दिन' रख दिया जाय । इस तरह से बोलें या भाषण दें ।

श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—यही अमेंडमेंट मान लें कि पंक्ति ३ में शब्द 'तीन दिन' के स्थान पर 'शब्द पंद्रह' दिन रख दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, उसके संबंध में मुझे दो-तीन बातें खासतौर से अर्ज करनी हैं ।

हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आज तक नहीं है । जितनी भी मर्ज्ड स्टेट्स हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं बना पाये हैं और जैसा विभव जी ने बताया, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पहले बना, वह ऐसी परिस्थितियों में बना था, जो आज नहीं हैं । जो संशोधन उसमें लाया जा रहा है वह भी कुछ वक्त के लिये है । मैं यह समझूंगा कि जो यह संशोधन लाया जा रहा है वह हम से जिले में कम से कम इस हालत में न लागू किया जाय । जब डेवलपमेंट कौंसिल्स बनें, उसकी जो रूपरेखा हो तभी वह हमारे यहां लागू कर दिया जाय । हमारे यहां की परिस्थितियां असल में भिन्न हैं, वहां पर जो रोड्स हैं उनको अब भी फारेस्ट डिपार्टमेंट मेन्टेन करता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बन जाने से उनकी हालत बहुत खराब हो जायगी । अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें एक प्राविजन कर दिया जाय कि मर्ज्ड स्टेट्स, और खास कर टेहरी-गढ़वाल के जिले में यह ऐक्ट कम्पलसरिली न लागू किया जाय ।

[श्री सूरत चन्द रमोला]

इस ऐक्ट में दो, तीन बातें हैं जिनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह खासतौर से यह हैं जिनकी वजह इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इसमें जो सेक्शन ५ का क्लाज (४) है, अर्थात्—

"(4) The Director of Elections (Local Bodies) shall publish for objections and suggestions the draft of the Order proposed to be made under sub-section (2) for a period of not less than seven days by causing to be affixed a copy of the same at the notice board....."

मेरी जहां तक इत्तला है, ऐक्ट तो अभी तक बना नहीं, लेकिन हमारे जिले में इसकी कम्प्लायेंस हो चुकी है और हमारे यहां जो डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटुएंसीज हुआ है उसका दायरा करीब-करीब एक असेम्बली के मेम्बर की कांस्टीट्यूऐंसी के बराबर है, यानी ४५ मील के करीब है। मैं अर्ज करूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीटुएंसी पहाड़ी जिले में ४५ मील लम्बी हो तो किस तरह से एक सदस्य इसको कवर कर पायेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

दूसरी बात कार्य काल के बढ़ाने के सम्बन्ध में है। तो जैसा अपोजीशन की तरफ से कहा गया कि कार्य काल नैशनल एमरजेंसी में ही बढ़ाया जाय और वह भी सिर्फ एक बार, मैं इससे सहमत हूं। तो ऐसी ऐसी कठिनाइयां इस संशोधन विधेयक में हैं, जिनकी वजह से इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मोतीलाल अवस्थी जी, आप बहुत उत्सुक हैं अपना संशोधन पेश करने के लिये। आप पेश करें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन इस रूप में उपस्थित करता हूं कि श्री गोविन्दसिंह जी के संशोधन की पंक्ति ३ में शब्द 'एक मास' के स्थान पर शब्द '१० मार्च, १९५८' रख दिया जायें।

यह संशोधन पिछले अनेक संशोधनों के सिलसिले में रखा गया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि हाउस का सेंस किसी एक एग्रीड फारमूला पर होगा तो प्रस्तावक को कोई विशेष एतराज न होगा। मुझे तो अपना संशोधन रख करके इस अमेंडमेंट के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने की ही चिन्ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो कि आज १० साल के बाद किसी रूप में आया है और जिसकी कि प्रादेशिक जनता द्वारा बड़ी चिन्ता से इंतजारी की जा रही थी, उसमें हमें पिछले १० सालों के बहुत से अनुभवों पर अवश्य प्रकाश डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसका न केवल आज संशोधन ही पेश हो रहा है, बल्कि उनके सम्बन्ध में सरकार मूलतः बहुत से परिवर्तन सोचने जा रही है अतः यह आवश्यक है कि हम लोग अपने विचारों को व्यक्त अवश्य करें। सरकार भी आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में आमूल परिवर्तन की बात कहती है, लेकिन सन्देह यह होता है कि ये आमूल परिवर्तन वास्तविक रूप में कब तक हो पायेंगे? आमूल परिवर्तन अगर किये जायं तो उनकी आशा कुछ पहले से दीख जानी चाहिये। मालूम पड़े क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं। अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में ये आमूल परिवर्तन लाने में अभी काफी अरसा लगेगा। इस संशोधन विधेयक को लाने की मंशा केवल एक इंटेरिम संशोधन ही है। फिर भी स्वतंत्रता के इस काल में, जब कि हम अपने अधिकारों के लिये अधिकाधिक चिन्तित हैं, क्या इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा हम अब भी उसी प्रकार पिछड़ी हालत में रक्खे जायंगे? ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इतने निकम्मे साबित हो चुके हैं, इनके द्वारा जनता की इतनी अवहेलना हो चुकी है, इतनी हमारी उन्नति में ये अवरोध पैदा कर चुके हैं और इनके द्वारा इतनी निराशा पैदा हो चुकी है कि इनके पुनर्जीवित होने की बात सुन कर खून खौल उठता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप चाहते हैं कि जिला बोर्ड तोड़ दिये जायं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नितान्त तोड़ देने के पक्ष में हूं। सरकार भी दूर भविष्य में इस पर सोच ले। लकिन आज तो यह संशोधन हमारे सामने है, अतः वह मौलिक बात मैं न रख कर इसी संशोधन पर अपनी भावना व्यक्त करूंगा। मैं पूछता हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि दो साल के लिये क्यों बढ़ाई जा रही है ? क्या वे जनता और हमारे लिये उपयोगी रह गये हैं ?

यह कहा जाता है कि प्लानिंग का जमाना है। इस चीज को हमारा प्रादेशिक मंत्रिमंडल स्वीकार करता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम प्लानिंग के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पचड़े को हटाना चाहते हैं। यह चीज मौलिक नीति के रूप में कही जाती है, लेकिन उस मौलिक विचार को कार्यान्वित करने के लिये सरकार के मस्तिष्क में कोई चीज पैदा नहीं हो रही है। हमारी सरकार के मस्तिष्क में इतना मसाला नहीं है कि जिस चीज को वह तय कर ले उसे कार्यान्वित भी कर सके। मालूम यह होता है कि उसके जितने भी उद्देश्य हैं वे हवा में रहने वाले हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री मुझ क्षमा करेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग से मुझे बड़ी निराशा पैदा होती है। इस विभाग में इनिशियेटिव लेने की पावर कहीं नामोनिशान को भी नहीं है। इस विभाग में फूंक-फूंक कर कदम रखने की और वर्षों नहीं, सदियों तक बात सोचने की प्रवृत्ति है। मुझे क्षमा किया जायगा इस मंत्रिमंडल में मुझे दो ही विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और शिक्षा विभाग से बड़ी निराशा हुई है। पता नहीं इनमें जो मस्तिष्क काम कर रहे हैं वे किस कंजरवेटिव टाइप के हैं, पता नहीं किस दलदल में फंसे हैं, पता नहीं कितना भय खाते हैं, हिचकिचाते हैं कि उनमें वह इनिशियेटिव पावर और जो नया माइंड नाम को भी नहीं दीख पड़ता। आज हम जिस क्रान्तिकारी जमाने से गुजर रहे हैं, जो क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे सामाजिक रूप में देखें, चाहे आर्थिक रूप में देखें, उस जमाने में परिवर्तन करने में, सुधार करने में कितना हिचकिचाहट करेंगे। जब यह साबित हो जायगा और प्रमाणित हो जायगा कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिलकुल ही निकम्मे हैं, जनता के स्वार्थों के बिलकुल विरुद्ध चलते हैं, जनता का धन वहां अपव्यय होता है और जनता की आवाज सुनी नहीं जाती है तो क्या वजह है कि हम अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट लाएं और पूर्ण रूप से सुधार न कर सकें।

मुझे बड़ा दुःख है कि इस सुधार होने के साथ-साथ एक बड़ा भारी प्रश्न सामने प्रस्तुत है। हमेशा यह कहा गया है कि जब कभी ओल्ड आर्डर रिप्लेस करे न्यू आर्डर में तब सारी शक्ति उन लोगों से ले ली जाय जिनको रिप्लेस किया जाना है। मई के अन्त तक, चुनावों के अन्त तक वहां की सत्ता उन प्रतिक्रियावादी पुरुषों के हाथ में रहेगी, जिन्होंने १० साल तक इसको छोड़ना गवारा नहीं किया और जो येन-केन-प्रकारेण दगाबाजी और चालबाजी से उनपर कब्जा करने की योजनाएं बना रहे हैं।

मुझे अभी अभी पता चला है कि जब कांस्टीट्यूएंसीज का निर्माण हो रहा है तो वह इसी ढंग से किया जा रहा है कि वहां पर अपने लोकल खरीदे हुए लोगों का असर ज्यादा हो। क्या वजह है कि इस ट्रांजीटरी पीरियड में हम उन आदमियों को इन अधिकारों से न हटावें जिससे एक ऐसा वायुमंडल पैदा हो कि चुनाव स्वतंत्र रूप से हो सकें। प्रान्तीय चुनावों के सम्बन्ध में यह किया गया है कि एक केयरटेकर बोर्ड बन जाता है जिससे जनता का विश्वास चुनाव में जमे, इसलिये नहीं कि वह दिखावा है। यह एक सिद्धान्त की चीज है। क्या माने हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में इस प्रकार का कोई सुधार नहीं देख रहे हैं ? आज जिलाधीशों और कर्मचारियों पर उन लोगों का असर है, इसको खुले आम कहने में मैं जरा भी संकोच नहीं करता। चुनाव के हर कार्य में, कांस्टीट्यूएंसी से लेकर एलेक्टोरल रोल बनने तक हर कार्य में वह उनके पूरे साथी हैं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

तो इस कानून को उपस्थित करने में माननीय मंत्री जी के सदुपदेशों को सुनने के बाद भी मुझे संकोच होता है कि मैं उनसे बिलकुल सहमत नहीं हूं, मुझे तो कार्यप्रणाली को देखकर चिन्ता पैदा होती है। हमसे कहा गया कि कारपोरेशन बिल जल्दी पास होगा, लेकिन उसपर जो रिपोर्टें थीं वह न जाने किस ताक पर रख दी गयी और इस सेशन में शायद वह पेश होने वाली नहीं हैं। जब सेशन के अन्तिम भाग में भड़भड़ मचेगी तो कहा जायगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में चलें, इस कानून को फिर किसी वक्त पेश कर देंगे। तो जहां तक इनिशियेटिव का ताल्लुक है, इनिशिएटिव का माद्दा ही यहां नहीं है।

मैं आपका ध्यान उन दफाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यद्यपि यह अमेंडमेंट पिछले सन् १९२२ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के आधार पर ही है, लेकिन उसमें कुछ हेर-फेर अवश्य किये गये हैं। वे कोई नवीन नहीं हैं, थोड़ी सी जो एक परिवर्तंतित अवस्था आज ह, उसी के आधार पर है। जैसे यह एलेक्शन का काम एक ऐसे अधिकारी के हाथ में होना चाहिये जो कम से कम किसी माने में आफिशियल इनफ्लूएंस से ऊपर हो। प्रान्तीय चुनाव हुआ करत हैं, उनमें एलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होता है जिस तक कांस्टीट्यूशन के मुताबिक प्रेसीडट की पावर भी नहीं पहुंच पाती है। क्या वजह है कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के चुनाव में ऐसे आफिसर मुकर्रर न कर सकें जिन पर हम किसी तरह का पोलिटिकल या आफिशियल प्रभाव न डाल पावें? यह एक स्वतंत्र चुनाव के लिये परम आवश्यक चीज है। उसका डेफिनीशन में कहीं जिक्र नहीं है। पुराने ऐक्ट में भी नहीं है। खैर, वहां होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती लेकिन नये में वह चीज आ जानी चाहिये थी। यह एक फंडामेंटल चीज है, सैद्धान्तिक बात है। यह चुनाव तो कराया जा रहा है, लेकिन चुनाव कराने की जो सच्ची खरी जांच है वह चुनाव कराने वाले अधिकारियों की सच्चाई और उनके कार्य करने के ढंग पर निर्भर है। चुनाव स्वतंत्र हो सके उसकी कोई झलक इस बिल में दिखाई नहीं देती। इससे मालूम होता है कि चुनाव स्वतंत्र रूप से शायद ही हो पायेगा।

आज हमें यह भी मालूम है कि चुनाव की प्रणाली बदल दी गयी है। उसके जो भी कारण रहे हों, लेकिन इतनी बात स्पष्ट ह कि जहां मुश्किल से ११ प्रतिशत जनता शिक्षित हो वहां उससे कहा जाय कि तुमन पुश्त दर पुश्तन कलम पकड़ना चाहे न सीखा हो, लेकिन उस दिन तुम्हें कलम पकड़नी पड़ेगी। अब वह चाहे उल्टी ओर से कलम पकड़कर लिखे चाहे स्याही ही सब उलट दे, लेकिन उसे कलम पकड़नी ही पड़ेगी। जो किसान यह न जानता हो कि कलम का सिरा क्या है आज उसे कलम का सिरा पकड़कर के मतदान में लिखना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि वह लिखना चाहता है कुछ और लिखा जायेगा कुछ। मतदान में मतदाता को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिये, लेकिन उस स्वतंत्रता में इससे बाधा पड़ जाती है। प्रान्तीय चुनावों में उन्होंने देखा कि उनके एस्टीमेट के बाहर लोग निकल आये। बड़-बड़े धाकड़ पड़ रह गये और मामूली लोग उनको जीत कर चले आये। इसकी क्या वजह थी? वह वजह यही थी कि मतदान में सीक्रेसी थी। जनता को स्वतंत्र मत देने की सुविधा थी, लेकिन इसमें वह चीज नहीं है। जब कभी एक अनपढ़ किसान अपनी कलम नहीं चला पाता है तो उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। वह सहारा देने वाला या तो कोई अधिकारी होगा या फिर कोई छिपा हुआ एजेंट होगा, लेकिन ज्यों ही उसे सहारा लेना पड़ा त्यों ही वह सीक्रेसी खत्म हो गई। आज सरकार के पास नये नये तरीके हैं। इस सिलसिले में बहुत सी बातें मुझे कहनी थीं। यदि समय मिला तो मैं सरसरी तौर पर ही कुछ बातें अर्ज करूंगा। डिस्क्वालीफिकेशन के बारे में दफा इसमें मौजूद है। दफा १३३ में पढ़कर सुना देना चाहता हूं। उसकी दफा (बी) में यह लिखा हुआ है—

"Any other sum declared by this Act or by any rule or bye-law made thereunder or under the Indian Ferries Act (Act XVII of 1878), to be recoverable in the manner provided by this chapter, the Board shall, with all convenient speed, cause a bill to be presented to the person so liable."

इसमें यह है कि किसी एक रूल या बाई ला से बने हुए किसी तरह के असेसमेंट या टैक्स के न देने पर डिस्क्वालीफिकशन पैदा हो जाती है, लेकिन आज इस बोर्ड के बाई-लाज कितने लम्बे चौड़े फैले हुए हैं। आज १५ रु० १० आने का नोटिस प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इसलिये थोपा जा रहा है और उसके नाम बकाया दिखाया जा रहा है ताकि आगे चलकर उसके कंडीडेचर को ही रद्द किया जा सके। यह चालें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहले से ही तैयार हैं जिसमें एक पोलिटिकल पार्टी के किसी सभ्य पुरुष को न आने दे सकें और इसमें उन्हें कोई कठिनाई न हो। मुझे भय है कि इससे बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इसके अलावा और जो बहुत सी धाराएं हैं, उनमें माननीय मंत्री जी ने कुछ नवीन विचार शैली को भी शामिल कर लिया ह उसके लिय वह धन्यवाद क पात्र हैं। बहुत सी बातें जो रेप्रेजेन्टशन आफ पीपुल्स एक्ट में हैं वह उसी से ली गयी हैं, उन्हीं के ऊपर कारपोरेशन बिल में भी बहुत सी बातें देखन को मिली थीं। इसम मुझ कोई एतराज नहीं है। मैं इसकी दफा १४ (इ) की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि—

"No Civil Courts shall have jurisdiction—

"to entertain or adjudicate upon any question whether any is person or is not entitled to be registered in an electoral roll of a constituency."

इसी प्रकार (बी) और (सी) है, जिसमें रिटर्निंग आफिसर्स तथा अन्य पदाधिकारियों के संबंध में यह है कि सिविल कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती है। इसके माने यह हैं कि उनको आपने निरंकुश बना दिया है। उनके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश तो रहना ही चाहिये। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एलेक्शन आफिसर्स होते हैं और जो ज्यादातर आफिशियल्स ही हुआ करते हैं, उनके बारे में यह देखा गया है कि वह वर्तमान आफिसर्स के इशारे पर झुक जाया करते हैं यह मेरा निजी अनुभव है। अगर उनके कार्यों पर निगरानी किसी कोर्ट वगैरा के जरिये नही हो सकेगी तो वे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकेंगे। उनके सेफगार्ड के लिये ऐसे सेक्शन्स आने चाहिये कि कभी-कभी उनके कार्यों की जांच की जा सके।

अब मैं सदन का ध्यान बोर्ड्स के सुपरसेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह अधिकार तो सरकार ने हमेशा से अपने हाथ में ले रखा ह कि जब चाहे किसी कोर्ड को सुपरसीड कर दे। यह मानता हूं कि आप बोर्ड्स को सुपरसीड करें अगर उनका काम अच्छा न हो, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि जो जनता का अधिकार है वह उसको मिलना चाहिये। किसी बोर्ड को एक दफा सुपरसीड करक जल्दी से जल्दी जनता को दोबारा चुनाव करने का मौका दिया जाय, इस बात का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि १२७ में जो सेक्शन (बी) है उसमें यह है :—

"As soon as may be thereafter the election of the members, and of the President, shall be held or made, as the case may be, as though a general election were due under section 26-A."

हम अब भी देखते हैं कि दो-दो साल गुजर जाते हैं और चुनाव नहीं कराया जाता और कहा जाता है कि अभी मौका नहीं आया। सरकार न जो अधिकार ले रखे हैं उनको ही कायम रखना चाहती है। मेरा विचार है कि जनता को उसका अधिकार दे देना चाहिय।

अब यहां पर person or persons के लिये भी कहा है :—

"Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the Board is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the Board and shall be deemed to be the Board for all purposes."

अब यह कहा जाता है कि ऐड मिनिस्ट्रेटर्स कैसा अच्छा काम करके दिखाते हैं। इनका काम केवल बड़े शहरों में ही दिखाई पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां भी ऐडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर हुये हैं उन्होंने वहां किसी भी रूप में जनता के धन का सदुपयोग नहीं किया

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है सिवाय दिखावे की बातों के। उन्होंने सुन्दर-सुन्दर पार्क बनवा दिये, चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनवा दीं, बिजली लगवा दी लेकिन जहां गंदी और सड़ी गलियों में गरीब लोग रहते हैं वहां कोई सुधार नहीं किया। ऐडमिनिस्ट्रेटर्स सुन्दर-सुन्दर चीजें बना कर मंत्रियों को खुश कर लते हैं और अपनी तारीफ करवा लेते हैं। मुझे निजी अनुभव है और जहां भी मैं देखता हूं शहरों में मंत्रियों को खुश करने की ही कोशिश की गयी है, जनता को खुश करने की कोशिश नहीं की गयी। मेरा कहना यह है कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चुनाव करायें तो स्वतंत्र रूप से करायें। इसके लिये फिलहाल यह प्रबन्ध हो कि जनता जान सके कि मत प्रदान करने में उसके ऊपर कोई बेजा दबाव नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर यह आरोप लगाना चाहे कि चुनाव कराने में विरोधी पार्टियां ज्यादा दिन लगाना चाहती हैं तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि हम तो चुनाव आज चाहते हैं, लेकिन यह तो तुम्हारी देर है, तुम कानून बना नहीं सकते, तुम नियम बना नहीं पाते, तुम्हारे डिलिमिटेशन्स हो नहीं पाते और एक दिन की कार्यवाही में महीनों लग जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। इन चुनावों को टालने का आरोप आप हम लोगों पर न लगायें। हम मई में चुनाव कभी नहीं चाहते, हम मार्च में चाहते हैं। यह अमेंडमेंट आपने पहले क्यों नहीं पेश कर दिया? लकिन यह सरकार सोचती है तो मुद्दत के बाद सोचती है और जब जगती है तो मिनटों में भुल-भल मूतती है। मंत्री जी ने कहा कि ५ मिनट में पास होना चाहिये था। हम ५ सेकेंड में पास कर दें, लेकिन आप के आफ़िशर्स भी तो जरा तेजी दिखायें। हम नहीं चाहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कोढ़ मई तक चले। यद्यपि नये विचार शैली के संशोधन इसमें हैं, लेकिन हम करें क्या? हम तो उन कौंसिलों को देखना चाहते हैं जिनकी ओर मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया है। आयें मुख्य मंत्री जी सामने और हमें वह स्कीम दिखायें ताकि हम उसे समझें।

हम चौखम्भा राज्य कायम करना चाहते हैं, उनका प्रबन्ध हम जनता के हाथों में सीधे देना चाहते हैं, हम इसमें कोई दखलअन्दाजी नहीं करना चाहते हैं। लाखों, करोड़ों रुपया जो प्लानिंग में खर्च हो रहा है हम उसमें अपना सीधा हाथ चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तमाम ब्लाक्स मुकर्रर हों और करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हो। इसके लिये जो कौंसिलें बनाने की आप सोच रहे हैं वह जल्दी आनी चाहिये। उनका खाका तो कम से कम हमारे सामने आये ताकि हम उसे समझें। यह नहीं कि हमको स्वप्न में टाला जाय और कहा जाय कि बड़ी मीठी चीज आने वाली है। आखिर हम कब तक रुकें? आज किसान त्राहि-त्राहि मचाये हुये हैं? आज मंत्री जी आज देहातों में जायं तो उन्हें मालूम हो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने वहां क्या हालत मचा रखी है। आज हमारे अध्यापक तरस रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि काल में कभी भी ऐसा न हुआ कि महीने बाद तनख्वाह मिलती, चार, छः महीने हो जाने के बाद मिलती है। ५० रुपय पाने वाला अध्यापक तीन महीने पीछे हमेशा तनख्वाह पाता रहा। आज उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हम दो साल के लिये बना देना चाहते हैं। कभी कहा जाता है कि ग्रांट स्वीकार नहीं हो पायी लिहाजा पेमेंट पीछे हो गया। यह ग्रांटिंग सिस्टम, यह एकाउंन्टिंग सिस्टम, और लोकल सल्फ गवर्नमेन्ट सिस्टम आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कभी किसी चेयरमैन न अपनी तनख्वाह पहली से दूसरी तारीख को नहीं ली होगी, शायद एक आध केस ऐसे हो गये हों, लेकिन उस चेयरमैन ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को चार-चार महीने तड़पा कर तनख्वाह दी और वही चेयरमैन आज भी बैठा ह और कहता है कि चुनाव क दिन तक बैठे रहेंगे। आज वह अपनी जीत पर मत्त हैं और उसके लिए कोई कानून मदद नहीं देता। मंत्री जी उन क साथ हैं। हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारे यह शब्द हैं और भावना है कि अगर आप अपनी इसी तरह की गतिविधि रखेंगे और जनता की मांगों को ठुकरायेंगे तो यह निश्चय जानिये कि जिला बोर्ड्स के चुनाव में आप का खात्मा है। शहरों की बात छोड़िये। शहरों में जनता सुख और आराम चाहती है। वह स्टेटस-को सरकार कायम कर सकती है और उसको चाहने वाली

जनता शहरों में रहती है, लेकिन नंगे, भूखे लोगों के हाथ में आप कहीं के नहीं रहेंगे । चाहे आप चुनाव आज करें अथवा तीन महीने के बाद, चाहे कौंसिल बनावें अथवा इन्हीं बोर्डों को कायम रखें, आप कहीं भी बच नहीं पायेंगे । इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दीजिये । इस संशोधन को ला कर ऐसा मत समझिये कि आप ने सब कुछ कर लिया। आप यह सोचिये कि उनका प्रबन्ध कैसे हो ।

चौखम्भा राज्य की हमारी मांग है । यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायतें, एक्सटेंशन ब्लाक्स आदि क्या हैं ? इन सब की एक संस्था हो सेन्ट्रलाइज रूप में, जिसमें जनता के सारे हक निहित हों और उसका प्रबन्ध उसके प्रतिनिधियों के हाथ में हो । इन ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबंध अपने हाथ में लेने के लिये जनता योग्य और उतावली है । वह पिछड़ी हुई नहीं है । हम स्वराज्य लेने में कभी पीछे नहीं हटे । आज उनके लिये यह कहना कि वे बिछड़े हुए हैं इसलिये सम्हाल नहीं पायेंगे , ठीक नहीं है । यह कहा जाता है कि पंचायतों का काम कुछ ठीक से चला नहीं है । लेकिन उसे आप भूल जाइये, आज वह अपने यहां का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक कर रहे हैं । इन चुनावों में आप देखेंगे कि उनके प्रतिनिधि सीधे-सीधे चुन कर आयेंगे । आपने प्रेसीडेंट का जो इन्डाइरेक्ट चुनाव रखा है वह अच्छा है । मैं उसको पसन्द करता हूं । आज कांग्रेसियों में उस के लिये कानाफूसी हो रही है । उनको किसी तरह से भी चैन नहीं है, न डाइरेक्ट एलेक्शन में, न इन्डाइरेक्ट एलेक्शन में । हम तो हर तरह से तैयार हैं और चुनाव सीधे-सीधे लड़ना चाहते हैं । मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा । मैं समझता हूं कि मैंने अधिक समय पहले ही ले लिया है, उस के लिये आप को धन्यवाद ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, यह १९२२ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, जो १९४८ में लागू हुआ उसमें आज १० वर्ष बाद यह संशोधन आ रहा है, और इस पर जो इतना वाद-विवाद चल रहा है उसका अर्थ यह है कि अभी चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी और इससे यही भावना प्रकट होती है । मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । हमने संविधान में यह मान लिया है कि हम स्वायत्त शासन की संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि रखेंगे और उनको प्रजातांत्रिक रूप देंगे चाहे वह किसी लेविल पर हों। फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि जो चुनाव आने वाले हैं और जो छोटे मोटे संशोधन होने वाले हैं उनके प्रति इस प्रकार की भावना प्रकट की जाय । ऐसा करने से उस संस्था को जनतांत्रिक रूप देने में बड़ी बाधा होती है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह बुद्धि पिछले ६ वर्षों तक कहां थी ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—आज आई, आज तो यह सामने है। ४८ में चुनाव हुये, फिर ५२ में होने चाहिये थे, लेकिन जनरल एलक्शन आ गया फिर और कई कारण थे, हमारे राजनारायण जी जब यहां उपस्थित थे तो उन्होंने ही यह बुद्धि दी होती तो अच्छा होता। अब इधर बुद्धि आयी है तो उधर की बुद्धि कम हो गयी है । इस तरह से इसमें रुकावट पैदा हो रही है ।

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था में जिले के स्तर पर प्रेसीडेंट का चुनाव हो रहा था। जब हमने एम० एल० ए० के क्षेत्रों को बनाया और एम० पी० के क्षेत्रों को बनाया और जिले के स्तर पर विभाजन किया यह तो चीज अच्छी नहीं जंची कि जिले के स्तर पर एक ही आदमी का चुनाव हो । उसके कार्य की प्रणाली में कठिनाई पड़ सकती है । फिर ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक था कि जिसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो सदस्य चुने जायं उनकी इच्छा के अनुसार ही, उनके बहुमत के अनुसार ही प्रेसीडेंट चुना जा सके । कभी-कभी ऐसा भी हुआ है और पिछले समय में हमने देखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड का जब चुनाव हुआ तो उसमें एक दल बहुमत के सदस्य आये और अध्यक्ष किसी दूसरे दल का हुआ । उनमें हमेशा झगड़ा रहा। नतीजा यह हुआ कि जो सर्विस होनी चाहिये वह ठीक से नहीं हो पायी । उनमें आपस में खींचातानी चलती रही । उनके अन्दर जो सामन्जस्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ ।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष है। यह प्रजातंत्र की व्यवस्था के अनुकूल है। इसमें जो डिलिमिटेशन की बात आयी है उसके विषय में इसमें एक धारा ४ है। उसके अनुसार जिले के स्तर पर कम से कम ३० मेम्बर चुने जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा ८० मेम्बर चुने जायेंगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले की आबादी जिस समय देवरिया उसमें मिला हुआ था, ४४ लाख की थी। तो वहां के लिये ज्यादा से ज्यादा ८० सदस्य हो गये। ८० की संख्या उसको मिली। उससे कम आबादी वाले के लिये जब यह परिसीमन की व्यवस्था हुई और क्षेत्रों का बटवारा हुआ तो उस समय देवरिया के लिये भी ४४ और गोरखपुर के लिये भी ४४ संख्या मिली। अब आजमगढ़ की आबादी देवरिया से कम है तो वहां के लिये ६६ संख्या रही। बस्ती के बाद गोरखपुर आता है तो वहां पर कम संख्या रही। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से यह डिलिमिटेशन की व्यवस्था हुई है और जो क्षेत्र उसके अनुसार रखे गये हैं उसमें विचार करने की जरूरत है। आबादी की दृष्टि से परिसीमन को देखा जाय। कितनी आबादी किस जिले की है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

इसमें धारा ५ है जिसमें डिलिमिटेशन की व्यवस्था है। उसमें इस तरह से है कि कोआप्टेड मेम्बर और एलेक्टेड मेम्बर दोनों को जोड़ कर डिलिमिटेशन की व्यवस्था जिले के स्तर पर रखी गयी है। मेरा सुझाव है कि आबादी की दृष्टि से जिस जिले की जितनी आबादी हो उसी दृष्टि से उसकी कोई सीमा निकाली जाय। उस सीमा के अनुसार जितनी आबादी जहां हो उतनी की संख्या दी जाय तो वह ज्यादा प्रजातांत्रिक तरीका होगा। इस तरह से करने के माने यह होंगे कि कोआप्टेड मेम्बरों को बढ़ा कर डिलिमिटेशन हुआ तो यह अच्छी चीज नहीं दिखाई देती। इसमें किसी जिले के साथ अन्याय होने की सम्भावना है।

दूसरी बात जो इस संशोधन विधेयक में है वह प्रेसीडेंट के हटाने की है। प्रेसीडेंट के चुनाव की व्यवस्था अप्रत्यक्ष है तो उसी के अनुकूल हटाने की भी व्यवस्था है। दो-तिहाई सदस्य भी मत दे सकेंगे तो वह हटाया जा सकता है। मई में चुनाव की बात कही गयी है तो यह रीजनेबिल है क्योंकि फरवरी और मार्च में यह सदन चलता रहेगा। इसके बाद इसपर गवर्नर महोदय की कन्सेन्ट भी लेनी है। एक महीने का समय इसके बाद और मिलेगा। इससे अधिक जल्दी नहीं हो सकती है। जो संविधान में व्यवस्था है उसके पूरा करन की आवश्यकता है इसलिये मई में इसका चुनाव हो सकता है। इससे पहले चुनाव होना कठिन है। अभी यह कहा गया कि जल्दी होना चाहिये लेकिन मई से पहले नहीं हो सकता है। हां, यह बात जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो आजकल का सेटअप है उसमें, जैसा कि विरोधी पक्ष के ने सुझाव दिया, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिये जो उसका रूप प्रजातन्त्र के सेटअप में प्रदेशीय स्तर पर हो और हमारे प्लानिंग कमीशन नें भी चुनाव दिया है और भी कई सुझाव आये हैं कि एन० ई० एस० ब्लाक्स के साथ इसका सम्बन्ध हो। बहुत से लोगों का सुझाव है कि तहसील लेबिल पर इसको किया जाय और इस तरह से, तरह-तरह के सुझाव हैं। यह भी सुझाव है कि प्लानिंग कमेटी में इसको किसी तरह से ले लिया जाय तथा उसमें और संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। अगर जल्दी में कोई चीज लाते हैं तो उधर से कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी में कानून लाते हैं और फिर उनको बदलना पड़ता है। तुरन्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को हटा कर हम जल्दी में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने की बात तय कर लें तो फिर वही चार्ज होगा कि आप ने जल्दी की। अगर आप चाहते हैं कि कोई कानून प्रजातांत्रिक रूप के अनुकूल हो तो उसमें समय लगेगा। यह चीज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं होगी बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह व्यवस्था होगी। इसका सेटअप डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर हो, यह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की बुद्धि की ही देन है, यह उन्हीं का सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनें। इसमें

तो कई साल लग सकते हैं क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिये स्वीकृति देनी पड़ेगी, वहां से वह चलेगा तो फिर और प्रदेशों में भी जायगा और उन तमाम प्रदेशों की राय भी देखनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का निर्माण हो सकेगा।

अभी हमारे माननीय मोती लाल अवस्थी जी ने कहा कि पिछले दस वर्ष से हम देखते आ रहे हैं, कि चुनाव नहीं हुआ। और हमारे मंत्रिमंडल को भी इसका पुराना अनुभव है, और इसीलिये सरकार जल्दी में पुराने ऐक्ट में ही कुछ आवश्यक संशोधन करके, चुनाव की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है। यह भी कहा गया है कि इसका भी ध्यान रखा जायगा कि जिला बोर्ड का क्षेत्र विधान सभा के क्षेत्रके अन्तर्गत हो, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर इसका प्रबन्ध कर दिया जाय कि उस क्षेत्र के जो एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० या एम० पीज० हों, वे भी उसके एक्स आफिशियो सदस्य हो जायं तो बड़ा अच्छा होगा और उनका प्रतिनिधित्व भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में हो जायगा। इसके साथ ही साथ जो चुने हुये आदमी होंगे उनका भी प्रतिनिधित्व होगा और इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था के लिये जो काम होगा, सड़कों की व्यवस्था के लिये जो काम होगा, वह भी उचित ढंग से हो सकेगा।

जहां तक शिक्षा की बात है, हमार यहां जिला बोर्ड अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है, इस दृष्टि स, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल भी माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और उसने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि हमरा प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स में होना चाहिये। अगर उनका भी कोई प्रतिनिधि वहां रहगा तो वह शिक्षा के बारे में अच्छी सलाह दे सकेगा। श्रीमन्, क जरिय मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि अध्यापकों का भी एक प्रतिनिधि अवश्य हो।

जहां तक सिस्टम आफ वोटिंग का सवाल है, उस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव हुये हैं, हमने देखा है कि वह प्रणाली ज्यादा सिद्ध हुई ह। इकनामी की दृष्टि से भी देखा जाय तो बैलट पेपर्स में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, वह बहुत कास्टली है, जैसा कि एलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से भी मालूम होता है कि इसमें ज्यादा खर्च होता है। चुनाव तो आप भी कराना चाहते हैं, वह आवश्यक हैं लेकिन उनमें कम से कम खर्च हो यह भी जरूरी है, जब देहात के किसान बैल को, हाथी को, साइकिल को और बरगद आदि को कागज पर पहचान सकत ह, केवल पेंसिल से निशान बनाने का सवाल है और अगर दूसरी बात का ख्याल है तो एक कजलौटा रखा रहे और उससे अंगूठे का निशान हो जाया करे। वहां तो ज्यादातर लोग ब पढ़े-लिख हैं, शहर तो है नहीं, यह नहीं होना चाहिय कि किसी न साइड में निशान बना दिया, किसी ने दायें किसी ने बायें, बस इतना होना चाहिये कि पेंसिल रखी रहे और वह जाहिर कर सकें चिह्न को पहचान सकें। वह निशान बना सकते हैं, इससे चुनाव सस्ते भी हो सकते हैं और इसमें उन की सीक्रेसी भी खत्म नहीं होती। अंधे-बहरों का जहां तक सवाल है तो हमें कुछ न कुछ अपने कर्मचारियों पर विश्वास करना होगा, चाहे कांग्रेस की या किसी की भी सरकार क्यों न हो, सर्विसेज पर विश्वास सब को करना पड़ेगा वर्ना काम ही नहीं चल सकता। पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट के माने भी यही होते हैं कि "Government by officials run throgh the Cabinet Ministers." इसके माने यह नहीं है कि विधानसभा क सदस्य ही आफिशियल्स होंगे बल्कि अफसर तो होंगे लेकिन हमारी केबिनेट का उन पर नियंत्रण होगा और यह सदन कंट्रोल करेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह परिभाषा विवादास्पद है।

श्री दीनानाथ मणिमणि त्रि ठ --वह आथारिटेटिव है, पार्लियामेंटरी सिस्टम की गवर्नमेंट में भी सर्विसेज पर नियंत्रण सदन का और केबिनेट आफ मिनिस्टर्स का ही होता है। सरकारी कर्मचारी तो सब काम को चलायेंगे ही, चाहे जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो और उन पर विश्वास भी करना ही होगा। यह हो सकता है कि आप उत्तम से उत्तम कर्मचारी रखें और जो गड़बड़ी करें उनक खिलाफ एक्शन लें। इस तरह की चीज को कोई भी ठीक न कहेगा कि कहा

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

जाय निशान हाथी में लगाने को और वह लगा दे घोड़े में। यदि सब लोग एक दूसरे पर शंका करने लग जायं तो प्रशासन चलाने में बहुत कठिनाई हो सकती है, हमें मनुष्य की स्थान-स्थान पर कद्र करनी होगी। इसलिये इस विधेयक में चुनाव को व्यवस्था रखी गयी है वह अच्छी और सस्ती है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन इस छोटे से बिल को पास करे ताकि मई में चुनाव हो सकें बजाय इसके कि हम जिला कौंसिलों के प्रतिष्ठान में १० वर्ष लगा दें और जनता का प्रतिनिधित्व मौजूदा जिला बोर्डों में न हो सके।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, इस विधेयक को पेश करते समय माननीय मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं यह आशा कभी नहीं करता था कि मंत्री महोदय एक गलती को स्वीकार करने से भागेंगे। जिस कांग्रेस फिलासफी के वह अनुयायी हैं, जिस क अनुसार गलती को स्वीकार करना बड़प्पन होता है, उसके विरुद्ध उन्होंने एक तरह से उसे छुपाने की कोशिश की। शायद उन्होंने जिन्दगी में थोड़ मौकों पर ही एसा परिश्रम किया हो और अभ्यस्त न होने के कारण ही कदाचित् वह उस कार्य को भलीभांति न कर पायें।

सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ, सन् १९५२ में फिर होना चाहिये था। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि १९५८ में आज मंत्री महोदय यह बताने चले हैं कि विरोधी दलों के दिलों में यह आशंका न उत्पन्न हो, उसके निवारणार्थ उस एलेक्शन को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश एक एसा प्रदेश है और भारत ही ऐसा देश हो सकता है जहां कि १९५२ से ५८ तक एलेक्शन न हो और उस पर भी सरकार उस जगह पर पदासीन रहे। कौन सी नैशनल एमर्जेंट सिचुएशन आ पड़ी थी? यदि भारत पर कोई आक्रमण होता, कोई महायुद्ध होता, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गयी होती जिसके कारण चुनाव न हुआ होता, तो हम समझ सकते थे।

१९५७ में जब कि इस देश का नक्शा बदला जा रहा था, जब पुनः संगठन हो रहा था उस समय लेजिस्लेटिव असेम्बली का चुनाव हो सकता था, जब कि एक नक्शा ही बदल रहा था। यह कांग्रेस सरकार उस समय उस चुनाव को करा सकती थी। म्युनिसिपैलिटीज में १९५३ में चुनाव हुआ और १९५७ में पुनः चुनाव हुआ। केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये यह कुम्भकरणी निद्रा अब तक थी। १९५२ से १९५८ तक, छः साल तक हमारे मंत्री महोदय नहीं समझ सकते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या रूपरेखा होनी चाहिये। आज से चन्द महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि एक एडहाक कमेटी होनी चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनी चाहिए। वह ओरिजनल थिंकर हैं। मैं उनकी ओरिजैनिलिटी के लिये उनको बधाई भी दे दूं। तब माननीय मंत्री महोदय यह सोचना शुरू करते हैं कि वह कौन सी ऐसी परिस्थिति और समस्यायें थीं जिनके कारण संशोधन नहीं ला सकते थे।

भारतीय संविधान के लागू होने के उपरान्त आज इस तरफ से भी और उस तरफ से भी यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रहना अब कोई मानी नहीं रखता। पंचायतें कायम हो चुकी हैं। तो क्या सरकार कोई आज आ रही है? मैं उन बातों को दोहरा कर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन यह गलती है जिसको उन्हें तसलीम करना चाहिये। और अगर वह हमें यह समझाना चाहेंगे, इस परदे में कि हम यह सोच रहे थे तो मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसी बात है जो किसी भी सरकार के लिये शोभा नहीं देती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह एक लज्जा की बात है, भूल नहीं है। गलतियां नहीं की गयी हैं, बल्कि लज्जा की बात है। एक ऐसी बात है जिसके लिये मैं मंशा वाली बात कहना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि आपको आपत्ति हो सकती है, जिसके लिये आप मुझे टोक सकते हैं, लेकिन अवस्था नहीं छिपायी जा सकती। आवरण डाल कर आप उस परिस्थिति को नहीं छिपा सकते, जो कि समूचा भारत समझता हो, जो कि हर एक नागरिक समझता हो।

मान्यवर, अब इस विधेयक पर यह कहें कि सरकार की नीयत पर शंका है तो मेरी जबान आप रोक सकते हैं। अगर मैं यह कहूं कि बहुत नेक नीयत हैं तो मैं उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं करूंगा जिनके लिये मैं विधान सभा में आया हूं। और इसलिये मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता। उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं कहता, केवल आपको निर्णायक करके छोड़े देता हूं। इस विधेयक में खंड ४(बी) मौजूद है, जिसमें यह कहते हैं—

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any of the boards".

इसके ही विपरीत श्रीमन्, एक दूसरी सिस्टर बाडी है म्युनिसिपल बोर्ड की, जिसके ऐक्ट में धारा १०(ए) में स्पष्ट दिया हुआ है—

"Provided that the State Government may' by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any of the boards, so however that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed two years".

यह कानून भी इसी सरकार का बनाया हुआ है। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, जिसको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का रूप दे दिया जाय और जिसके संबंध में १,२ साल में विधेयक आये, उसके लिये नहीं रखना चाहती। जब कि दूसरी सिस्टर बाडी में ऐसा है इसमें कौन सी परेशानी हो जायगी, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन नहीं, सरकार की वही पुरानी हरकत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इलेक्शन १९४८ के बाद १९५८ में होने जा रहा है और १९५८ के बाद १९६२ में हो, इसका निर्णय आप पर और सदन के सम्मानित सदस्यों पर छोड़े देता हूं..

श्री विश्वित्रनारायण शर्मा—अब तो आपके आदमी बोर्ड में चुन कर आयेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—यह भी मैं समझता हूं बहुत ही संकीर्ण विचार होगा कि किसके आते हैं और किसके जाते हैं। यह तो समय बताता रहता है।

अब श्रीमन्, इस विधेयक में डिलिमिटेशन के संबंध में भी कहा गया है कि किस तरह से डिलिमिटेशन किया जायगा कांस्टीट्यूएंसीज का, उसका व्योरा दिया हुआ है।

शेड्यूल्ड कास्ट का रेप्रेजेंटेशन भी है, वह ठीक है। सरकार उसके लिये बधाई की पात्र है। लेकिन श्रीमन्, फिर भी मुझे यह भय है और सौभाग्य से मैं भी उसी जिले से आता हूं जहां से आप आते हैं, आप भी उस सिलसिले में परिचित हैं। टांडा तहसील की आबादी ८५ हजार शेड्यूल्ड कास्ट की है। उस जगह पापूलेशन के बेसिस पर जब कि ५ सीटें होनी चाहियें तब भी आज ४ सीटें दी जा रही हैं जो कि प्रपोज्ड लिस्ट है जिले में।

फिर श्रीमन्, मैं आपका ध्यान रिमूवल आफ़ प्रेसीडेंट की दफा की तरफ दिलाना चाहता हूं जो प्रजातांत्रिक नियमों और उसके सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है कि किसी प्रेसीडेंट को जो निर्वाचित हो कर आवे आप उसको पदच्युत करें जिस तरह से इस सरकार ने किया और जो कि लोगों को अब भलीभांति मालूम है। मैं समझता हूं वह किसी सरकार को शोभा नहीं देता। इसके शब्द यह हैं—

"39 (1). The State Government may, when there has been a habitual failure on the part of a President to perform his duty, remove him from his office".

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मैं पहले तो उस ड्राफ्टिंग की तारीफ कर दूं जो कि हमार उत्तर प्रदेश में होती है। श्रीमन्, विधेयक तो अंग्रेजी में आया है। कानून अंग्रेजी में बनता है, अंग्रेजी के शब्द किसी को पसन्द आवें या न आवें लेकिन माने तो उसके लगाने ही होंगे। यह "हैबिचुअल" शब्द जो है, मैं यह तो समझ सकता था अगर किसी हैबिचुअल क्रिमिनल के बारे में कहा जाता, लेकिन यह हैबिचुअल फेल्योर क्या है? हू इज गोइंग टु डिफाइन इट? कौन सा कोड इसको डिफाइन कर पावेगा? वह जिन्दगीभर करता रहे तब भी हैबिचुअल नहीं होता। आखिर वह स्टेज कौन सी होगी जब कि वह हैबिचुअल समझा जायगा? तो ऐसी चीजें, जो कि आप खुद भी नहीं समझ सकते हैं, उन्हें क्यों रखते हैं? मैं कहता हूं कि आप किसी प्रेसीडेंट को निकाल ही नहीं पायेंगे। मैं आपकी ही आसानी के लिये बताता हूं। फल्योर तो साबित हो सकता है, लेकिन हैबिचुअल फेल्योर किस स्टेज पर साबित होगा? आप सिर्फ उसमें यह कह देते हैं कि "ऐंड शैल नाट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट" वह एक जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है, आप इसका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यह कह देने से ही कुछ नहीं होगा। आर्टिकिल २२६ के रहते हुये आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं कि वह हाईकोर्ट में आपके खिलाफ रिट न दायर कर सके? जब आपने यह रखा कि "दि प्रेसीडेंट हैज टु बी हर्ड", तो उसी वक्त 'क्वैसी जुडिशल' मामला हो जाता है और आर्टिकिल २२६ के रहते हुये आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिये जो आपकी मंशा है वह इससे पूरी होने वाली नहीं है। इसको आप छोड़ दीजिये। आप रिमूव करना चाहते हैं, वह रिमूव भी न कर पायेंगे और ख्वाहमख्वाह के लिये एक बदमजगी उसमें रह जाती है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो न हटाइये। सलाह देना हमारा काम है, वह मैंने दे दी। मानना न मानना आपके हाथ में है। हैबिचुअल शब्द के माने तो दूसरे हो नहीं जायेंगे, न कोई दूसरी डिक्शनरी बन पायेगी।

श्रीमन्, अब रहा यह मैनर आफ वोटिंग। माननीय त्रिपाठी जी ने इसके ऊपर फरमाया। मुझे दुख भी है और आश्चर्य भी है, मैं भूल जाता हूं कि या तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूं या वह नहीं है, समझ में बात नहीं आती। आप यह कहते हैं कि शहरों की उपमा देहातों से देते हैं या तो इस कदर शहराती वह हैं कि दहात का उन्हें कोई अनुभव ही नहीं है या शायद देहात में रहते हैं और शहर कभी देखा ही नहीं। आखिर वह कहते क्या हैं कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन, श्रीमन्, आप भी चुनाव लड़े हैं, मंत्री जी भी चुनाव लड़े हैं, देहात में जहां वह सिम्बल पहचान सकते हैं, वहां भी जब एलेक्टर जाते थे तो पहले उन्होंने बैल भगवान को देखा तो उसे प्रणाम किया और वोट चरणों में डालकर पैसे चढ़ाकर वापस चले आये। तो जहां शिक्षा की इतनी न्यूनता हो, जहां अगर कोई पुराना मिडिल पास या कुछ पढ़ा-लिखा भी है तो दस-दस साल तक उसे कलम उठाने का मौका नहीं मिला, वहां इस तरह की बात करना कहां तक मुनासिब है?

हम विधान सभा के सदस्य भी बहुत से एलेक्शन्स में जब एलेक्टर होते हैं तो उस जगह भी मार्किंग में डाउट हो जाता है कि किसको मार्क करें। फिर उन देहातियों से यह उम्मीद करना और विशेषकर उन स्त्रियों के बारे में, जो कि पेंसिल को मालूम नहीं क्या समझती हैं, और कलम को कौन सा भगवान समझती हैं, आपको वह पता नहीं क्या समझें, उनसे यह उम्मीद करना कहां तक मुनासिब है? इन सब बातों को देखते हुए एक सिस्टम १९५२ में हुआ और १९५२ से ५७ तक एक सिस्टम से जब वह परिचित हैं तो फिर आखिर क्यों उससे स्विच ओवर करते हैं, दूसरे के लिये? मैं समझता हूं कि आपकी गलती नहीं लेकिन आप कृपा करके एलेक्शन कमीशन को लिखिये, तो कि यह देहात के लिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये, उचित नहीं है। इसके संबंध में आप ८ साल तक सोते रहे। यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्पलाई भाग नही लेगा। हमारे

माल मंत्री महोदय विद्यमान नहीं हैं, नहीं तो वे शायद बतलाते कि वे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पोर्टफोलियो रखे हों। उनके कंसोलिडेशन का कोई भी कर्मचारी इन चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। उनको चुनावों में भाग लेने की फुर्सत नहीं।

एक बात यह भी देखने की है कि एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीट्युएन्सी में ३ दिन तक चुनाव होता रहेगा। असेम्बली की कांस्टीट्युएंसी में १ दिन में चुनाव होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीट्युएंसी में जहां २२ हजार या २३ हजार की आबादी हो और जिसमें १०,११ हजार वोटर्स हों वहां ३ दिन चुनाव होगा, एक दिन का बीच में गैप दे कर।

श्रीमन्, मैंने इसीलिये किसी संशोधन को मूव नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चुनाव हों तो जल्दी हों। मैं जनरल डिस्कशन पर ही बोल रहा हूं। मैंने इसीलिये नहीं कहा कि एक महीने का मौका दे दिया जाय। अगर मैं १ महीने का मौका दूंगा तो मंत्री महोदय तो खुश ही होंगे। वे ९ महीने का मौका चाहेंगे। उनको तो चुनाव कराना ही नहीं है। मुझे तो यह कहना है कि आप बैठिये, बैठ कर पास करिये रात को बैठिये, दिन को बैठिये और भगवान के लिये चुनाव कराने का इरादा मुस्तकिल कर लीजिये।

विभव जी कहते थे कि २ करोड़ रुपया जनता का नष्ट हो जायगा, ३२ लाख रुपया सरकार का नष्ट होगा, शक्ति का ह्रास होगा, धन का दुरुपयोग होगा और न जाने किन-किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। जब हम इस भवन में आते हैं तब भी क्या यही सिद्धांत लागू होता है? इज्म से उनको नफरत है और कोई बात कहिये वह इज्म का रूप ले लती है, लेकिन मुझे पता नहीं वह किस इज्म में ऐसी बातें कह कर भूले हुये हैं। फासिज्म में तो ऐसी बातों का कहना कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में यह कहना कि इलेक्शन पर बहुत रुपया खर्च होता है, केबिनेट मिनिस्टर्स पर बहुत रुपया खर्च होता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं, डेमोक्रेसी खत्म करके आप आटोक्रेसी रखिये।

मेरे कहने का उद्देश्य, श्रीमन्, यही है कि सरकार इलेक्शन कराये। मुझे इससे भी विरोध नहीं कि ३ दिन के लिये यह प्रवर समिति को चला जाय, काम हल्का हो जाय, लेकिन मैं इस गल्ती से सहमत होने को तैयार नहीं हूं कि १ महीने, २ महीने या १० महीने के लिये इसमें और देर की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बैठना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी मेरी बातों को सुनकर कुछ ऊब सी हो रही है, उलझन हो रही है और परेशानी हो रही है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--किस बात की?

श्री अवधेशप्रताप सिंह--इसीलिये कि आप भी जल्दी पास कराना चाहते हैं और हम भी जल्दी पास करना चाहते हैं। बदकिस्मती से आपको भी कुछ कहना है, इसलिये मैं समाप्त करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सौभाग्य की बात यह है कि आज उधर से भी समर्थन किया गया है।

श्री राजनारायण--इसमें क्या हो गया?

श्री महीलाल--वह सब आपने अभी सुना नहीं? मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को ज्यादा समय हो गया जो नहीं होना चाहिये था और वह किन हालात में हुआ और किस मजबूरी से हुआ, यह जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर न लेकर माननीय मंत्री जी पर छोड़ता हूं कि वह ही इसका उत्तर दें। लेकिन इस देर होने की आड़ में जो बातें संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने कहीं उनको सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। माननीय अवस्थी जी यहां मौजूद नहीं हैं। मेरा भी एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्ध है। मैं नहीं जानता कि माननीय अवस्थी जी का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई सम्बन्ध रहा है या नहीं रहा है।

[श्री महीलाल]

मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आये थे और उन बोर्डों में जो लोग हैं वह एक जन-प्रतिनिधि के नाते हैं। बोर्ड में रहने वाले या उसका संचालन करने वाले लोगों को अवस्थी जी ने प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरी कहा और न मालूम उन्होंने और कितने ऐसे शब्द कहे, जो नहीं कहने चाहिये थे और कम-अज-कम मुझ जैसे आदमी को सुनने में तो भले नहीं लगे, लेकिन यह एक जनतंत्र की देन है कि एक कड़ुवी से कड़ुवी बात सुनना कर्तव्य है, और वह सुननी पड़ती है और सुनने के लिये तैयार रहना भी चाहिये।

मान्यवर, यह जाहिर सी बात है कि यह छोटा सा संशोधन विधेयक इसलिये लाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को ज्यादा समय हो गया है, इसलिये चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिया जाय। यह बात भी निश्चित सी है कि जो संशोधन इसमें लाये गये हैं उनको लाना आवश्यक था, क्योंकि हमारा संविधान जो सन् ५० से लागू हुआ, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अधिनियम उससे पहले का बना हुआ था और उसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जिनकी अब हमारा संविधान इजाजत नहीं देता, तो उनका संशोधित होना अत्यावश्यक था और वही छोटे-छोटे ३–४ संशोधन हमारे इस प्रस्तुत बिल में हैं।

मान्यवर, यह बात भी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस बिल को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में रखने का संशोधन रखा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि सरकार का एक इरादा और दृढ़ विचार है और उस विचार को शीघ्र ही सरकार कार्य रूप में परिणत करना चाहती है कि जिले के स्तर पर इस प्रकार का एक संगठन हो जिसके अधिकार कुछ बढ़ाये जायं। यह बात भी निश्चित सी है कि जब हमने पंचायतों को कुछ वैसे ही अधिकार दिये हैं और उनके कार्य भी बहुत कुछ वैसे ही रखे हैं जो हमारे जिला बोर्ड्स के थे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का उतना ही उपयोग नहीं रह गया है, जिसके लिये उनकी स्थापना हुई थी। यह निश्चित है कि आज एक ओर ग्रामों में कार्य करने के लिये कर लगाने का अधिकार हमारे जिला परिषदों को था और उसके साथ ही साथ बोर्डस् का यह कार्य भी था कि वह ग्रामों के मार्गों का सुधार करें, उनको पक्का करें, इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। यह बात ठीक है कि एक ओर पंचायतों को भी टैक्स लगाने का अधिकार है और दूसरी ओर हमारे बोर्ड्स् भी टैक्सों पर ही जिन्दा हैं। उनके पास एक तो वही धनराशि है जो सरकार से अनुदान के रूप में उनको मिलती है और दूसरा उनके पास कर का सहारा है। यह अलग बात है कि कर जैसे लोगों पर लगाना चाहिये, वैसे लोगों पर नहीं लगता। यहां मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जब २०० रुपये की आय पर कर की सीमा निर्धारित की गयी थी तो उस समय हो सकता था कि टैक्स लिया जाय। लेकिन इस समय जब कि २०० रुपये एक साल की आमदनी छोटे से छोटे मजदूर के लिये नाकाफी है, तो उन पर टैक्स नहीं होना चाहिये। सन् १९४८ के ऐक्ट के अनुसार अगर कुछ साथी या बोर्ड्स इस तरह की चीज करते हैं जिससे गरीब या मजदूरों को तकलीफ पहुंचती है तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम उन सभी लोगों के लिये जो बोर्ड में जनता के वोट से आये हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में इस तरह की बातें कही जायं।

मान्यवर, यह बड़ा सीधा-सादा बिल है। इस बात की आवश्यकता थी, जैसा कि हमारे संविधान में है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण नहीं होना चाहिये और दूसरी बात हरिजनों के संरक्षण के विषय में है और वह उनकी संख्या के आधार पर होना आवश्यक था। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोआप्टेड सीट्स थीं। इनमें वह लोग लिये जाते थे जो चुनाव में नहीं आ सकते थे। उदाहरण के तौर पर महिलायें तथा अन्य वर्ग के लोगों के लिये अभी तक हमने एक सिद्धान्त मान रखा था। यह कितना सीधा-सादा बिल है और कितना प्रगतिशील है कि इसमें कोआप्शन खत्म कर दिया गया है। जो लोग कोआप्शन से आते थे उनके लिये सरकार ने रखा है कि वह भी चुनाव से आयेंगे। इसका उद्देश्य ही यह है कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हो जायं और जो आज जनता की शिकायत है वह जल्दी से जल्दी

दूर हो। फिर समझ में नहीं आता है कि किस आधार पर आप लोग चाहते हैं कि इसमें एक महीना और लग जाय या दो महीने और लग जांय। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी विरोधी पार्टीज के लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जायं। हमारे मंत्री महोदय भी इसके लिये तैयार हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराये जायं। जहां तक मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी के सामने भी यह दिक्कत थी कि जबतक यह मौजूदा बिल पास न हो जाय उस वक्त तक वे चुनाव करा भी नहीं सकते थे। अब यह भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो एक आर्डिनेन्स निकाल कर चुनाव करा लेती और बाद में सदन के सामने यह संशोधन ले आती। लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी यह कहे बगैर नहीं रहते कि यह सरकार बिल्कुल डिक्टेटराना पालिसी पर चलती है और सदन के सामने बिल नहीं लायी, आर्डिनेन्स के बल पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव करा लिया। तो एक बिल्कुल जनतांत्रिक ढंग से सदन के सामने विधेयक लाकर, उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करा के उसके बाद जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का इरादा मंत्री जी का है और इसीलिये उन्होंने सदन से यह अपील की कि इस छोटे से संशोधन विधेयक को कम से कम समय में माननीय सदस्य पास करने की कृपा करें। तो मैं इस आशा से कि माननीय मंत्री जी शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न करेंगे कि मौजूदा बोर्डों का चुनाव, जैसा कि उनका इरादा है, मई में पूरा हो जाय बिना इस लिहाज के कि कितनी गरमी होगी या कितनी लू चलगी। इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायदे के अनुसार जिनका निर्वाचन सन् १९५२ में हो जाना चाहिये था अबतक चल रहे हैं। जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें यह बतलाया गया है कि चूंकि बोर्ड का वर्तमान संगठन और उनकी वर्तमान व्यवस्था को मुल्क की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक था इसलिये चुनाव नहीं कराये जा सके। लेकिन दस वर्ष के बाद भी आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि करीब-करीब वही संगठन, जिसे वर्तमान सरकार भी उचित नहीं समझती है और जो वास्तव में उचित है भी नहीं, आज भी हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर लादा जा रहा है। सन् १९४८ में पिछला चुनाव हुआ था। इतने लम्बे अर्से तक सरकार यह नहीं समझ पायी कि हमारे बोर्डों का क्या स्वरूप और संगठन होना चाहिये, जबकि हमारे मुल्क में जिस संविधान के अनुसार आज सारे मुल्क का प्रशासन हो रहा है उसे बनाने में भी लगभग दो ही वर्ष लगे थे। एक पड़ोसी मुल्क में १०, ११ साल लगे हैं संविधान को बनाने में, लेकिन वह भी एक मुल्क का संविधान बनाने का सवाल है। मैं क्या अपने प्रदेश की सरकार की तुलना उस पड़ोसी सरकार से करूं जो १०, ११ साल में अपने मुल्क के संविधान की रूपरेखा नहीं तय कर सकी? जिस सरकार को एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रूप रेखा तय करने में इतना लम्बा अर्सा लग सकता है सिवाय इसके कि उसके दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। पहला यह कि इस सरकार का निकम्मापन है, इसके अन्दर इतनी योग्यता नहीं है कि जिले की एक इकाई की योजना भी वह निश्चित कर सके या दूसरा कारण यह हो सकता है कि सरकार ने जानबूझ कर, चूंकि तमाम बोर्ड्स उसके हाथों में थे, इतने लम्बे अर्से तक चुनाव को टाला है। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसका जवाब दें कि उनकी सरकार का निकम्मापन इसके लिये उत्तरदायी है या उनकी मंशा। श्रीमन्, यह ११ वर्ष तक जो चुनाव टला है यह एक प्रकार से संसार की प्रजातांत्रिक पद्धतियों के विरुद्ध एक काम हुआ है। इसे देश और प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। इतने लम्बे अर्से के बाद जो विधेयक सामने आया उससे मैं समझता था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होगा। जो पिछले १०, ११ साल के अनुभव है उसके प्रकाश में कोई प्रमुख संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन जब हमको इसे देखने का मौका मिला तो हम को घोर निराशा हुई। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वर्तमान स्वरूप करीब ज्यों का त्यों रखा गया है। इसमें कुछ बातें जैसे बालिग मताधिकार पर चुनाव कोआप्शन और रिजर्वेशन को समाप्त करने आदि

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की ओर प्रयास अवश्य किया गया है, जिनका मैं स्वागत करता हूं और आशा है कि प्रदेश की जनता भी उनका स्वागत करेगी ।

श्रीमन्, कुछ दिन पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस सदन के सामने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो मौजूदा स्वरूप है वह आज की परिस्थिति में ठीक नहीं है । इसलिये उन्होंने विरोधी दल के नेताओं की एक मीटिंग भी बुलाई थी कि हमारा भावी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्वरूप क्या हो । इसके बाद हम लोगों को यह आशा थी कि सरकार एक कांप्रिहेंसिव बिल इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की दशा में सुधार हो सके । लेकिन जो मौजूदा बिल हमारे सामने है उसे देख कर भारी निराशा हुई । इसके उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि इस अवसर का लाभ उठा कर सरकार ने कुछ और परिवर्तन भी किये हैं । जब सरकार न इस अवसर का लाभ उठाया है तो मैं नहीं समझ पाता कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो ऐसी व्यवस्था है कि जिससे इस प्रदेश की जनता काफी परेशान है, उसको दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया । -

पहली चीज तो मैं टैक्सों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । बोर्ड ऐक्ट की धारा १२८ में टैक्स आन सरकमस्टांसेज ऐन्ड प्रापर्टी लगाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है । उसका दुरुपयोग बोर्ड कर रहे हैं और हमारे पूर्वी जिलों की जनता जो लगातार पिछले चार पांच सालों से तबाह और बरबाद हो रही है, उसको यह और अधिक तबाह और बरबाद कर रहे हैं । लोगों को नोटिस देने के बाद वहां, उन पर पिछले तीन-तीन सालों का टैक्स लगा दिया जाता है और वह नोटिस भी उनको ठीक से नहीं मिल पाता । इस के विरुद्ध रेप्रेजेन्टेशन किया गया प्रादेशिक सरकार और जिला अधिकारियों के पास लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला । मैं समझता था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो मौजूदा ढांचा है उसमें परिवर्तन होने जा रहा है तो सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । वहीं उसके बाद जो धारा १२९ है उसमें अपील करने की व्यवस्था टैक्सों के लगाय जान के बाद है, लेकिन उसम जुरिस्पुडेंस के सिद्धांतों के खिलाफ जनता को, जब तक वह टक्स न जमा कर दे, अपील करन का अधिकार नहीं है । यह एक ऐसी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है कि जिसे निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिये । तीन-तीन साल का टैक्स जमा करने में ही वह जनता जो परेशान है, तबाह है, और जिसे यह सरकार भी मानती है, बिलकुल तबाह और बरबाद हो जाती है । चाहे वह अपनी जमीन बेचें अथवा मकान, लेकिन जब तक वह टैक्स न जमा कर लेंगे उनको अपील करने का आपने अधिकार नहीं दिया है । मैं समझता था कि उसका संशोधन होना चाहिये और मैंने देखा भी, लेकिन दुख है कि उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है । जो कुछ संशोधन किया गया है उसमें कुछ तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, जिसके देखने से यह पता चलता है कि अगर एक साल का बकाया टैक्स होगा तो उस आदमी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में खड़ा होने का हक हासिल नहीं होगा । मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हमारे पूर्वी अंचल के जिलों में बहुत से ऐसे लोग होंगे, जो उनका प्रजातान्त्रिक अधिकार है, वह छिन जायगा । यदि उनको खड़ा होना होगा तो उनको अपना सब सामान बेचना होगा । सरकार इंडाइरेक्ट तरीके से उनके प्रजातान्त्रिक हक को छीनने का प्रयास कर रही है । इस व्यवस्था को दूर होना चाहिये ।

दूसरी व्यवस्था ऐसी है कि जो लोग २ वर्ष तक सजा काट चुके हैं या उसके ऊपर, उनको खड़ा होन का अधिकार नहीं है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन को निकाल देना चाहिये । अगर कोई व्यक्ति नैतिक पतन के कारण सजा पा चुका हो और उसको खड़ा होन का अधिकार न हो तो यह बात समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से यदि एक आदमी २ वर्ष तक या अधिक समय तक जेल में रहता है और उसको खड़ा होने का अधिकार नही दिया जाता है तो यह उसके प्रजातान्त्रिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास है । कोई बदमाश आदमी जो २ वर्ष से कम सजा पाता है, उसको इस बात का अधिकार

मिल जाता है कि वह खड़ा हो सकता है, लेकिन एक राजनैतिक आदमी को अगर किसी कारण सजा हुई है और वह २ वर्ष या अधिक की सजा हुई है तो वह इस अधिकार से वंचित हो जाता है। इसको इससे निकाल देना चाहिये।

दूसरी बात खंड १२ में पेटिशन के बारे में कही गयी है कि अब पेटिशन को जुडिशियल अफसर भी सुन सकेंगे। पहले यह था कि डिस्ट्रिक्ट जज उसको सुनता था। मेरा अब भी मत यही ह कि किसी भी पेटिशन के सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज या उसी के समकक्ष किसी भी अधिकारी को होना चाहिये। इससे कम अधिकार वाले किसी अधिकारी को इसका अधिकार नहीं हासिल होना चाहिये। इसलिये जो यह व्यवस्था इसम की गयी ह वह गलत है।

खंड ३९ में प्रेसीडेंट के रिमूवल की व्यवस्था की गयी है। जैसा कि मेरे पहले एक साथी ने बताया कि सरकार ने इस व्यवस्था को करके अपने हाथ में बहुत बड़ा अधिकार ले लिया है। यह कह कर कि है बिचुअल फेल्योर आफ ड्यूटी हुई है वह इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। मगर इसका निर्णय कौन करेगा कि वह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या नहीं। इसकी व्याख्या कौन करेगा कि ड्यूटी का किस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है। इसका निर्णय करने का सरकार को हक होगा और किसी को हक नहीं होगा। मुझे भय है कि सरकार इस हथियार का प्रयोग राजनैतिक दृष्टिकोण से करेगी। पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रदेश की जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ी है और जिस प्रकार से सरकार ने पिछले चुनाव में इस हथियार का प्रयोग किया है उसको दिमाग में रखते हुय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है इस बिल के अन्दर उसका मैं घोर विरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके लिये प्रार्थना करूंगा कि किसी भी प्रजातान्त्रिक पद्धति पर चलाने वाली सोसाइटी में, बल्कि जो समाजवाद का नारा लगाती है उस सरकार के राज्य में, इस प्रकार की बात बिल्कुल अनुचित है।

श्रीमन्, मैं समझता था कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों के रिमूवल की व्यवस्था की गयी है, जब यह संशोधन आयेगा तब उपयुक्त समय होगा कि कुछ कहा जाय किन्तु इसमें जो प्रेसीडेंट के हटाने की व्यवस्था की गयी है वह एक चुनी हुई संस्था होगी और लोगों ने अपने मेम्बरों के अन्दर विश्वास प्रकट करके उनको भेजा होगा और उन सदस्यों ने अपने प्रेसीडेंट को चुना होगा। उस प्रेसीडेंट को सरकार यह कहकर कि तुमने ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया है, निकाल देगी। उन मतदाताओं के प्रति सरकार अपना अविश्वास प्रकट करती है। यह निश्चय ही दूर होना चाहिये। मैं समझ नहीं पाता कि हमारे प्रदेश में जो यह शासन की व्यवस्था चल रही है और जिसके लिये जनता यह कहती है कि निकम्मी है, वह किस प्रकार से जनता के लिये सब तरह से साधन प्राप्त करा सकती है। इस प्रदेश की हालत दिनों दिन गिरती चली जा रही है। लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार हो कि मुख्य मंत्री को जब वे चाहें हटा दें तो फिर मैं नहीं समझता कि उधर के बैठने वाले दोस्त इस बात को अच्छी बात समझेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केमेम्बरान अपने प्रेसीडेंट में अविश्वास का प्रस्ताव पास करके दूसरा प्रेसीडेंट चुन सकते हैं। इसलिये सरकार इस अधिकार को अपने हाथ में न ले।

इस संशोधन के बाद टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के रहने वालों को अधिकार नहीं होगा कि मतदान कर सकें, यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मतदान में भाग ले सकें। मंत्री महोदय शायद इसके लिये यह कहेंगे कि दोहरा टैक्स लगता था, इसलिये उन्हें अलग कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमारे प्रदेश में शासन की एक मजबूत और महत्वपूर्ण इकाई होने जा रही है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की वह एक मजबूत इकाई होगी। जिले की मजबूत इकाई में टाउन और नोटिफाइड एरिया के रहने वालों को कोई हक न हो या उनका योगदान न हो, यह अच्छी बात नहीं है। टैक्स के लिये आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वह दोहरा न लगे। मैं समझता हूं कि जो कदम सरकार ने उठाया है वह भी इस बात का द्योतक है कि जो हार उसे पिछले चुनावों में खानी पड़ी उससे यह राजनीतिक चाल वह चल रही है। यह सर्वथा अनुचित है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं समझता था कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ढांचे में जब परिवर्तन होने जा रहा है तो उसमें अध्यापकों का भी ध्यान रखा जायगा। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी हालत एक लम्बे समय से अत्यन्त दयनीय है। प्रान्तीय संघ ने इस बात की मांग की है कि उनका भी प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होना चाहिये, ताकि वे वहां अपनी बात कह सकें और सरकार उससे लाभान्वित हो सके। इसके पहले रिजर्वेशन और कोआप्शन की व्यवस्था थी, उसे आपने हटाया तो एक छोटा सा क्लाज जोड़ने में अब आपको क्या तकलीफ थी ?

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द का प्रयोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये होता है। आप बार-बार इसका प्रयोग कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—मेरा तात्पर्य सरकार से ही है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जो मौजूदा साधन हैं और जिनके कारण यह चार्ज उन पर रहता था कि उनके पास रुपया कम है और इन्तजाम खराब है, तो मैं चाहता था कि सरकार इस बात को भी देखती कि कैसे उनके साधन बढ़ें। सरकार जिन टैक्सों को जनता से लेती है उनका एक निश्चित भाग डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अवश्य मिलना चाहिये। इससे उनका शासन अच्छा होगा। उनके जो मौजूदा साधन हैं और उनके काम का जो इतना बड़ा विस्तार है, उसके अन्दर यह सम्भव नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् अपने मौजूदा शासन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें कि अपने अन्दर कोई और एफिशिएंसी ला सकें।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स् की एक लम्बे अर्से से यह मांग है और बहुत जगह कारपोरेशंस को इस बात का अधिकार है कि उनके यहां स्थानीय पुलिस है ताकि उनके काम में सहूलियत पदा हो सके, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की भी इस बात की कुछ दिनों से मांग थी कि उनको इस बात का अधि कार दिया जाय कि वे अपने स्थानीय कामों को चलाने के लिये और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिये, पुलिस की व्यवस्था कर सकें ताकि उनके कामों में सहूलियत हो। मौजूदा संशोधन में भी इस तरह का संकेत कर सकते थे, लेकिन यह नहीं हो सका है।

श्री उपाध्यक्ष—आप अभी और बोलना चाहते हैं तो कल बोलेंगे, आज का समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
५ फरवरी, १९५८।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९५ पर)

गोंडा जिले में ३० अगस्त सन् १९५७ ई० से लेकर १२ सितम्बर सन् १९५७ ई० तक कुल ४ कत्ल के मुकदमों की घटनायें घटी हुई हैं।

यह कत्ल की घटनायें थाना मनकापुर, कोतवाली बलरामपुर, और इटिया थोक के क्षेत्र में हुई हैं।

वह किये गये व्यक्तियों के नाम तथा पता निम्न प्रकार हैं:--

१—थाना मनकापुर—श्रीमती धनदेई, विधवा रामदास कुर्मी, निवासी ग्राम बलसन पुरवा, मजरेकुड़सान, थाना मनकापुर, गोंडा।

२—थाना कोतवाली—श्री गोबरे उपनाम रामफेर, पुत्र श्री किशुनदास बखार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

३—थाना बलरामपुर—(१) श्री बाबा राममिलनदास चेला बाबा महंत जैकरन दास, निवासी ग्राम मसजिदिया, थाना बलरामपुर, गोंडा।

(२) श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री रामसरन दूबे, निवासी मुहल्ला पक्का बाजार, शहर बस्ती, थाना कोतवाली (बस्ती)।

४—थाना इटियाथोक :—श्री मुकुट नारायन, पुत्र श्री मान प्रसाद, निवासी ग्राम फत्ते नगर, थाना तुलशीपुर, जिला गोंडा।

उपरोक्त चारों कत्ल के मुकदमों में से थाना कोतवाली के कत्ल के मुकदमें में १० व्यक्ति तथा थाना बलरामपुर के कत्ल के मुकदमें में ६ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम व पता निम्न प्रकार हैं।

१—थाना कोतवाली—(१) श्री मिश्री लाल, पुत्र बीपत बखार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

(२) गोमती, पुत्र बीपत बखार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

(३) मैलई, पुत्र बेचन बखार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

(४) मुन्नासिंह, पुत्र लक्ष्मन सिंह, निवासी ग्राम सिंहारीपुरवा, जिला गोंडा।

(५) रामलाल सिंह, पुत्र जयनारायन सिंह, ग्राम सिंहारीपुरवा, जिला गोंडा।

(६) गिरजाशंकर, पुत्र अम्बिकादत्त ब्रा०, निवासी ग्राम मादे, थाना कोतवाली, जिला गोंडा।

(७) अम्बिका प्रसाद, पुत्र राजकिशोर ब्रा०, निवासी ग्राम महेवा, थाना मनकापुर, जिला गोंडा।

(८) छेदी, पुत्र मंगली बखार, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

(९) राम खिलावन, पुत्र नन्दप्रसाद ब्रा०, ग्राम मयरावां, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

(१०) भगवत, पुत्र गंगा ब्रा०, ग्राम मंगरावां, थाना धानेपुर, जिला गोंडा।

थाना बलरामपुर—(१) जसवन्त सिंह उपनाम शान्ती, पुत्र कल्यान सिंह, निवासी मोहल्ला तुलसीपार्क, कस्बा व थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

(२) मलिक अब्दुल्ला, पुत्र मलिक वली मोहम्मद, निवासी मोहल्ला पुरनिया तालाब, कस्बा व थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

(३) अजीमुल्ला, पुत्र वाजिद अली नद्दाफ, निवासी ग्राम दलपतपुर, थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

(४) हसन, पुत्र शोहरत नद्दाफ, निवासी ग्राम दलपतपुर, थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

(५) सत्तार, पुत्र छोटे नद्दाफ, निवासी ग्राम दलपतपुर, थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

(६) मोहर्रम अली उपनाम नाभा, पुत्र बरसाती नद्दाफ, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना बलरामपुर, जिला गोंडा।

---

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

### बरेली जिले के तहसीलवार हिस्ट्रीशीटर्स की संख्या

| तहसील | हिस्ट्री शीटरों की संख्या |
|---|---|
| बरेली .. .. .. .. .. | १,५०२ |
| आंवला .. .. .. .. .. | ८१० |
| बहेड़ी .. .. .. .. .. | ४०० |
| फरीदपुर .. .. .. .. .. | १४४ |
| नवाबगंज .. .. .. .. | ३७१ |
| योग .. | ३,२२७ |

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २८४ एल० ए० १९५८—८१० ।